



भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकठितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या ३

**भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या ३**

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		vii
कार्यपालन सारांश		ix
अध्याय 1 – राज्य शासन के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य की रूपरेखा	1.2	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	1.3	1
राजकोषीय लेन–देनों का सारांश	1.4	2
2017–18 की तुलना में 2018–19 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन	1.4.1	4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ	1.4.2	5
उत्पलावक अनुपात में प्रवृत्तियाँ	1.4.3	6
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.5	6
राजकोषीय सुधार पथ	1.5.1	6
मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियाँ	1.5.2	6
वास्तविक राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा	1.5.3	8
मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण	1.5.4	8
राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण	1.5.5	9
बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.6	10
जेप्डर बजटिंग	1.6.1	11
राज्य के वित्तीय संसाधन	1.7	12
वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.7.1	12
राजस्व प्राप्तियाँ	1.7.2	13
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ	1.7.3	18
विभाग द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाना	1.8	19
संग्रहण लागत	1.9	20
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.10	20
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	1.10.1	20
पूँजीगत व्यय	1.10.2	21
राजस्व व्यय	1.10.3	21
प्रतिबद्ध व्यय	1.10.4	22
सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	1.10.5	25
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.10.6	25
शासकीय व्यय एवं निवेश	1.11	26
सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	1.11.1	26
अपूर्ण परियोजनाएं	1.11.2	27
निवेश एवं प्रतिलाभ	1.11.3	27
राज्य शासन द्वारा कर्ज तथा अग्रिम	1.11.4	28
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश	1.11.5	28
परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं	1.12	29

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना	1.12.1	29
आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन—देन	1.12.2	30
आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति	1.12.3	32
ऋण प्रबंधन	1.13	32
राज्य शासन की राजकोषीय देयताओं की संरचना	1.13.1	32
उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता	1.13.2	33
ऋण संधारणीयता	1.13.3	34
उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)	1.13.4	35
आगे की कार्यवाही / निरंतरता	1.14	35
निष्कर्ष	1.15	36
अनुशंसाएं	1.16	36
अध्याय 2 – वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	37
विनियोगों की लेखापरीक्षा	2.2	37
विनियोग लेखे का सारांश	2.2.1	37
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	38
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.3.1	38
बचतें	2.3.2	40
सतत बचतें	2.3.3	41
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	2.3.4	42
अनावश्यक / अत्यधिक / अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान	2.3.5	44
निधियों का अत्यधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोग	2.3.6	45
सारभूत समर्पण	2.3.7	45
समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें	2.3.8	45
व्यय का गलत वर्गीकरण	2.3.9	46
व्यय की अत्यधिकता	2.3.10	46
निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना	2.3.11	46
चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम	2.4	47
सारांशीकृत स्थिति	2.4.1	47
सारभूत बचतें	2.4.2	48
समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें	2.4.3	48
निधियों के पुनर्विनियोग के लिए अनावश्यक / अत्यधिक प्रावधान	2.4.4	49
कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता निधि कम जारी किया जाना	2.4.5	49
निष्कर्ष	2.5	50
अनुशंसाएं	2.6	50
अध्याय 3 – वित्तीय प्रतिवेदन		
प्रस्तावना	3.1	51
व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण	3.2	51
असंचालित व्यक्तिगत / शैक्षणिक जमा खाते	3.2.1	52
शासकीय धन को अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना	3.2.2	52
व्यक्तिगत जमा खाते का अनुचित संचालन	3.2.3	53
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.3	53
उपकर का लेखांकन	3.3.1	53

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
श्रम उपकर की उपयोगिता	3.3.2	54
कालातीत चेकों के कारण देय राशि की वसूली न होना	3.3.3	55
लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.3.4	55
आयकर अधिनियम का गैर-अनुपालन	3.3.5	56
शासकीय लेखों में अपारदर्शिता-लघु शीर्ष 800 का परिचालन	3.4	56
आयोजना/आयोजनेतर के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष का गलत संचालन	3.5	58
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अप्रस्तुति	3.6	59
दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना	3.7	60
रोकड़ शेष में भिन्नता	3.8	61
विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान	3.9	61
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन	3.10	62
बैंक खातों का अनियमित संधारण	3.11	63
बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना	3.11.1	64
योजना की समाप्ति के पश्चात् निधियों को बैंक खातों में रखना	3.11.2	65
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति	3.12	65
भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न होना	3.13	67
निष्कर्ष	3.14	68
अनुशंसाए	3.15	68

परिशिष्ट

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)	1.1	71
शासकीय लेखों की संरचना	1.2 (भाग-क)	72
वित्त लेखों की रूपरेखा	1.2 (भाग-ख)	72
चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा	1.2 (भाग-ग)	73
वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार	1.3	74
2018–19 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना	1.4	77
जेप्डर बजट के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक की कमी का विवरण	1.5	79
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े	1.6	80
स्वयं के कर राजस्व 2014–19	1.7 (क)	83
करेतर राजस्व 2014–19	1.7 (ख)	83
31 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश शासन की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षेप स्थिति	1.8	84
पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	2.1	86
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.2	87
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक	2.3	89
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान	2.4	91
योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	2.5	92
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.6	97
प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.7	99
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)	2.8	100
2018–19 के दौरान सारभूत समर्पण	2.9	105
विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुई, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया	2.10	112
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण	2.11	113
समर्पण आदेश जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये	2.12	116

विवरण	परिशिष्ट	पृष्ठ क्रमांक
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.13	117
राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीनें एवं वृहद् निर्माण कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था	2.14	119
व्यय की अत्यधिकता	2.15	120
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सारभूत् बचतें, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी	2.16	121
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ	2.17 (क)	123
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ	2.17 (ख)	124
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की स्थिति	3.1	125
टीडीएस कटौती और टी.ए.एन. कटौतीकर्ताओं का विवरण	3.2	127
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.3	128
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन	3.4	129
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति	3.5	130
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण	3.6	131
चोरी, दुर्विनियोग / शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण	3.7	133
2018–19 के दौरान अपलेखित प्रकरण	3.8	134
2018–19 के दौरान हानि के प्रकरणों में सूचित की गई वसूली	3.9	135
बैंक खातों का विवरण	3.10	136
शहरी स्थानीय निकायों के बैंक खातों में निधियों के अवरुद्ध होने का विवरण	3.11	137

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय—I में राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों का अनुपालन इत्यादि की प्रवृत्तियां एवं वर्ष 2018–19 के लिए राज्य शासन के वित्त लेखे की परीक्षा से उद्भूत तथ्य शामिल हैं।
 3. इस प्रतिवेदन के अध्याय—II में वर्ष 2018–19 के लिए राज्य शासन के विनियोग लेखों की परीक्षा से उद्भूत तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन से, जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।
 4. इस प्रतिवेदन का अध्याय—III वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।
 5. निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक नियमों, बोर्डों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।
- भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

1 प्रतिवेदन

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य शासन के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय 1 – राज्य शासन के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, राज्य के वित्त लेखे के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियां, राज्य का ऋण प्रबंधन और लोक लेखा के मुख्य लेन-देनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय 2 – वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य शासन के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन करता है।

अध्याय 3 – वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय राज्य शासन के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत की गई लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़े वाले 40 परिशिष्ट हैं।

2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 राज्य शासन के वित्त

2018–19 के दौरान राज्य शासन ने अपनी राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, यद्यपि यह उस वर्ष के लिए बजट में लक्षित सीमा को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके स्वयं के कर प्राप्तियों में 13.55 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्यतः माल एवं सेवा कर प्राप्तियों के कारण, के अलावा वर्ष 2018–19 के दौरान करेतर राजस्व में 31.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए ₹1,153.70 करोड़ (कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान) के कुल एकत्रित अंशदान में से राज्य शासन ने केवल ₹1,040.60 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित किया। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पुलिस एवं शिक्षा विभाग के 11 कार्यालयों में वेतन तथा बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की गैर कटौती के प्रकरण परिलक्षित हुए।

2018–19 के दौरान राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर विकास व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, सिवाय स्वास्थ्य (4.48 प्रतिशत) पर व्यय के जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों (5.07 प्रतिशत) से कम था।

राज्य ने सहायतानुदान में से किए गए व्ययों के लेखांकन प्रशोधन के संबंध में भारतीय शासकीय लेखांकन मापदंड (IGAS-2) का गैर अनुपालन जारी रखा जिसके प्रभाव से राजस्व अधिशेष को बढ़ाने के अलावा विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत इसके व्ययों को अशुद्ध दर्शाया गया।

राज्य शासन ने उदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अपने ज्ञापन समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का सम्मान नहीं किया। इसने समेकित निक्षेप निधि भी गठित नहीं किया तथा निधि में ₹861.82 करोड़ का अनिवार्य अंशदान नहीं किया। आगे, प्रत्याभूति मोचन निधि में कम अंशदान किया गया था।

(अध्याय 1)

2.2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2018–19 के दौरान राज्य शासन का बजटीय अनुमान वास्तविक नहीं था तथा बजटीय अनुमान वास्तविकता से काफी भिन्न था तथा बजट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग बिना पर्याप्त औचित्य के प्राप्त किया गया था तथा बड़ी मात्रा में राशि बिना बजट प्रावधान के खर्च की गई थी। विगत कुछ वर्षों से प्रत्येक वर्ष इस प्रकरण को सूचित करने के बावजूद भी राज्य शासन इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

वर्ष के दौरान बचतें बजट की 21 प्रतिशत थी; तथापि नियंत्रण अधिकारियों ने निधियां समय पर समर्पित नहीं की। विभागों को सतत बचतों के विरुद्ध सचेत नहीं किया गया; न ही उनके आवंटनों को अवशोषित करने की उनकी योग्यता के अनुरूप उनके बजट को परिवर्तित किया गया।

प्रकरण को वित्त विभाग को कई बार सूचित करने तथा राज्य शासन के वित्त पर, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद भी राज्य शासन ने पूँजीगत अनुभाग में राजस्व प्राप्तियों एवं व्ययों को गलत वर्गीकृत करना जारी रखा, जिसने राजस्व अधिशेष एवं अन्य राजकोषीय मापदंडों को प्रभावित किया।

(अध्याय 2)

2.3 वित्तीय प्रतिवेदन

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियां’ (₹34,831.64 करोड़) एवं ‘अन्य व्यय’ (₹30,676.59 करोड़) के विवेकहीन संचालन ने वित्तीय सूचना में पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि ₹14,470.62 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा राज्य शासन के खराब नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए अपर्याप्त अंतरिक नियंत्रणों को इंगित करता है।

नियंत्रण अधिकारियों ने अपने लेखा आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा दर्ज आंकड़ों से प्राप्तियों के संबंध में केवल 13.94 प्रतिशत एवं व्यय के संबंध में केवल 48.99 प्रतिशत की सीमा तक ही किया है। लेखा प्रतिपादन ईकाईयों/प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के गैर-मिलान ने राज्य के लेखाओं की शुद्धता एवं पूर्णता और प्रभावी बजटीय प्रबंधन को प्रभावित किया।

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने बैंक खातों में ₹1,777.75 करोड़ की राशि अवरुद्ध की थी। आगे, मण्डल उपलब्ध निधियों का मात्र 15 प्रतिशत ही उपयोग कर सका तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों की केवल 30 प्रतिशत कल्याण गतिविधियों को पूरा किया।

विभिन्न जिलों के जिलाधीशों द्वारा वित्त विभाग के प्राधिकार के बिना बैंक खातों में राशि ₹13.78 करोड़ अवरुद्ध की गई थी।

विभिन्न व्यक्तिगत जमा खाते वृहत शेषों सहित तीन वर्षों से अधिक से असंचालित पड़े थे। शासन को इन खातों की निकटता से निगरानी करनी चाहिए थी तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसे असंचालित खाते बंद हैं तथा शेषों को राज्य की कोषालय संहिता के अनुसार शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

(अध्याय 3)

अध्याय 1

राज्य शासन के वित्त

अध्याय 1 – राज्य शासन के वित्त

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य शासन के वित्त पर व्यापक परिवृद्धि को प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेन, मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के आधार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017–18 की तुलना में मुख्य राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

1.2 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य 3,08,245 वर्ग कि.मी. (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 प्रतिशत) के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 7.26 करोड़ व्यक्तियों (देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत) का घर है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय (2009–2019) वृद्धि दर 15.79 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय विकास दर 12.84 प्रतिशत से अधिक थी।

राज्य के सामान्य और वित्तीय आंकड़े को **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को लक्षित करता है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को वर्तमान मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011–12) पर तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.21	12.76	19.89	12.24	11.13
स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,83,944	4,18,856	4,71,016	5,00,151	5,35,362
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.15	9.09	12.45	6.19	7.04

(स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2019 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹99,783 था (भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ₹1,42,719)। यह पड़ोसी राज्य बिहार (₹47,541), उत्तर प्रदेश (₹68,792) एवं झारखण्ड (₹82,430) से बेहतर था लेकिन छत्तीसगढ़ (₹1,08,058) से कम था।

इस अध्याय में दिए गए राज्य शासन के वित्त के विश्लेषण को समझने के लिए शासकीय लेखों की संरचना को जानना आवश्यक है। **परिशिष्ट 1.2** के **भाग (क)** एवं **भाग (ख)** में शासकीय लेखों की संरचना एवं वित्त लेखे के अभिन्यास (layout) की व्याख्या की गई है। चयनित शब्दावली जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा **परिशिष्ट 1.2** के **भाग (ग)** में दिया गया है।

1.4 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 एवं 1.3 अवधि 2014–19 के दौरान राज्य शासन की प्राप्तियों एवं व्ययों का सारांश प्रस्तुत करती है। अवधि 2018–19 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का सार **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	(₹ करोड़ में) 2017–18 की तुलना में 2018–19 में वृद्धि / कमी का प्रतिशत
अनुभाग-क: राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	88,640.78	1,05,510.60	1,23,306.79	1,34,875.39	1,48,892.79	10.39
कर राजस्व	36,567.12	40,213.66	44,193.65	44,810.85	50,882.41	13.55
करेतर राजस्व	10,375.23	8,568.79	9,086.51	9,061.18	11,898.69	31.32
संघ करों/शुल्कों का अंश	24,106.99	38,397.84	46,064.10	50,853.07	57,487.01	13.05
भारत सरकार से अनुदान	17,591.44	18,330.31	23,962.53	30,150.29	28,624.69	(-)5.06
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य						
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	27.73	26.47	24.19	19.35	13.04	(-)32.61
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियाँ	6,765.05	162.32	772.05	5,069.53	69.88	(-)98.62
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.91	1.93	0.01	-0.05	0.75	1600.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,068.71	19,985.30	29,847.41	21,892.17	32,497.42 ¹	48.44
आक्रिमिकता निधि	300.00	1.08	-	-	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,10,294.74	1,32,772.19	1,61,078.58	1,71,664.83	1,86,344.24	8.55
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	4,477.03	5,401.96	10,898.72	10,993.66	7,135.56	(-)35.09
योग	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88	3,74,953.68	8.84

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


¹ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम की राशि ₹3,376.38 करोड़ शामिल है।

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	(₹ करोड़ में)	2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि / कमी का प्रतिशत
अनुभाग—क: राजस्व							
राजस्व व्यय	82,372.82	99,770.70	1,19,537.37	1,30,246.09	1,42,149.21	9.14	
सामान्य सेवाएं	22,365.11	25,700.26	27,903.12	32,100.08	38,112.57	18.73	
सामाजिक सेवाएं	32,067.15	42,650.93	47,942.43	58,346.17	58,707.31	0.62	
आर्थिक सेवाएं	23,715.12	25,528.52	36,884.73	32,734.59	37,657.67	15.04	
सहायतानुदान तथा अशादान	4,225.44	5,890.99	6,807.09	7,065.24	7,671.66	8.58	
अनुभाग—ख: पूँजीगत एवं अन्य							
पूँजीगत परिव्यय	11,877.68	16,835.47	27,288.31	30,913.22	29,424.19	(-)4.82	
संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	12,534.61	3,157.91	4,940.27	1,550.20	1,089.66	(-)29.71	
अंतर्राजीय परिशोधन	0.98	1.94	0.66	-0.01	1.05	10600.00	
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,920.52	4,860.36	4,925.41	5,776.38	13,523.72 ²	134.12	
आकस्मिकता निधि	301.08	-	-	-	-	-	
लोक लेखा संवितरण	1,08,165.30	1,28,336.75	1,58,242.07	1,68,893.44	1,83,376.83	8.58	
अन्तिम रोकड़ शेष	5,401.96	10,898.72	10,993.66	7,135.56	5,389.02	(-)24.48	
योग	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88	3,74,953.68	8.84	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों के संघटन एवं संसाधनों के उपयोग चार्ट 1.1 और चार्ट 1.2 में दिए गए हैं।

चार्ट 1.1: संसाधनों के संघटन



₹ से आया

चार्ट 1.2: संसाधनों का उपयोग



₹ को गया

(स्रोत: वित्त लेखे 2018–19)

² भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम की राशि ₹3,376.38 करोड़ का पुनर्भुगतान शामिल है।

1.4.1 2017–18 की तुलना में 2018–19 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

तालिका 1.4 विगत वर्ष की तुलना में 2018–19 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है:

तालिका 1.4: 2017–18 की तुलना में 2018–19 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 10.39 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ राज्य के स्वयं के कर की प्राप्तियाँ 13.55 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ स्वयं की करेतर प्राप्तियाँ 31.32 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ संघ करों/शुल्कों में राज्य का अंश 13.05 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ भारत सरकार से सहायतानुदान 5.06 प्रतिशत से कम हुआ।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय 9.14 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 18.73 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 0.62 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.04 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सहायतानुदान पर व्यय 8.58 प्रतिशत से बढ़ा।
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूंजीगत व्यय 4.82 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 2.68 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 6.74 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 7.38 प्रतिशत से कम हुआ।
कर्ज तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण 29.71 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 98.62 प्रतिशत से कम हुई।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियाँ 48.44 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 134.12 प्रतिशत से बढ़ा।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियाँ 8.55 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक लेखों संवितरण 8.58 प्रतिशत से बढ़ा।
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रोकड़ शेष ₹1,746.54 करोड़ (24.48 प्रतिशत) से कम हुआ।

उपर्युक्त प्रत्येक संकेतकों का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:

- राजस्व प्राप्तियाँ मुख्यतः राज्य माल एवं सेवा कर में ₹9,812.38 करोड़ (112.84 प्रतिशत) से एवं करेतर राजस्व में ₹2,837.51 करोड़ (31.32 प्रतिशत) से वृद्धि के कारण ₹14,017.40 करोड़ (10.39 प्रतिशत) से बढ़ी।
- राजस्व व्यय मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ (₹ 3,675 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹2,521 करोड़ से) के कारण ₹11,903.12 करोड़ (9.14 प्रतिशत) से बढ़ा।
- पूंजीगत व्यय ऊर्जा शीर्ष के अंतर्गत ₹5,207 करोड़ से कम व्यय के कारण ₹1,489.03 करोड़ (4.82 प्रतिशत) से कम हुआ। यह मुख्यतः उदय के अंतर्गत 2017–18 के दौरान ₹4,622 करोड़ के व्यय की तुलना में 2018–19 के दौरान कोई व्यय नहीं करने के कारण था। इस पर आगे **कंडिका 1.10.2** में चर्चा की गई है।

2017–18 तथा 2018–19 के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण

	विवरण	2017-18 (₹ करोड़ में)	2018-19 (₹ करोड़ में)	वृद्धि/कमी (%)
स्रोत	प्रारंभिक रोकड़ शेष	10,993.66	7,135.56	-35.09
	राजस्व प्राप्तियां	1,34,875.39	1,48,892.79	10.39
	पूंजीगत प्राप्तियां	19.35	13.04	-32.61
	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	5,069.53	69.88	-98.62
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	16,115.79	18,973.70	17.73
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,771.39	2,967.41	7.07
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-0.05	0.75	1600.00
	कुल	1,69,845.06	1,78,053.13	4.83
उपयोग	राजस्व व्यय	1,30,246.09	1,42,149.21	9.14
	पूंजीगत व्यय	30,913.22	29,424.19	-4.82
	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,550.20	1,089.66	-29.71
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-0.01	1.05	10600.00
	समापन रोकड़ शेष	7,135.56	5,389.02	-24.48
	कुल	1,69,845.06	1,78,053.13	4.83

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ नीचे तालिका 1.6 में प्रस्तुत की गई हैं:

तालिका 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियाँ					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.02	19.03	16.87	9.38	10.39
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.47	19.50	19.00	18.52	18.40
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246	1,42,149
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.89	21.12	19.81	8.96	9.14
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	17.16	18.44	18.42	17.88	17.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित पूंजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,878	16,835	27,288	30,913	29,424
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.85	41.73	62.09	13.28	-4.82
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	2.47	3.11	4.21	4.24	3.64

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय में 2014–15 से 2018–19 तक वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय में 2014–18 के दौरान वृद्धि हुई लेकिन 2018–19 के दौरान कमी हुई।

2014–15 की तुलना में, 2018–19 में राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर में कमी आई। 2017–18 की तुलना में, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय की संवृद्धि दर में वृद्धि हुई थी। हालांकि, विगत वर्ष की तुलना में, पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर काफी कम थी।

1.4.3 उत्पलावक अनुपात में प्रवृत्तियां

उत्पलावक अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोचशीलता या प्रतिशादशीलता के परिमाण को इंगित करता है। एक से अधिक का मान आधार चर की तुलना में राजकोषीय चर की प्रभाव्यता के उच्च परिमाण को इंगित करता है। जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ती है, शासन की राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। **तालिका 1.7** सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की उत्पलावकता को दर्शाती है।

तालिका 1.7: उत्पलावकता अनुपात					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति उत्पलावकता	1.85	1.49	0.85	0.77	0.93
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर की उत्पलावकता	0.98	0.78	0.50	0.11	1.22
राज्य के स्वयं के करों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियां	1.89	1.91	1.70	6.70	0.77

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 1.7** से देखा जा सकता है, 2016–19 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की उत्पलावकता एक से कम थी जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ धीमी दर से बढ़ी। 2014–18 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के करों की उत्पलावकता एक से कम थी, तथापि ये 2018–19 के दौरान बढ़ी जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में स्वयं के कर राजस्व तीव्र दर से बढ़े।

1.5 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

1.5.1 राजकोषीय सुधार पथ

राज्य शासन ने राजकोषीय स्थिरता एवं संधारणीयता सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वित्तों के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने, पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त कर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, राजकोषीय घाटा कम करने तथा राजकोषीय नीति एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन हेतु बाधाओं को दूर करने के लिए संघीय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुरूप मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया।

1.5.2 मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियाँ

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था एवं उसके पश्चात राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

के तीन प्रतिशत तक कम करना था एवं उसके पश्चात समान स्तर को बनाए रखना था। आगे, अधिनियम में यह भी परिकल्पित था कि राज्य शासन 31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल बकाया ऋण 40 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2015–16 से 2019–20) के दौरान अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को शामिल किया गया। अधिनियम ने प्रावधान किया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो।

बजट में दिए गए मुख्य राजकोषीय संकेतकों के अंतर्गत 2018–19 के दौरान राज्य का निष्पादन चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं तथा मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिए लक्ष्य वास्तविक आंकड़ों के अनुसार तालिका 1.8 में दिए गए हैं।

तालिका 1.8: 2018–19 के दौरान राज्य का निष्पादन				
मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य (एम.टी.एफ.पी.एस. ³)	वास्तविक आंकड़े
राजस्व घाटा/आधिक्य	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	निरंक घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.03 प्रतिशत (+) ₹262 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.83 प्रतिशत (+) ₹6,744 करोड़
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.25 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत (-) ₹26,781 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.93 प्रतिशत (-) ₹23,688 करोड़
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)	25.63 प्रतिशत	25.00 प्रतिशत	26.34 प्रतिशत	24.01 प्रतिशत (₹1,94,309 करोड़)
प्राथमिक घाटा	--	--	(-) ₹13,913.42 करोड़	(-) ₹10,991.96 करोड़

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015–20, 2018–19 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2018–19)

राज्य ने राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का अनुपात बजट आंकलन 2018–19 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित तथा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया है। बजट आंकलन में निर्धारित प्राथमिक घाटे के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया है।

राज्य ने 2015–19 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष को हासिल किया। 2018–19 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष ₹6,744 करोड़ था। तथापि, जैसा कि तालिका 1.9 में वर्णित है, इस अधिशेष को पूँजीगत श्रेणी के अंतर्गत राजस्व मदों के गलत वर्गीकरण तथा राज्य शासन द्वारा अपेक्षित कार्यों के गैर अंशदान के संबंध में देखा जाना है।

2015–19 के दौरान राज्य राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से कम रखने में सफल रहा।

³ मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

2015–19 की अवधि के दौरान राज्य का बकाया ऋण लगातार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से कम रहा जो कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत है।

1.5.3 वास्तविक राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा

बजट घाटे को कम करने के लिए अल्पावधि उद्देश्यों पर अत्यधिक ध्यान सुजनात्मक लेखांकन को प्रोत्साहित करता है तथा घाटा कम करने वाले एकल उपायों को सहायता प्रदान करता है। **तालिका 1.9**, 2018–19 के दौरान राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकरण/पुस्तांकन तथा निधियों को गैर/कम अंशदान को ध्यान में रखने के पश्चात् वास्तविक अधिशेष/घाटा का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.9: वास्तविक राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा		(₹ करोड़ में)
विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्युक्ति कर)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति कर)
राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण (लेखों की टिप्पणियां की कंडिका सं 1(v), वित्त लेखे खंड- I)	1,111.97	-
एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को योगदान का कम अंतरण (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं 3 (i) वित्त लेखे खंड- I)	113.10	113.10
एन.डी.आर.एफ. से एस.डी.आर.एफ. को अनुदान का गैर अंतरण (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं 3(v) वित्त लेखे खंड- I)	334.00	334.00
समेकित निष्केप निधि को गैर अंतरण (लेखों की टिप्पणी की कंडिका 3 (vi) (क) वित्त लेखे खंड- I)	861.82	861.82
प्रत्याभूति मोरचन निधि को कम योगदान (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं. 3 (vi) (ख) वित्त लेखे खंड- I)	51.92	51.92
ब्याजयुक्त जमा एवं आरक्षित निधियों पर ब्याज का गैर भुगतान (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं 3 (viii) वित्त लेखे खंड- I)	7.43	7.43
कुल	2,480.24	1,368.27

(स्रोत: वित्त लेखे 2018–19)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष की ₹2,480.24 करोड़ से अत्युक्ति थी तथा राजकोषीय घाटे की ₹1,368.27 करोड़ से न्यूनोक्ति थी। तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि लेखों में दर्शित संपूर्ण राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹6,743.58 करोड़ एवं ₹23,687.65 करोड़ था, राज्य के पास 2018–19 के दौरान **तालिका 1.9** में दिए गए मदों को ध्यान में रखने के पश्चात् भी ₹4,263.34 करोड़ का राजस्व अधिशेष था।

1.5.4 मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्त वर्ष में बजट के साथ मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगी जिसमें राज्य शासन के राजकोषीय उद्देश्य एवं पंचवर्षीय चलित लक्ष्य निहित होंगे।

तालिका 1.10 राज्य विधान सभा को 2018–19 के लिए वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में 2018–19 के लिए किए गए अनुमानों तथा वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के बीच परिवर्तन को इंगित करती है।

तालिका 1.10: 2018–19 के लिए मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े			
राजकोषीय चर	मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक आंकड़े (2018–19)	(₹ करोड़ में) परिवर्तन (प्रतिशत में)
स्वयं के कर राजस्व	54,655.24	50,882.41	-6.90
करेतर राजस्व	10,933.78	11,898.69	8.83
केन्द्रीय करों का अंश	59,489.92	57,487.01	-3.37
भारत सरकार से सहायतानुदान	30,807.53	28,624.69	-7.09
राजस्व प्राप्तियां	1,55,886.47	1,48,892.79	-4.49
राजस्व व्यय	1,55,623.91	1,42,149.21	-8.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	0.03	0.83	-
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)3.24	(-)2.93	-
ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	26.34	24.01	-

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, तीन राजकोषीय मापदंडों यथा राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं ऋण—सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात से संबंधित मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों में 2018–19 के दौरान अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ।

1.5.5 राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व एवं ऋणेतर प्राप्तियों से अधिक राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के (ऋण एवं अग्रिमों सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषित प्रतिमान (pattern) तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17 ⁴	2017-18	(₹ करोड़ में) 2018-19
राजकोषीय घाटा (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं)	11,352 (2.37)	14,065 (2.60)	27,664 (4.26)	22,745 (3.12)	23,688 (2.93)
1 राजस्व अधिशेष	6,268	5,740	3,770	4,629	6,744
2 निवल पूँजीगत व्यय	-11,850	-16,809	-27,265	-30,894	-29,411
3 निवल कर्ज एवं अग्रिम	-5,770	-2,996	-4,169	3,520	-1,021
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान**					
1 बाजार उधारियां	8,171	12,991	14,551	13,125	15,001
2 भारत सरकार से प्राप्त कर्ज	536	414	249	824	2,647
3 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,184	922	1,266	1,348	1,086
4 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	258	798	1,590	913	334
5 आरक्षित निधियां	143	1,733	-498	-1,038	590
6 अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	962	1,025	813	680	2,249
7 जमा एवं अग्रिम	618	574	3,436	2,316	164
8 उचंत एवं विविध	462	1,457	-842	110	-677

⁴ उदय के प्रभाव को सम्मिलित कर

तालिका 1.11: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान					
(₹ करोड़ में)					
विवरण		2014-15	2015-16	2016-17 ⁴	2017-18
9	प्रेषण	-57	-352	-72	704
10	अन्य ⁵	-925	-5,497	+7,171	+3,763
राजकोषीय घाटा		11,352	14,065	27,664	22,745
**ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्वाह के निवल (नेट) हैं					

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बाजार उधारियों ₹15,001 करोड़ ने कुल राजकोषीय घाटे ₹23,688 करोड़ के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करना जारी रखा। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 2017-18 में 57.70 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 63.33 प्रतिशत हो गयी।


वर्ष 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटे, को पूरा करने वाले अन्य मुख्य घटक भारत सरकार से प्राप्त ऋण (₹2,647 करोड़) और अल्प बचत एवं भविष्य निधि आदि (₹2,249 करोड़) थे।

1.6 बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं या बजट तैयार करने के स्तर पर व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों के साथ प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के वास्तविक आंकड़ों की तुलना नीचे चार्ट 1.3 में दी गयी है तथा बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों की विस्तृत तुलना परिशिष्ट 1.4 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.3: मुख्य राजकोषीय मापदंड : वास्तविक आंकड़ों के सापेक्ष बजट अनुमान / पुनरीक्षित अनुमान



(स्रोत : वित्त लेखे एवं बजट 2018 -19 तथा वर्ष 2018 -19 एवं 2019-20 के लिए बजट पुस्तिकाएं)

चार्ट 1.3 का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

- राजस्व प्राप्तियां, बजट अनुमान से मुख्यतः कर राजस्व ₹3,773 करोड़ से एवं केन्द्रीय अंतरण ₹4,186 करोड़ से कम के कारण थी, जिसे करेतर राजस्व के अन्तर्गत ₹965 करोड़ की बढ़ी हुयी प्राप्तियों से आंशिक रूप से संतुलित किया गया था।
- कर राजस्व के अधिकांश घटक विशेष रूप से बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹1,597 करोड़ से) और राज्य माल एवं सेवा कर (₹1,599 करोड़ से) बजट अनुमानों में किये गये अनुमान से कम थे जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में विस्तृत है। करेतर राजस्व के अन्तर्गत उच्च प्राप्तियां

⁵ आकस्मिक निधि, रोकड़ शेष, निवेश एवं बंधपत्र के अधीन लेन-देन

मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां (₹530 करोड़ से) और शिक्षा, खेल, कला, और संस्कृति (₹411 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

- प्रमुखतः विद्युत बोर्ड को बजट (₹4,070 करोड़ से) से कमतर सहायता के कारण आर्थिक सेवाओं (₹7,165 करोड़) में आई कमी के कारण राजस्व व्यय, बजट अनुमान से कम था।
- पुनरीक्षित अनुमान क्रमशः ₹1,007 करोड़ एवं ₹5,743 करोड़ के विरुद्ध ऊर्जा एवं यातायात के ₹2,272 करोड़ एवं ₹6,892 करोड़ के बढ़े हुए व्यय के कारण पूंजीगत व्यय, बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः ₹81 करोड़ एवं ₹2,180 करोड़ से अधिक था।

1.6.1 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजटिंग की शुरूआत 2007–08 में की गई थी। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय तालिका 1.12 में दिया गया है।

वर्ष	तालिका 1.12: 2014–19 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन						(₹ करोड़ में)
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68	
2015-16	2,582.59	2,441.72	94.55	36,514.60	30,543.77	83.65	
2016-17	2,359.33	1,422.27	60.28	40,848.26	36,327.84	88.93	
2017-18	2,617.70	2,411.88	92.14	44,391.09	45,689.86	102.93	
2018-19	3,288.41	उपलब्ध नहीं*	—	48,948.00	उपलब्ध नहीं*	—	

* वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी
(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

1.6.1.1 जेण्डर बजट की उपयोगिता में कमी

लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा विकास आयुक्त, जिन्हें 2018–19 के दौरान अधिकतम बजट आवंटित किया गया था, के संबंध में श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट की उपयोगिता में कमी को तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: 2018–19 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान और व्यय								(₹ करोड़ में)	
श्रेणी 1 (100 प्रतिशत)					श्रेणी 2 (30 प्रतिशत)				
विभाग का नाम	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कमी (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कमी (प्रतिशत)	
लोक शिक्षण	01	0.80	0.02	97.50	24	10,915.95	7,681.04	29.63	
राज्य शिक्षा केन्द्र	02	27.26	2.64	90.32	03	3,671.54	3,194.41	13.00	
विकास आयुक्त	--	--	--	--	06	10,954.34	8,555.19	21.90	

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

आगे, यह भी देखा गया कि श्रेणी 1 के अंतर्गत दो योजनाओं एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत 24 योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की कमी पायी गयी थी तथा इन योजनाओं में निर्धारित प्रावधान एक प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अप्रयुक्त रहे थे, जिसका विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है। इसने महिला उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रदायित निधियों के खराब उपयोग को इंगित किया।


1.7 राज्य के वित्तीय संसाधन


1.7.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे में शेष सम्मिलित हैं।


चार्ट 1.4, 1.5 एवं 1.6 क्रमशः कुल प्राप्तियों की संरचना, 2014–19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों में प्रवृत्ति एवं 2018–19 के दौरान संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।

चार्ट 1.4: 2018-19 के दौरान कल प्राप्तियों की संरचना





- 2014–19 के दौरान, शासन की कुल प्राप्तियां 13.12 प्रतिशत के संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से ₹71,807 करोड़ से बढ़ी।
- समान अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां, पूजीगत प्राप्तियां (विविध पूजीगत प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली एवं लोक ऋण प्राप्तियों सहित) और लोक लेखा प्राप्तियां (निवल) क्रमशः ₹60,252 करोड़ (67.97 प्रतिशत) से, ₹10,717 करोड़ (49.02 प्रतिशत) से, तथा ₹838 करोड़ (39.34 प्रतिशत) से बढ़ी।




1.7.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में शासन की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2014–19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन **परिशिष्ट 1.6** में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में भी चित्रित की गई हैं।


चार्ट 1.7: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



चार्ट 1.8: 2014-19 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के संघटन

(प्रतिशत में)



1.7.2.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधन में राज्य द्वारा उत्पादित कर एवं करेतर राजस्व शामिल है। 2014-19 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत किया गया है।

2014-19 के दौरान, राज्य के स्वयं के संसाधनों में 7.54 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर से ₹15,839 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के राजस्व मुख्यतः राज्य माल एवं सेवा कर में ₹9,812 करोड़ से (112.83 प्रतिशत) तथा करेतर राजस्व में ₹2,838 करोड़ से (31.32 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण 2017-18 में 1.11 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 के दौरान 16.54 प्रतिशत हो गया था।

कर राजस्व

2014–19 के दौरान कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

राजस्व शीर्ष	तालिका 1.14: कर राजस्व के संघटक				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(₹ करोड़ में) 2018-19
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,136	19,806	22,561	14,984	9,903
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	8,696	18,508
राज्य उत्पाद शुल्क	6,696	7,923	7,533	8,245	9,542
वाहन कर	1,824	1,933	2,252	2,692	3,008
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	3,893	3,868	3,925	4,789	5,278
भू—राजस्व	243	277	407	491	384
माल तथा यात्री पर कर	2,686	3,085	3,805	1,159	118
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,010	2,258	2,621	2,590	2,616
अन्य कर ⁶	1,079	1,064	1,090	1,165	1,525
योग	36,567	40,214	44,194	44,811	50,882
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व (प्रतिशत में)	7.62	7.43	6.81	6.15	6.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2018–19 में स्वयं के कर राजस्व में 13.55 प्रतिशत से वृद्धि राज्य माल एवं सेवा कर में ₹9,812 करोड़ से एवं राज्य उत्पाद शुल्क में ₹1,297 करोड़ से वृद्धि के कारण थी। भारत सरकार ने भी माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु ₹2,866 करोड़ का सहायता अनुदान दिया था। तथापि, 2018–19 के दौरान स्वयं का कर राजस्व चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये आंकलन (₹74,926 करोड़) से कम रहा।

करेतर राजस्व


2014–19 के दौरान करेतर राजस्व का विवरण, इनकी प्रवृत्ति तथा वृद्धि नीचे क्रमशः **तालिका 1.15**, **चार्ट 1.9** एवं **चार्ट 1.10** में दर्शाया गया है:

राजस्व शीर्ष	तालिका 1.15: करेतर राजस्व के संघटक				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(₹ करोड़ में) 2018-19
अलौह खनिज, धातु एवं उद्योग	2,814	3,060	3,168	3,641	3,934
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,276	1,292	1,824	1,310	2,366
वानिकी एवं वन्य जीवन	969	1,002	918	1,112	1,043
ब्याज प्राप्तियाँ	1,261	429	582	639	880
लाभांश एवं लाभ	80	130	231	622	347
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	1,975	2,656	2,363	1,737	3,329 ⁷
योग	10,375	8,569	9,086	9,061	11,899

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁶ अन्य करों में कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, एवं माल एवं सेवाओं पर शुल्क सम्मिलित है।

⁷ विविध सामान्य सेवाएं (₹773.18 करोड़, 1329 प्रतिशत), लघु सिंचाई (₹545.04 करोड़, 54 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (₹355.97 करोड़, 168 प्रतिशत), मध्यम सिंचाई (₹226.40 करोड़, 57 प्रतिशत), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का अंशदान एवं वसूली (₹222.35 करोड़, 364 प्रतिशत), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹214.46 करोड़, 66 प्रतिशत), ऊर्जा (₹190.32 करोड़, -2 प्रतिशत), लोक निर्माण (₹151.75 करोड़, 21 प्रतिशत), पुलिस (₹145.70 करोड़, 17 प्रतिशत), अन्य सामाजिक सेवाएं (₹92.69 करोड़, 63 प्रतिशत), ग्राम एवं लघु उद्योग (₹88.13 करोड़, 484 प्रतिशत), फसल कृषि कर्म (₹62.14 करोड़, 27 प्रतिशत), मुख्य सिंचाई (₹37.07 करोड़, 45 प्रतिशत) एवं अन्य प्राप्तियाँ (₹223 करोड़, -21 प्रतिशत) के अंतर्गत प्राप्तियाँ शामिल हैं।



2018–19 के दौरान करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹1,056 करोड़ से) के अंतर्गत थी। यह मुख्यतः समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्ति के गलत वर्गीकरण के कारण थी। राज्य शिक्षा केन्द्र (अगस्त 2020) ने सूचित किया कि 2018–19 के दौरान भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए ₹1,018 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी तथा राज्य शासन ने इसे अपने 40 प्रतिशत के हिस्से ₹679 करोड़ के साथ मुख्य शीर्ष 2202 के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र को जारी किया था। तथापि, राज्य शिक्षा केंद्र ने राशि का गलत वर्गीकरण किया तथा संपूर्ण राशि ₹1,697 करोड़ (₹1,018 करोड़ + ₹679 करोड़) मुख्य शीर्ष 2202 के स्थान पर मुख्य शीर्ष 0202 में जमा कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व व्यय एवं करेतर राजस्व में ₹1,697 करोड़ से वृद्धि हुई।

1.7.2.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य शासन, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के अंश प्राप्त करती है। राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान का विवरण नीचे तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: भारत सरकार से सहायतानुदान					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेतर अनुदान	4,425	3,990	5,473	4,408	4,921
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	9,011	13,371	17,702	23,164	20,821
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,263	359	257	67	17
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,893	610	531	-	-
राज्य को अन्य अनुदान (माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि के लिये प्रतिपूर्ति)	-	-	-	2,511	2,866
योग	17,592	18,330	23,963	30,150	28,625
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	49.38	4.19	30.73	25.82	(-)5.06
राजस्व प्राप्तियाँ	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	19.85	17.37	19.43	22.35	19.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2018–19 के दौरान गैर–योजनागत अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः चौदहवें वित्त आयोग–स्थानीय निकायों के लिये अनुदान के अंतर्गत विगत वर्ष की तुलना में अधिक अनुदान (₹492 करोड़ से) प्राप्त होने के कारण थी जबकि राज्य योजनागत योजनाओं के लिये अनुदानों में कमी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये विगत वर्ष की तुलना में ₹1,689 करोड़ से कम अनुदान के कारण थी।

1.7.2.3 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2014–19 के दौरान भारत सरकार से राज्य शासन को अंतरण का विवरण तालिका 1.17 में दर्शाया गया है:

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	24,107	38,398	46,064	50,853	57,487
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	-	-	-	716	14,188
एकीकृत माल एवं सेवा कर	-	-	-	5,132	1,132
सेवा कर	3,554	6,656	7,434	5,795	531
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,011	8,400	10,252	13,147	14,722
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,202	5,100	7,246	5,363	2,708
निगम कर	8,418	12,078	14,752	15,569	19,990
सम्पत्ति पर कर	23	3	34	0	7
सीमा शुल्क	3,899	6,134	6,346	5,131	4,075
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	27	0	0	30
आय और व्यय पर अन्य कर	0	0	0	0	104

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2018–19 में केन्द्रीय कर अंतरण में वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹13,472 करोड़), निगम कर (₹4,421 करोड़) और आय एवं व्यय पर अन्य करों (₹104 करोड़) के अंतर्गत थी जो कि मुख्यतः सेवा कर (₹5,264 करोड़) एकीकृत माल एवं सेवा कर (₹4,000 करोड़) एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों (₹2,655 करोड़) के अंतर्गत करों के संग्रहण में कमी द्वारा समायोजित किया गया था।

1.7.2.4 माल एवं सेवा कर की स्थिति

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों को पॉच वर्ष की अवधि के लिए माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति करेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015–16) के राजस्व ₹15,329 करोड़ पर प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर लागू करते हुए वर्ष 2018–19 के लिए मध्य प्रदेश का अनुमानित राजस्व ₹22,711 करोड़ परिकलित किया गया था।

2018–19 के दौरान, राज्य शासन को मुख्य शीर्ष '0006 राज्य माल एवं सेवा कर' के अन्तर्गत राजस्व के रूप में ₹18,508 करोड़ (आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के लिए ₹2,147 करोड़ सहित) प्राप्त हुए थे। आगे, वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने जी.एस.टी के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹2,866 करोड़ जारी किए।

माल एवं सेवा कर के एकत्रण के स्वचालन के आरंभ के साथ, लेखापरीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी लेन–देनों की नमूना जांच में परिवर्तन कर, व्यापक जांच करे ताकि, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखों को प्रमाणित करने के संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति हो सके। डाटा का अपेक्षित अभिगम प्रदान किया जाना बाकी था। समस्त माल एवं सेवा कर लेन–देनों का अभिगम प्राप्त न होने के कारण, माल एवं सेवा कर प्राप्तियों की व्यापक रूप से लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। इस प्रकार, वर्ष 2018–19 के लिए वित्त लेखों को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर

एक बार अपवाद के रूप में प्रमाणित किया गया, जैसा कि तब किया जाता था जब अभिलेखों को हाथों से (manually) संधारित किया जाता था।

1.7.3 पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

2014–19 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राज्य शासन की प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तालिका 1.18 में दी गई हैं:

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	तालिका 1.18: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	28	26	24	19	13
अंतर्राज्यीय परिशोधन	1	2	-	-	-
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	6,765 ⁸	162	772 ⁹	5,070 ¹⁰	70
(क) ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ	6,794	190	796	5,089	83
ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	5,086.26	(-)97.20	318.95	539.32	(-)98.37
आंतरिक ऋण	13,697	18,659	28,581	19,975	28,701
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,372	1,326	1,267	1,917	3,796
(ख) लोक ऋण प्राप्ति	15,069	19,985	29,847	21,892	32,497
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (क+ख)	21,863	20,175	30,643	26,981	32,580
लोक ऋण प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	57.94	32.62	49.35	(-)26.65	48.44
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	126.04	(-)7.72	51.89	(-)11.95	20.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014–19 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

विवरण	तालिका 1.19: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार उधारियाँ	10,300	14,700	16,100	15,000	20,496
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	-	-	-	-	3,376
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,483	2,075	2,603	2,101	1,858
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड	-	-	7,360	-	-
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	1,914	1,884	2,518	2,874	2,971
आंतरिक स्रोतों से कुल ऋण प्राप्तियाँ	13,697	18,659	28,581	19,975	28,701

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018–19 के दौरान, राज्य शासन 25 दिनों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹1.96 करोड़ के न्यूनतम शेष का संधारण करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक से साधारण अर्थोपाय अग्रिम राशि ₹3,376 करोड़ प्राप्त किया था। ब्याज ₹1.16 करोड़ सहित सम्पूर्ण राशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया था। किसी भी विशेष दिवस पर प्राप्त साधारण अर्थोपाय अग्रिम अधिकतम सीमा ₹1,600 करोड़ से अधिक नहीं रहा था।

⁸ इसमें से ₹6,694 करोड़ 'ऊर्जा परियोजना के लिये ऋण' की वसूली से सम्बंधित है

⁹ इसमें से ₹507 करोड़ 'कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋणों' की वसूली से सम्बंधित है

¹⁰ इसमें से ₹4,622 करोड़ 'ऊर्जा परियोजना के लिये ऋण' की वसूली से सम्बंधित है

1.7.3.2 भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम में मुख्य रूप से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की योजनाओं के लिये कर्ज शामिल है। अवधि 2014–15 से 2018–19 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिमों का विवरण **तालिका 1.20** में दिया गया है।

तालिका 1.20: भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(₹ करोड़ में) 2018-19
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	1,372	1,326	1,267	1,917	3,796

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2018–19 के दौरान भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों में वृद्धि बैंक टू बैंक बेसिस लोन के अंतर्गत ₹1,879 करोड़ से अधिक प्राप्ति के कारण थी।

1.7.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधियाँ इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के भाग नहीं हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं हैं। इन लेखों के संबंध में शासन एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। लोक लेखों के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरण पत्रक 21 में दर्शाई गई है तथा विवरण **तालिका 1.21** में दिया गया है।

तालिका 1.21: लोक लेखे (निवल) की स्थिति					
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(₹ करोड़ में) 2018-19
लोक लेखे (निवल)	2,130	4,435	2,837	2,772	2,968
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	963	1,024	813	680	2,249
(ख) आरक्षित निधि	144	1,733	(-)498	(-)1,038	590
(ग) जमा एवं अग्रिम	618	574	3,436	2,316	164
(घ) उचंत एवं विविध	462	1,457	(-)842	110	(-)677
(ङ.) प्रेषण	(-)57	(-)353	(-)72	704	642

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.8 विभाग द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाना

31 मार्च 2019 की स्थिति में खनन विभाग, पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग और वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित किए गए, कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिए गए प्रकरण और अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगों का विवरण **तालिका 1.22** में दर्शाया गया है।

राजस्व प्रकृति	की 31.03.2018 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	2018–19 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या		31.03.2019 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
				जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया	प्रकरणों राशि की संख्या (₹ करोड़ में)	
खनन	3,625	16,504	20,129	15,298	52.37	4,831
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	13,353	10,304	23,657	9,720	52.93	13,937
वाणिज्य कर*	510	73	583	383	40.15	200
कुल	17,488	26,881	44,369	25,401	145.45	18,968

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

* इसमें मूल्य वर्धित कर, प्रवेश शुल्क, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर शामिल हैं।

1.9 संग्रहण लागत

2018–19 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण एवं उसकी लागत का विवरण नीचे तालिका 1.23 में दर्शाया गया है:

विवरण	तालिका 1.23: संग्रहण लागत		कुल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत का प्रतिशत	विवरण का अखिल भारतीय औसत
	कुल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय		
	(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/राज्य माल और सेवा कर	28,411	207.07	0.73	0.69
वाहन कर	3,008	55.91	1.86	2.61
राज्य उत्पाद शुल्क	9,542	140.56	1.47	1.83
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,278	61.35	1.16	2.96

(स्रोत: 2018–19 के वित्त लेखे)

मुख्य राजस्व शीर्षों के अंतर्गत राज्य का संग्रहण लागत, अखिल भारतीय औसत संग्रहण लागत से बिक्री, व्यापार आदि पर कर/राज्य माल और सेवा कर को छोड़कर उल्लेखनीय रूप से कम था।


1.10 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.10.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना


2014–19 के दौरान कुल व्यय तथा गतिविधिवार व्यय की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः चार्ट 1.11 एवं 1.12 में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट 1.11: कुल व्यय- प्रवृत्ति एवं संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



1.10.2 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय का विवरण **तालिका 1.24** में दिया गया है:

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत व्यय	11,878	16,835	27,288	30,913	29,424
पूँजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.85	41.73	62.09	13.28	(-4.82)
पूँजीगत व्यय, वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत में)	2.47	3.11	4.21	4.24	3.64
राजस्व अधिशेष	6,268	5,740	3,770 ¹¹	4,629	6,744

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

2014–15 से 2017–18 के दौरान पूँजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई, जो पूँजीगत व्यय को वित्तोषित करने के लिये राजस्व अधिशेष की उपयोगिता को दर्शाता है। तथापि, यह पिछले वर्ष की तुलना में 2018–19 के दौरान ₹1,489 करोड़ (4.82 प्रतिशत) से कम हुआ, जो कि ऊर्जा के अन्तर्गत ₹5,207 करोड़ कम व्यय होने के कारण था। यह मुख्य रूप से उदय के अंतर्गत 2017–18 के दौरान ₹4,622 करोड़ के व्यय की तुलना में 2018–19 के दौरान कोई व्यय नहीं होने के कारण था।

1.10.3 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय का विवरण **तालिका 1.25** में दिया गया है।

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246	1,42,149
राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.89	21.12	19.81	8.96	9.14

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें)

2018–19 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹3,675 करोड़ से), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹2,694 करोड़ से), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹2,521 करोड़ से), ब्याज भुगतान (₹1,650 करोड़ से) तथा पुलिस (₹860 करोड़ से) के अन्तर्गत थी।

¹¹ उदय के प्रभाव को सम्मिलित कर, उदय के प्रभाव को छोड़ने पर राजस्व अधिशेष ₹7,781 करोड़ था।

1.10.4 प्रतिबद्ध व्यय

प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का मुख्य संघटक है तथा 2018–19 के दौरान इसमें राजस्व व्यय ($\text{₹}1,42,149$ करोड़) का 51.47 प्रतिशत प्रयुक्त हुआ। तालिका 1.26 2014–19 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है तथा चार्ट 1.13 राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों के हिस्से को दर्शाती है।

तालिका 1.26: प्रतिबद्ध व्यय में संघटकों की प्रवृत्तियाँ


प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट आकलन	वास्तविक आंकड़े
वेतन* एवं मजदूरी	19,997 (22.56)	20,554 (19.48)	21,577 (17.50)	24,026 (17.81)	31,920 (20.48)	27,256 (18.31)
ब्याज भुगतान	7,071 (7.98)	8,091 (7.67)	9,079 (7.36)	11,045 (8.19)	12,867 (8.25)	12,696 (8.53)
पेंशन भुगतान	6,836 (7.71)	7,819 (7.41)	8,793 (7.13)	9,290 (6.89)	12,557 (8.06)	11,984 (8.05)
राजसहायताएं	9,954 (11.23)	11,725 (11.11)	16,512 (13.39)	19,381 (14.37)	22,510 (14.44)	21,222 (14.25)
कुल	43,858 (49.48)	48,189 (45.67)	55,961 (45.38)	63,742 (47.26)	79,854 (51.23)	73,158 (49.13)
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	53.24	48.30	46.81	48.94	51.31	51.47

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं

*सहायतानुदान से भुगतान किए गए वेतन भी सम्मिलित है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 2018–19 की बजट पुस्तिकाएं)

चार्ट 1.13: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के संघटक के अंश (प्रतिशत में)



1.10.4.1 वेतन एवं मजदूरी

2018–19 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 13.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2017–18 में 11.35 प्रतिशत थी। तथापि वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय राज्य शासन द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण ($\text{₹}31,920$ करोड़) में किये गये मूल्यांकन से $\text{₹}4,664$ करोड़ कम था।

1.10.4.2 ब्याज भुगतान

2014–19 के दौरान, ब्याज भुगतान में संयोजित वार्षिक वृद्धि दर 15.76 प्रतिशत की दर से $\text{₹}5,625$ करोड़ की वृद्धि हुई। 2018–19 में ब्याज भुगतान का मुख्य संघटक बाजार के ऋण पर ब्याज ($\text{₹}7,330$ करोड़) था।

1.10.4.3 राजसहायताएं

2018–19 के दौरान राजसहायताओं पर राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई राजसहायताओं का विभागवार / शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। मुख्य गतिविधियां जिन्हें राजसहायता दी गई वे ऊर्जा: ₹9,684 करोड़ (45.63 प्रतिशत); कृषक कल्याण एवं कृषि विकास गतिविधियां: ₹5,708 करोड़ (26.90 प्रतिशत) एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण: ₹932 करोड़ (4.39 प्रतिशत) के अंतर्गत थीं।

1.10.4.4 पेंशन भुगतान

2018–19 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹11,983.83 करोड़ था, जिसमें से ₹728.88 करोड़, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) पर खर्च किया गया था, जिस पर नीचे चर्चा की गयी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

नवीन पेंशन योजना को 1 जनवरी 2005 से प्रारंभ में शासकीय कर्मचारियों के लिये अभिकल्पित किया गया था। आगे इसे, 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में पुनर्संरचित किया गया। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसमें राज्य शासन द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से अंतरित की जाती है।

2018–19 के दौरान कुल संग्रहित अंशदान ₹1,153.70 करोड़ (कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान) में से राज्य शासन ने एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹1,040.60 करोड़ ही अंतरित किया था। इस प्रकार 2018–19 के दौरान योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश के लिए मनोनीत प्राधिकारी को ₹113.10 करोड़ कम अंतरण किया गया था। इस प्रकार वर्तमान देयताएं भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित हैं। आगे, राज्य शासन ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित नहीं की गई राशि पर परिहार्य ब्याज देयताएं सृजित की हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती न किया जाना

2018–20 के दौरान मध्य प्रदेश में पुलिस अधीक्षक/सेनानी, विशेष सशस्त्र बल/हॉक फोर्स के कुल 102¹² कार्यालयों में से 86¹³ कार्यालयों (84 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी। इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि छह कार्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती नहीं हुई, जहाँ नियोक्ता ने 3,310 कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग एवं महंगाई भत्ते के बकाए से न तो राशि ₹35.54 लाख के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान की कटौती की और न ही समान अंशदान का मिलान किया। विवरण तालिका 1.27 के भाग (क) में दिया गया है।

इसी प्रकार, 2018–20 के दौरान खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) के कुल 322 कार्यालयों में से 143 कार्यालयों (44 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी। इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पॉच कार्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती नहीं हुई, जहाँ नियोक्ता ने 140 कर्मचारियों के वेतन से न तो राशि ₹25.39 लाख के एन.पी.एस. अंशदान की कटौती की और न ही समान अंशदान का मिलान किया। विवरण तालिका 1.27 के भाग (ख) में दिया गया है।

¹² पुलिस अधीक्षक के 77 कार्यालय, सेनानी, विशेष सशस्त्र बल के 24 कार्यालय और सेनानी हॉक फोर्स का एक कार्यालय शामिल है।

¹³ पुलिस अधीक्षक के 66 कार्यालय, सेनानी, विशेष सशस्त्र बल के 19 कार्यालय और सेनानी हॉक फोर्स का एक कार्यालय शामिल है।

तालिका 1.27: 7वें वेतन आयोग के बकायों/वेतन से एन.पी.एस. की कटौती नहीं किये जाने का इकाईवार विवरण

सं. क्र.	कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा का वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	अवधि जिस के दौरान कटौती नहीं की गई	कर्मचारी अंशदान जिसकी कटौती नहीं की गई	नियोक्ता का समरूप अंशदान	(₹ लाख में)	
(क) 7वें वेतन आयोग के बकायों से एन.पी.एस. की कटौती न होने वाले प्रकरण								
1.	पुलिस अधीक्षक, मुरैना	2018-19	672	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	9.22	9.22	18.44	
2.	पुलिस अधीक्षक, मन्दसौर	2018-19	571	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	6.45	6.45	12.90	
3.	सेनानी, हॉक फोर्स, भोपाल	2019-20	787	जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017	6.17	6.17	12.34	
4.	सेनानी, 8वां बटालियन, एस.ए.एफ, छिन्दवाड़ा	2018-19	399	जुलाई 2017 से अगस्त 2017	2.66	2.66	5.32	
5.	पुलिस अधीक्षक, खण्डवा	2019-20	474	जुलाई 2017 से नवम्बर 2017	5.97 ¹⁴	5.97	11.94	
6.	पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर	2019-20	407	जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017	5.07	5.07	10.14	
योग (क)				3,310	35.54	35.54	71.08	
(ख) वेतन से एन.पी.एस की कटौती न होने वाले प्रकरण								
1.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया, जिला— दमोह	2019-20	14	अप्रैल 2017, जून 2017 और अगस्त 2017	0.92	0.92	1.84	
2.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, हट्टा, जिला— दमोह	2018-19	51	जून 2017 और अगस्त 2017	1.22	1.22	2.44	
3.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मालथौन, जिला— सागर	2019-20	30	अगस्त 2018	0.75	0.75	1.50	
4.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, गुना	2018-19	28	नवम्बर 2014 से अगस्त 2018	15.54	15.54	31.08	
5.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कुरवाई, विदिशा	2018-19	17	मार्च 2017 से सितम्बर 2018	6.96	6.96	13.92	
योग (ख)				140	25.39	25.39	50.78	
महायोग (क एवं ख)				3,450	60.93	60.93	121.86	

(झोत: संबंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी)

¹⁴ महंगाई भत्ते के बकाए से सम्बन्धित ₹0.62 लाख सहित

तालिका 1.27 से यह देखा जा सकता है कि नियोक्ताओं ने 3,450 राज्य शासकीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के बकायों एवं वेतन से न तो राशि ₹60.93 लाख के अंशदान की कटौती की और न ही शासन ने समान अंशदान का मिलान किया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक को ₹121.86 लाख का कम अंतरण हुआ। इसने शासकीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ से वंचित किया।

इंगित किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक एवं सेनानियों ने उत्तर दिया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर में बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान की कटौती के लिये प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण कटौती नहीं की जा सकी तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने उत्तर दिया कि अंशदान की कटौती स्थाई निवृत्ति खाता संख्या (पी.आर.ए.एन.) की प्राप्ति न होने के कारण नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमुख सचिव वित्त विभाग ने समस्त विभागाध्यक्षों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के बकायों को पूर्व पद्धति के अनुसार आहरित करने हेतु निर्देशित (सितम्बर 2017) किया था, जब तक कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव नहीं किया जाता। आगे, सचिव, वित्त विभाग ने अपने आदेश (जनवरी 2016) में स्थाई निवृत्ति खाता संख्या बनाने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से 20 दिन का समय निर्धारित किया था।

1.10.5 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2014–15 एवं 2018–19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण **तालिका 1.28** में किया गया है।

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय#/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय	(प्रतिशत में)
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014–15	15.99	68.51	36.15	32.36	14.02	16.54	4.92	
मध्य प्रदेश का अनुपात 2014–15	22.25	74.86	31.98	42.88	11.12	15.50	4.46	
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2018–19	16.05	67.04	36.59	30.45	14.28	14.99	5.07	
मध्य प्रदेश का अनुपात 2018–19	21.33	73.03	37.46	35.57	17.04	15.74	4.48	

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज एवं अग्रिम सम्मिलित है।

2018–19 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से, स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर अधिक था।

1.10.6 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर पूँजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण नीचे तालिका 1.29 में दिया गया है:

सामाजिक/आर्थिक अधोसंचना	2017-18				2018-19		
	कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		कुल व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख-रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख-रखाव	
कुल (सामाजिक सेवाएं)	8.38	12,565	429	8.84	14,061	356	
कुल (आर्थिक सेवाएं)	42.25	3,842	1,250	37.42	4,201	954	
कुल (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	24.60	16,408	1,679	22.76	18,262	1,310	
सामाजिक सेवा के मुख्य संघटक							
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2.82	8,232	28	3.47	9,105	30	
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	13.96	2,828	19	15.74	3,223	16	
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	11.91	323	363	16.66	376	285	
अन्य सामाजिक सेवाएं	10.35	1,183	19	6.18	1,357	25	
आर्थिक सेवा के मुख्य संघटक							
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	3.18	2,424	16	10.68	2,581	15	
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	92.51	660	74	88.76	715	65	
विद्युत तथा ऊर्जा	36.84	1	19	17.85	1	12	
परिवहन	85.31	82	490	87.03	157	364	
अन्य आर्थिक सेवाएं	20.98	676	651	25.93	747	498	

(स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी. आंकड़े 2017–18 एवं 2018–19)

- विगत वर्ष की तुलना में 2018–19 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष में पूँजीगत व्यय का अंश सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 0.46 प्रतिशत से बढ़ा और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 4.83 प्रतिशत से कम हुआ।
- 2017–18 की तुलना में 2018–19 में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन और मजदूरी का अंश ₹1,854 करोड़ (11.30 प्रतिशत) से बढ़ा। राजस्व व्यय में प्रचालन तथा रख-रखाव व्यय का कुल अंश ₹369 करोड़ (21.98 प्रतिशत) से कम हुआ।

1.11 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.11.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आंकलन हेतु किया गया था। 2014–19 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम तालिका 1.30 में दर्शित है।

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	तेरहवें वित्त आयोग (2010–15)/चौदहवें वित्त आयोग (2015–20) की लागत वसूली आंकलन		राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
			4	5	
			₹ करोड़ में	प्रतिशत में	
2014-15	437	839	75.00	52.09	
2015-16	483	625	35.00	77.28	
2016-17	574	680	35.00	84.41	
2017-18	524	637	35.00	82.26	
2018-19	809	1,052	35.00	76.90	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली 2014–15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन से कम था। यद्यपि, 2015–16 से इसमें सुधार हुआ और 2015–19 के दौरान यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन से अधिक था।

1.11.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण कार्यों पर निधियों को अवरुद्ध रखने से व्यय की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखों में दिए गए अपूर्ण परियोजनाओं के विवरण को तालिका 1.31 में सारांशीकृत किया गया है।

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी वास्तविक व्यय	परियोजनाओं की संख्या जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी थी	परियोजना की आंकित लागत जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी थी		
					आरंभिक	पुनरीक्षित आंकित लागत	लागत वृद्धि
सिंचाई	33	3,463.98	2,803.76	05	567.58	1,503.81	936.23
लोक निर्माण विभाग	22	217.44	146.77	01	12.00	16.47	4.47
कुल	55	3,681.42	2,950.53	06	579.58	1,520.28	940.70

(स्रोत: वित्त लेखे 2018–19 का परिशिष्ट IX)

तालिका 1.31 से यह देखा जा सकता है कि परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब के परिणामस्वरूप परिकल्पित लाभ में विलंब के अलावा छह परियोजनाओं में ₹940.70 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

1.11.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2019 तक, शासन ने ₹35,240.10 करोड़ का निवेश 41 शासकीय कंपनियों (₹24,349.56 करोड़), 34 सांविधिक निगमों (₹9,259.66 करोड़), 130 सहकारी संस्थाओं (₹1,629.57 करोड़) एवं 24 संयुक्त स्टॉक कंपनियों और साझेदारियों (₹1.31 करोड़) में किया था।

2014–19 के दौरान निवेशों पर प्रतिलाभ/प्राप्त ब्याज की स्थिति तालिका 1.32 में दी गई है।

तालिका 1.32: निवेशों पर प्रतिलाभ					
निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	15,029	15,524	21,827	29,537	35,240
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	80.35	129.64	231.50	622.36	347.26
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.53	0.83	1.06	2.11	0.99
शासन द्वारा लिए गए उधारों पर औसत ब्याज दर ¹⁵ (प्रतिशत)	6.88	6.86	6.42	6.73	6.92
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.35	6.03	5.36	4.62	5.93

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

¹⁵ ब्याज भुगतान/[पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं]/2]*100

2018–19 के दौरान, इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.99 प्रतिशत था, जबकि शासन ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.92 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। हालांकि, इन संस्थानों में निवेश का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं था, बल्कि लोकहित को देखना था।

1.11.4 राज्य शासन द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

तालिका 1.33, 31 मार्च 2019 की स्थिति में बकाया कर्ज एवं अग्रिमों तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान प्रस्तुत करती है।

कर्ज / ब्याज प्राप्तियाँ / उधारियों की लागत की मात्रा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (₹ करोड़ में)
कर्ज एवं अग्रिम का प्रारंभिक शेष	32,072	37,842	40,827 ¹⁶	44,989 ¹⁷	41,124 ¹⁸
वर्ष के दौरान संवितरित राशि	12,535	3,158	4,941	1,550	1,090
वर्ष के दौरान वसूली की राशि	6,765	162	772	5,070	70
कर्ज तथा अग्रिम का अंतिम शेष	37,842	40,838	44,996	41,469	42,144
कर्ज तथा अग्रिम का निवल संयोजन	5,770	2,996	4,169	(-)3,520	1,020
ब्याज प्राप्तियाँ	1,058	139	62	97	235
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	2.80	0.34	0.14	0.23	0.56
शासकीय उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.88	6.86	6.42	6.73	6.92
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	4.08	6.52	6.28	6.50	6.36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2018–19 के दौरान 6.92 प्रतिशत की दर से उधार पर दिये गये औसत ब्याज को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर मात्र 0.56 प्रतिशत थी।

शासन द्वारा दिए गए कर्जों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्रक 18 के भाग 1 में विस्तार से दिया गया है।

1.11.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.34 2018–19 के दौरान रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों में से राज्य शासन द्वारा किए गए निवेशों का चित्रण करती है।

¹⁶ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभ शेष ₹10.21 करोड़ से कम हुआ

¹⁷ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभ शेष ₹6.74 करोड़ से कम हुआ

¹⁸ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभ शेष ₹345.35 करोड़ से कम हुआ

तालिका 1.34: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश		
विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष	(₹ करोड़ में) 31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
रिजर्व बैंक में जमा	(-693.65)	(-)3,663.52 ¹⁹
पारगमन में प्रेषण— स्थानीय	--	--
कुल	(-693.65)	(-)3,663.52
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	7,412.19	8,638.46
कुल (अ)	6,718.54	4,974.94
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	(-0.23)	(-)3.17
स्थायी पेशागी	0.83	0.83
उद्दिष्ट निधि से निवेश	416.42	416.42
कुल (ब)	417.02	414.08
महायोग (अ)+(ब)	7,135.56	5,389.02

(स्रोत: 2017–18 एवं 2018–19 के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों के दौरान समापन रोकड़ शेष की स्थिति ₹5,401.96 करोड़ (मार्च 2015 को) से ₹10,993.66 करोड़ (मार्च 2017 को) तक वृद्धि की प्रवृत्ति तथा उसके बाद ₹5,389.02 करोड़ (मार्च 2019 को) तक कमी/गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। 2018–19 के दौरान रोकड़ शेष 2017–18 की तुलना में ₹1,746.54 करोड़ से घटकर ₹7,135.56 करोड़ के प्रारंभिक रोकड़ शेष से ₹5,389.02 करोड़ अन्तिम रोकड़ शेष रह गया। यह प्रशंसनीय है कि राज्य शासन ने अपना शेष ₹1,746.54 करोड़ से कम किया। रोकड़ शेष निवेश ₹10,628 करोड़ (31 मार्च 2017 को) से घटकर 31 मार्च 2019 को ₹8,638.46 करोड़ हो गया, जिसमें मार्च 2019 की स्थिति में राज्य शासन के आंतरिक ऋण (₹28,701 करोड़) का 30.01 प्रतिशत समाहित था। आधिक्य रोकड़ शेष को भारत सरकार के ट्रेजरी बिल में निवेश किया गया।

निवेश खाते में आधिक्य रोकड़ शेष ₹8,638.46 करोड़ था जबकि राज्य शासन ने 2018–19 के दौरान ₹20,496 करोड़ का बाजार से कर्ज लिया। राज्य शासन के पास आधिक्य रोकड़ शेष मुख्यतः लोक ऋण के अंतर्गत बाजार कर्ज लेने के कारण था। वृहत् रोकड़ शेष, राज्य शासन के लिए ब्याज लागत भार को बढ़ाता है। ब्याज भुगतान का मुख्य संघटक बाजार कर्ज (₹7,330 करोड़) पर ब्याज था। राज्य शासन अपने पास उपलब्ध आधिक्य रोकड़ शेष का उपयोग कर के उधारियों एवं ब्याज के भार को कम कर सकता था।

1.12 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.12.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना

विद्यमान शासकीय लेखांकन पद्धति में शासन की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखांकन नहीं किया गया है। तथापि, शासकीय लेखे, शासन की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2018 की समतुल्य स्थिति की तुलना करते हुए 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार परिशिष्ट 1.8 प्रस्तुत करती है।

¹⁹ मार्च 2019 के समापन पर, कोषालय अधिकारियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंसी बैंक द्वारा लेखों में लेन–देनों के गलत रिपोर्टिंग के कारण वित्त लेखों में दर्शित आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित “रिजर्व बैंक के साथ जमा” के अंतर्गत ₹2,302.81 करोड़ के बीच ₹1,360.71 करोड़ का निवल अंतर था।

1.12.2 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

राज्य शासन के लेखों में 11 आरक्षित निधियां हैं जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हैं। विवरण तालिका 1.35 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.35: 2016–19 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति							(₹ लाख में)
संक्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या	1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष	2016–19 के दौरान प्राप्तियाँ	2016–19 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष	
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	02 00	77,046.44	5,28,212.92	5,28,189.00	7,542.76 ²⁰	
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ							
1	8223-सूखा राहत निधि	- 01	598.15	-	-	598.15	
2	8226-मूल्य हास/नवीकरण आरक्षित निधि	- 01	463.58	-	-	463.58	
3	8228-राजस्व आरक्षित निधि	- 01	2,409.27	-	-	2,409.27	
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	03 01	6,92,459.58	2,89,476.97	3,85,557.68	5,96,378.87	
5	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	01 01	2.21	1,420.72	1,420.72	2.21	
कुल		06 05	7,72,979.23	8,19,110.61	9,15,167.40	6,07,394.84²⁰	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों)

2016–19 की अवधि के दौरान ₹6,073.95 करोड़ के शेष के साथ कुल 11 आरक्षित निधियों में से ₹35.03 करोड़ के शेष के साथ पॉच²¹ निधि असंचालित थी। 31 मार्च 2019 के अंत में आरक्षित निधि 8229-विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत पड़े ₹5,963.79 करोड़ में से मात्र ₹0.07 करोड़ का निवेश किया गया था।

1.12.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि राज्य भारत सरकार से प्राप्त राशि को प्राप्ति के 15 दिन के भीतर राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित करेगा तथा किसी भी देरी की स्थिति में राज्य शासन से देरी के दिनों की संख्या के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर पर ब्याज सहित राशि जारी करेगी। आगे, राज्य, राज्य आपदा मोचन निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष नियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिविकर्ष पर देय ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

²⁰ 2018–19 के दौरान छत्तीसगढ़ को ₹2,727.60 लाख प्रोफॉर्मा अंतरण एवं 2017–18 के दौरान ₹66,800 लाख के प्रोफॉर्मा संशोधन के कारण समापन शेष ₹69,527.60 लाख से कम हुआ

²¹ 1. 8223–101— सूखा राहत निधि 2. 8226–102— शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि, 3. 8229–103— कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधियां, 4. 8228–101— राजस्व आरक्षित निधियां, 5. 8235–200— अन्य निधियां

1 अप्रैल 2018 की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि में शेष ₹75.19 करोड़ था। 2018–19 के दौरान, राज्य शासन ने भारत सरकार से ₹914.40 करोड़ प्राप्त किया था। राज्य शासन ने इस राशि को अपने अंश ₹101.60 करोड़ के साथ राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित किया था। वर्ष 2018–19 के दौरान म.प्र. शासन ने प्राकृतिक आपदा पर ₹1,016 करोड़ का व्यय किया था। तथापि, वर्ष के दौरान शेष राशि ₹75.19 करोड़ निवेश नहीं किया गया था तथा ब्याज की कोई भी राशि (₹6.20 करोड़²²) निधि में जमा नहीं की गयी थी।

भारत सरकार ने 27 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता के रूप में ₹334 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया था। तथापि, मध्य प्रदेश शासन ने उस राशि को 31 मार्च 2019 के अंत तक राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित नहीं किया। राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन को भुगतान नहीं की गई राशि ₹334 करोड़ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से ₹10.44 करोड़ के ब्याज का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि में किया जाना अपेक्षित था।

राज्य आपदा मोचन निधि को निधियों के अंतरण न करने एवं ब्याज के भुगतान न करने के कारण ₹350.64 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.12.2.2 प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी.आर.एफ.)

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन से 2018–19 के दौरान निधि में ₹51.92²³ करोड़ का अंशदान किया जाना अपेक्षित था, किंतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसी राशि का अंशदान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹51.92 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया। 31 मार्च 2019 की स्थिति में, ₹30,763.38 करोड़ की कुल बकाया प्रत्याभूति के विरुद्ध निधि में ₹408.79 करोड़ शेष था जो कि केन्द्र सरकार की दिनांकित सिक्योरिटी में निवेशित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य शासन के पास प्रत्याभूति विमोचन निधि में पर्याप्त शेष था।

1.12.2.3 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है।

तथापि, राज्य शासन ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य शासन ने 2018–19 में ₹861.82 करोड़ (31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹1,72,363.11 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान नहीं किया। इस प्रकार, ₹861.82 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटे पर की गयी टिप्पणी से सहमत नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं करने का निर्णय किया था तथा लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर की गयी टिप्पणी से सहमत नहीं था।


तथापि, इस पर ध्यान देना उचित है कि राज्य शासन ने वर्ष 2018–19 के बजट में समेकित निक्षेप निधि के लिए ₹1,000 के एक टोकन का प्रावधान किया था।

²² भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष नियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिविकर्ष पर लागू 8.25 प्रतिशत की औसत दर पर परिकलित

²³ 2017–18 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के रूप में जारी ₹25.96 करोड़ एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान अंश

1.12.3 आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

2018–19 के दौरान, कुल बकाया प्रत्याभूतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम²⁴ के अंतर्गत तय अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गयी बकाया प्रत्याभूतियों एवं अधिकतम प्रत्याभूति राशि का विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिया गया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में क्षेत्रवार बकाया प्रत्याभूतियों के संघटक को **चार्ट 1.14** में दर्शाया गया है।



मध्य प्रदेश शासन ने 2018–19 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छः²⁵ ईकाइयां (₹14,019 करोड़), सहकारी क्षेत्र का एक²⁶ संस्थान (₹5,150 करोड़), शहरी विकास एवं आवास के छः²⁷ संस्थान (₹6,283 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच²⁸ संस्थान (₹28,888 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम (₹1,300 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2018–19 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कुल प्राप्य ₹81.06 करोड़ में से ₹14.73 करोड़ प्राप्त किया था।

1.13 ऋण प्रबंधन

1.13.1 राज्य शासन की राजकोषीय देयताओं की संरचना

2014–15 से 2018–19 के दौरान राज्य शासन की राजकोषीय देयताओं की संरचना का विस्तृत विवरण **तालिका 1.36** में दिया गया है।

²⁴ कुल प्रत्याभूतियां, पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्ति के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए

²⁵ 1. मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 2. मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 3. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर 4. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, 5. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, 6. मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

²⁶ 1. क्रेडिट सहकारिता

²⁷ 1. नगर निगम, 2. नगर पालिका, 3. नगर पंचायत, 4. राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, 5. नगर परिषद, 6. मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

²⁸ 1. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 2. मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, 3. मध्य प्रदेश खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग, 4. लोक निर्माण कार्य विभाग, 5. उच्च शिक्षा

उधारियों की प्रकृति	शेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(क) लोक ऋण					
राज्य शासन के आंतरिक ऋण ²⁹	69,008	83,718	1,08,391	1,23,683	1,40,009
भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम	13,254	13,668	13,917	14,741	17,389
कुल (क)	82,262	97,386	1,22,308	1,38,424	1,57,398
(ख) अन्य लोक लेखे दायित्व					
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	12,659	13,682	14,493	14,331	16,577
आरक्षित निधियां	5,995	7,730	7,218	5,512	6,074
जमा	7,772	8,346	11,781	14,096	14,260
कुल (ख)	26,426	29,758	33,492	33,939	36,911
राज्य शासन का कुल ऋण भंडार ³⁰	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309
(क + ख)					

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014–15 से 2018–19 के पाँच वर्षीय अवधि के दौरान राज्य शासन का कुल ऋण भंडार ₹96,824 करोड़ (1 अप्रैल 2014) से बढ़कर ₹1,94,309 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया था। लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा का विस्तृत विवरण **तालिका 1.37** में दिया गया है।

परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम	कुल	₹ करोड़ में)	
				प्रतिशत	
1 से 3 साल	16,685	1,243	17,928	11.39	
3 से 7 साल	41,238	2,199	43,437	27.60	
7 साल से ऊपर	72,135	960	73,095	46.44	
परिपक्वता वर्ष उपलब्ध नहीं है	9,951	12,987	22,938	14.57	
कुल	1,40,009	17,389	1,57,398	100.00	

(स्रोत: वित्त लेखे 2018–19)

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा से परिलक्षित हुआ कि मोचन बाध्यता/दबाव वर्ष 2024–25 से बढ़ना संभावित था तथा यह मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण की परिपक्वता के कारण वर्ष 2027–28 में अधिकतम होगा।

1.13.2 उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता

2014–19 के दौरान लोक ऋण एवं लोक लेखे देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतानों के कारण निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण **तालिका 1.38** में दिया गया है।

²⁹ आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज एवं वित्तीय संस्थानों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य संस्थाओं से कर्ज समाहित है।

³⁰ तालिका 1.36 में 2016–17 के दौरान कुल ऋण में उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना से उधारियां समाहित हैं ताकि वित्त लेखों से आंकड़ों का मिलान किया जा सके। उदय की उधारियों को छोड़कर कुल ऋण ₹1,48,440 करोड़ था, जो कि 2016–17 के लिए ऋण संधारणीयता एवं अन्य राजकोषीय मानदंडों के परिकलन के लिए लिया गया था।

तालिका 1.38: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के कारण निधियों की निवल उपलब्धता (₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियाँ	35,552	49,524	64,106	52,579	71,063
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	30,759	39,157	44,528	45,551	61,783
निवल निधि उपलब्ध	4,793	10,367	19,578	7,028	9,280
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियाँ को उपलब्ध निवल निधियों का प्रतिशत	13.48	20.93	30.54	13.37	13.06

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 1.38** से स्पष्ट है, 2018–19 के दौरान उधार ली गई निधियों के 86.94 प्रतिशत का उपयोग मौजूदा देयताओं के निर्वहन के लिए किया गया था तथा राज्य की पूंजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका।

1.13.3 ऋण संधारणीयता

ऋण संधारणीयता राज्य की भविष्य में अपने ऋणों की सेवा करने की क्षमता को इंगित करता है। राजकोषीय देनदारियों को धारणीय माना जाता है यदि शासन भविष्य में इन देनदारियों के स्टॉक की सेवा करने में सक्षम है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात असहनीय अनुपात में नहीं बढ़ता है। **तालिका 1.39**, 2014–15 से आरंभ पाँच वर्षों के लिए ऋण संधारणीयता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.39: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)					
ऋण संधारणीयता के संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17 ³¹	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के लिए उपलब्ध निवल निधि	4,793	10,367	19,578	7,028	9,280
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात) (प्रतिशत में)	7.98	7.67	7.36	8.19	8.53
राजस्व प्राप्तियाँ	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
बकाया ऋण (राजकोषीय देयताएं)	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309
बकाया ऋण की संवृद्धि दर (राजकोषीय देयताएं) (प्रतिशत में)	12.25	16.98	22.54	10.63	12.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.21	12.76	19.89	12.24	11.13
बकाया ऋण (राजकोषीय देयताएं)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	22.65	23.49	24.01	23.67	24.01
ब्याज भुगतान	7,071	8,091	9,079	11,045	12,696
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.88	6.86	6.42	6.73	6.92

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऋण संधारणीयता के लिए एक आवश्यक शर्त ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में स्थिरता है। 2017–19 के दौरान ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्ति का अनुपात 8.19 प्रतिशत से बढ़कर 8.53 प्रतिशत हो गया तथा ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी 2017–18 में 23.67 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 के दौरान 24.01 प्रतिशत हो गया।

³¹ उदय के प्रभाव को शामिल कर

जैसा कि कंडिका 1.5 में वर्णित है राज्य शासन 2014–19 के दौरान राजकोषीय घाटे तथा ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य से नीचे रखने में सक्षम रहा। तथापि, ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्ति (ब्याज भुगतान का भार) के अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तथा वास्तव में यह अनुपात 7.36 प्रतिशत (2016–17) से बढ़कर 8.53 प्रतिशत (2018–19) हो गया। इस प्रकार, राजकोषीय घाटे से सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा ऋण भंडार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए लक्ष्यों को हासिल करने के बावजूद, ब्याज भुगतान की गति, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 तक लक्षित स्तर पर राजकोषीय समेकन के लिए प्रत्याशित राह पर होती हुई प्रतीत नहीं होती।

1.13.4 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों³² एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में ₹26,055 करोड़ (मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल ऋण ₹34,739 करोड़ का 75 प्रतिशत) मूल्य के ऋण को पॉच³³ वर्षों में अधिग्रहण करेगी। 2018–19 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन को ₹4,622 करोड़ का ऋण अनुदान के रूप में अधिग्रहण करना था। ऐसा नहीं किया गया था। तथापि, जैसा कि समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्ध था, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2017–18 के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को हुयी हानि का पॉच प्रतिशत राशि ₹253.21 करोड़ का अधिग्रहण किया था।

उत्तर में अवर सचिव, वित्त विभाग ने बताया (दिसंबर 2019) कि विद्युत वितरण कंपनियों को राशि के अंतरण हेतु पात्र होने के लिये कुछ मापदंड निर्धारित किये गये थे, तथा वितरण कंपनियों मापदंडों को जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिकल्पित था पूर्ण नहीं कर सकी। आगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तय विभिन्न वित्तीय एवं राजकोषीय लक्ष्यों की अनुपालना के लिये अन्य प्राथमिकताओं (जैसे किसानों का ऋण माफ करना, विद्युत शुल्क कम करना, किसानों को फसल का उचित मूल्य देना इत्यादि) एवं आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए, उदय के अंतर्गत कोई लेन–देन नहीं किया गया था।

ज्ञापन समझौते में किए गए कर्तव्यों के गैर–अनुपालन ने उदय के मुख्य उद्देश्य को निष्फल किया। इसके अलावा, यदि मध्य प्रदेश शासन ने विद्युत वितरण कंपनियों को 2018–19 के दौरान ₹4,622 करोड़ अंतरित किया होता तो राज्य का राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹2,122 करोड़ एवं ₹28,310 करोड़ होते जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तय सीमा के भीतर होता।

1.14 आगे की कार्यवाही/निरंतरता

वर्ष 2008–09 के बाद राज्य के वित्त पर पृथक प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं तथा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी इन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करना बाकी है।

³² मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

³³ 1. 2016–17 के दौरान ₹7,568 करोड़, 2. 2017–18 के दौरान ₹4,622 करोड़, 3. 2018–19 के दौरान ₹4,622 करोड़, 4. 2019–20 के दौरान ₹4,622 करोड़, 5. 2020–21 के दौरान ₹4,621 करोड़

1.15 निष्कर्ष

2018–19 के दौरान राज्य शासन ने अपनी राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, यद्यपि यह उस वर्ष के लिए बजट में लक्षित सीमा को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके स्वयं के कर प्राप्तियों में 13.55 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्यतः माल एवं सेवा कर प्राप्तियों के कारण, के अलावा वर्ष 2018–19 के दौरान करेतर राजस्व में 31.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए ₹1,153.70 करोड़ (कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान) के कुल एकत्रित अंशदान में से राज्य शासन ने केवल ₹1,040.60 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित किया। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पुलिस एवं शिक्षा विभाग के 11 कार्यालयों में वेतन तथा बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की गैर कटौती के प्रकरण परिलक्षित हुए।

2018–19 के दौरान राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर विकास व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, सिवाय स्वास्थ्य (4.48 प्रतिशत) पर व्यय के जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों (5.07 प्रतिशत) से कम था।

राज्य ने सहायतानुदान में से किए गए व्ययों के लेखांकन प्रशोधन के संबंध में भारतीय शासकीय लेखांकन मापदंड (IGAS-2) का गैर अनुपालन जारी रखा जिसके प्रभाव से राजस्व अधिशेष को बढ़ाने के अलावा विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत इसके व्ययों को अशुद्ध दर्शाया गया।

राज्य शासन ने उदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अपने ज्ञापन समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का सम्मान नहीं किया। इसने समेकित निक्षेप निधि भी गठित नहीं किया तथा निधि में ₹861.82 करोड़ का अनिवार्य अंशदान नहीं किया। आगे, प्रत्याभूति मोचन निधि में कम अंशदान किया गया था।

1.16 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह सहायतानुदान से पूरित व्यय के वर्गीकरण की समीक्षा करे तथा अपना बजट तैयार करने एवं इस संबंध में व्यय का पुस्तांकन करने में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके राजकोषीय मापदंड जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा एवं राजकोषीय घाटा इसके वित्तों की सही स्थिति दर्शाए।
- ii) राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शासकीय विभागों द्वारा कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योगदान की कटौती सतर्कतापूर्वक की जाती है, ऐसे कटौतियों की अपने योगदान से मिलान करने तथा निधियों को ब्याज सहित शीघ्रतापूर्वक निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र गठित करने की आवश्यकता है।
- iii) राज्य शासन को राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु जारी निधियों को ब्याज सहित प्राथमिकता पर राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित करने की भी आवश्यकता है।
- iv) राज्य शासन को विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के संबंध में भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय ज्ञापन समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का सम्मान करने की आवश्यकता है।

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2 – वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि नीति स्तर पर लिए गए निर्णय प्रशासनिक स्तर पर निधियों के बिना किसी व्यपवर्तन या अपव्यय के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हैं। यह अध्याय राज्य शासन की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजट नियमन की पारदर्शिता एवं उसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

राज्य शासन अपने वार्षिक बजट तथा अनुदानों/विनियोगों की 74 मांगों की प्रस्तुति द्वारा राज्य की समेकित निधि में से व्यय के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करता है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग के पास अनुदान के लिए एक मांग होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागाध्यक्ष नीति निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए तथा अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक निधि का व्यय करने का उत्तरदायित्व लेता है।

वित्तीय वर्ष के क्रम के दौरान मूल प्रावधानित राशि के आधिक्य में व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। आगे, राज्य शासन वर्ष के दौरान विभिन्न विनियोग की ईकाइयां जहाँ बचत प्रत्याशित हैं से उन ईकाइओं को जहाँ अतिरिक्त व्यय परकल्पित है (उसी अनुदान/विनियोग के भीतर) निधियों को पुनर्विनियोजित/पुनर्आवंटित करती है।

2.2 विनियोगों की लेखापरीक्षा

विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा पारित विनियोग अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशि की तुलना में वित्त वर्ष के लिए शासन के व्यय का विवरण प्रदान करता है। ये लेखे विनियोग अधिनियम द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर प्राधिकृत पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष वास्तविक पूँजी एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं तथा मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, बचतें, अभ्यर्पित राशियां एवं पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभारित किये जाने वाली व्यय को इस प्रकार प्रभारित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

2.2.1 विनियोग लेखे का सारांश

2018–19 के दौरान 74 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति (₹ करोड़ में)					
व्यय की प्रकृति	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+) (प्रतिशत)	समर्पित राशि (प्रतिशत)	31 मार्च 2019 को समर्पित राशि (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
दत्तमत	I-राजस्व	1,70,758.94	1,28,643.71	(-)42,115.23 (24.66)	23,534.17 (55.88)
	II-पूंजीगत	37,622.21	29,995.66	(-)7,626.55 (20.27)	3,956.15 (51.87)
	III-कर्ज एवं अग्रिम	2,258.69	1,089.66	(-)1,169.03 (51.76)	823.13 (70.41)
योग दत्तमत		2,10,639.84	1,59,729.03	(-)50,910.81 (24.17)	28,313.45 (55.61)
प्रभारित	IV-राजस्व	14,938.76	14,573.48	(-)365.28 (2.45)	57.41 (6.13)
	V-पूंजीगत	226.55	3.94	(-)222.61 (98.26)	200.49 (90.06)
	VI-लोक ऋण-पुनर्भुगतान	12,497.52	13,523.72	(+)1,026.20 (8.21)	0.00
योग प्रभारित		27,662.83	28,101.14	(+)438.31 (1.58)	257.90 (58.84)
महायोग		2,38,302.67	1,87,830.17	(-)50,472.50 (21.18)	28,571.35 (56.61)
					21,102.80 (₹28,571.35 करोड़ का 73.86 प्रतिशत)

नोट: व्यय के वास्तविक आंकड़ों में दत्तमत राजस्व व्यय (₹1,031.59 करोड़), प्रभारित राजस्व व्यय (₹36.39 करोड़) और दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹574.35 करोड़) के अंतर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए समिलित किया गया है।

(स्रोत: विनियोग लेखे, वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2018–19)

₹50,472.50 करोड़ की निवल बचत, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 70 अनुदानों एवं 37 विनियोजन, पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 56 अनुदानों एवं छ: विनियोजन में ₹51,501.12 करोड़ की बचत से एक अनुदान एवं एक विनियोजन में ₹1,028.62 करोड़ के आधिक्य व्यय को घटाने के कारण थी। हांलाकि विभागों ने वर्ष के दौरान बचतों (₹28,571.35 करोड़) के 56 प्रतिशत का समर्पण किया, ₹21,102.80 करोड़ (₹28,571.35 करोड़ का 74 प्रतिशत) को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन ही समर्पण किया गया था।

तथ्य यह है कि बचत का 43 प्रतिशत (राशि ₹21,901.15 करोड़) को वर्ष के अंत में व्यपगत होने दिया गया था तथा इन बचतों (₹21,102.80 करोड़) के 74 प्रतिशत को वित्त वर्ष के अंतिम दिन ही समर्पित किया गया था, दर्शाता है कि राज्य शासन ने एक ऐसा बजट तैयार किया था जिसे क्रियान्वित करने की क्षमता राज्य शासन के पास नहीं थी तथा/या इनके विभागों ने परिकल्पित समय सीमा के भीतर आवंटित निधियों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आधारभूत कार्य नहीं किया था।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत राज्य शासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य शासन ने 2011–17 की अवधि से संबंधित 10 अनुदानों एवं आठ विनियोगों के आधिक्य व्यय ₹639.70 करोड़ का नियमन नहीं किया। विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है। 2018–19 के दौरान गृह विभाग (राजस्व दत्तमत) से संबंधित अनुदान संख्या-4

एवं लोक ऋण (पूँजी भारित) के अंतर्गत ₹1,028.62 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था, जैसा कि कंडिका 2.3.1.1 में चर्चा की है। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अधिक व्यय की नियमितीकरण की भी आवश्यकता है। आगे, यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जो प्रावधान करता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरूप राज्य विधान सभा द्वारा कानूनी रूप से किए गए विनियोग के अलावा कोई राशि/धन समेकित निधि से आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को हानि पहुँचाता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि लोक लेखा समिति की अनुशंसा अनुसार आधिक्य व्यय का नियमितीकरण किया जा रहा है।

2.3.1.1 वित्त विभाग (लोक ऋण) एवं गृह विभाग (अन्य व्यय) द्वारा आधिक्य व्यय

वित्त विभाग

लोक ऋण के अंतर्गत 2018–19 के दौरान बजट प्रावधान ₹12,497.52 करोड़ के विरुद्ध ₹13,523.72 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप ₹1,026.20 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। ऋण प्रबंधन से संबंधित आधिक्य व्यय के कारण नीचे दिए गए हैं:

- 8.40 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण (एम.पी.एस.डी.एल.) 2018 के मूल प्रावधान ₹1,010 करोड़ के विरुद्ध ₹2,010.25 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया।
- राज्य शासन ने 2018–19 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से आहरित राशि ₹3,376.38 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.) का पुर्णभुगतान किया; तथापि इसके लिए बजट में मात्र ₹2,000 करोड़ प्रावधानित था।
- 2018–19 के दौरान राज्य शासन ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए विशेष प्रतिभूतियों के अन्तर्गत राशि ₹1,885.53 करोड़ के ऋण का भी पुर्णभुगतान किया, जबकि इसके लिए बजट में मात्र ₹1,150 करोड़ प्रावधानित था।

उत्तर में, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर (फरवरी 2020) दिया कि आधिक्य 8.40 प्रतिशत एम.पी.एस.डी.एल. 2018 की राशि ₹1,000 करोड़ जो मार्च 2018 में परिपक्व होनी थी के पुनः जारी करने के कारण था, जिसके लिये लोक ऋण के अंतर्गत प्रत्याशित बचत के कारण अनुपूरक में ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया था। आगे, यह भी बताया गया कि आधिक्य व्यय न तो मार्च 2019 के लेखों में दर्शाया गया था और न ही प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय ने इसके बारे में सूचना दी थी। अपर मुख्य सचिव, वित्त ने आश्वस्त किया कि आधिक्य व्यय को लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के पश्चात् नियमित किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग 8.40 प्रतिशत एम.पी.एस.डी.एल. के पुनर्भुगतान की देयता से अवगत था, तथा उसे इसके लिए अनुपूरक प्रावधान बनाना चाहिए था। यह बजट नियंत्रण अधिकारी का प्रमुख उत्तरदायित्व भी है कि वह क्रमिक व्यय का ध्यान रखे तथा सुनिश्चित करे कि इसके व्यय आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय की लेखा पुस्तिकाओं के साथ किया जावें।

गृह विभाग

अनुदान संख्या 4 में शीर्ष 2235–60–102–6241–दिसंबर 1992 में घटित दंगों में मृत व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन, के अंतर्गत ₹ पाँच लाख के प्रावधान के विरुद्ध ₹3.36 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार शीर्ष 2235–60–200–0686–सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सहायता के अंतर्गत ₹ एक करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹13.61 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अनुदान संख्या 4 में कुल ₹2.42 करोड़ का आधिक्य हुआ।

उत्तर में गृह विभाग ने बताया (नवम्बर 2019) कि उनके अभिलेखों एवं बजट वितरण की स्थिति के अनुसार अनुदान में बचतें थीं तथा ₹ पाँच लाख के प्रावधान के विरुद्ध ₹2.64 लाख व्यय किया गया था तथा ₹ एक करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोषालय ने पहले ही 'सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सहायता एवं दिसंबर 1992 में दंगों में मृत व्यक्तियों की विधवाओं को पेंशन' योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा पेंशन वितरित कर दिया है तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बैंक स्कॉल एवं आई.एफ.एम.आई.एस. डाटा के आधार पर लेखे समेकित किए गए थे। गृह विभाग को व्यय का निरीक्षण मासिक लेखों के साथ-साथ आई.एफ.एम.आई.एस. दोनों से ही करना चाहिए था। इसे ये भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि इसके व्यय आंकड़े प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलाए गए थे।

गृह विभाग ने जिलाधीश, भोपाल, देवास एवं सतना को आई.एफ.एम.आई.एस. में उपलब्ध आंकड़ों को कोषालय से मिलान करने के लिए निर्देशित (दिसम्बर 2019) किया था, तथापि, इस संबंध में कोई पुष्टिकरण प्राप्त (सितम्बर 2020) नहीं हुआ था।

2.3.2 बचतें

वर्ष 2018–19 के दौरान 61 प्रकरण ऐसे थे जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, (परिशिष्ट 2.2)। परिशिष्ट 2.3 में 27 अनुदानों/विनियोगों से सम्बन्धित 39 प्रकरणों में बचतों का विवरण दिया गया है जिनमें ₹43,411.37 करोड़ की बचत हुई जहाँ प्रत्येक प्रकरण में ₹100 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचत थी।

2018–19 के दौरान 17 प्रकरणों में बचतें ₹500 करोड़ से अधिक थी जिसका विवरण तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 500 करोड़ से अधिक बचतों वाले अनुदानों की सूची					
स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	(₹ करोड़ में) बचत का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत					
1	17—सहकारिता	1,391.24	505.83	885.41	63.64
2	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	16,864.45	9,746.14	7,118.31	42.21
3	12—ऊर्जा	16,326.82	9,811.34	6,515.48	39.91
4	22—नगरीय विकास एवं आवास	8,094.92	4,941.02	3,153.90	38.96
5	24—लोक निर्माण कार्य सङ्कें और पुल	1,538.04	998.13	539.91	35.10
6	10—वन	2,359.93	1,600.74	759.19	32.17
7	7—वाणिज्यिक कर	2,814.65	2,026.36	788.29	28.01
8	33—जनजातीय कार्य	3,966.66	2,912.55	1,054.11	26.57
9	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,515.25	2,628.83	886.42	25.22
10	44—उच्च शिक्षा	2,174.06	1,628.77	545.29	25.08
11	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	11,058.38	8,286.98	2,771.41	25.06
12	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6,339.28	4,946.13	1,393.16	21.98
13	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	34,568.78	26,979.08	7,589.70	21.96
14	55—महिला एवं बाल विकास	5,276.57	4,194.34	1,082.23	20.51
पूंजीगत-दत्तमत					
15	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,589.98	798.48	791.50	49.78
16	12—ऊर्जा	3,826.83	2,299.12	1,527.71	39.92
17	30—ग्रामीण विकास	3,034.00	1,937.15	1,096.85	36.15

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

उक्त वर्णित अनुदानों में से तीन प्रकरण ऐसे थे, जिनमें वर्ष 2017-18 के दौरान भी बचतें (₹500 करोड़ से अधिक) हुई थी, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.3: बचत दर्शाने वाले अनुदान				(₹ करोड़ में)		
स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचतें (₹500 करोड़ से अधिक)		2017-18	2018-19
			2017-18	2018-19		
1	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	3,199.77 (38.17)	7,118.31 (42.21)		
2	22	नगरीय विकास एवं आवास (पूँजीगत दत्तमत)	894.34 (57.81)	791.50 (49.78)		
3	30	ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	768.29 (23.03)	1,096.85 (36.15)		

(झोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

सहकारिता, ऊर्जा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, नगरीय विकास एवं आवास और लोक निर्माण विभाग प्रमुख विभाग हैं जिनमें बचतें हुईं। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने और भारत सरकार से केन्द्रीय अंश की प्राप्ति न होने के कारण बड़ी बचतें हुईं। ऊर्जा विभाग के प्रकरण में, बचत के लिये विद्युत वितरण कंपनियों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होना बताया गया।

इन अनुदानों के अंतर्गत बड़ी बचत उक्त अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के अवास्तविक आंकलन और व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण को दर्शाती है।

2.3.3 सतत बचतें

यह संज्ञान में आया कि 15 अनुदानों एवं दो विनियोगों के अन्तर्गत 18 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों के दौरान सतत बचतें (₹ एक करोड़ या अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक) ₹1.49 करोड़ से ₹7,118.31 करोड़ के मध्य थी, जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, स्कूल शिक्षा और लोक निर्माण विभाग, प्रमुख विभाग थे जिनमें सतत बचतें हुईं। वर्तमान वर्ष के दौरान ₹150 करोड़ से अधिक सतत बचतों के प्रकरण नीचे **तालिका 2.4** में दिए गए हैं।

तालिका 2.4: सतत बचत दर्शाने वाले प्रमुख विभाग							(₹ करोड़ में)	
स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान/विनियोग का प्रतिशत)						
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		
राजस्व—दत्तमत								
1	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	518.65 (21.06)	2,235.89 (63.36)	1,113.97 (26.77)	3,199.77 (38.17)	7,118.31 (42.21)		
2	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	95.39 (42.19)	67.30 (29.52)	80.97 (29.97)	168.68 (27.58)	254.45 (33.68)		
3	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	123.41 (23.45)	203.33 (31.57)	164.28 (24.79)	174.59 (25.53)	183.02 (26.71)		
पूँजीगत—दत्तमत								
4	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)	515.58 (70.24)	263.12 (65.33)		
5	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6.12 (49)	47.29 (65.94)	110.15 (69.50)	251.06 (76.82)	357.22 (62.39)		
6	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)	150.29 (42.94)	150.34 (37.24)		

(झोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

पांच वर्षों से सतत बचतों का कारण मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रीय अंश का प्राप्त न होना, योजनाओं में दिलचस्पी दिखाने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी, भारत सरकार द्वारा निधि के विमुक्त न होने, वित्त विभाग से आहरण पर प्रतिबंध एवं प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी होना था। इन सभी प्रकरणों में लाभार्थी योजना के वांछित लाभों से भी वंचित रह गये।

सतत बचतें इंगित करती हैं कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे और वार्षिक निधि के आवंटन करते समय पिछले वर्षों के रुझानों को ध्यान में नहीं रखा गया।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

वर्ष 2018–19 के दौरान, 94 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान कुल ₹15,058.70 करोड़ अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है। ऊर्जा, स्कूल शिक्षा और नगरीय विकास प्रमुख विभाग हैं जहाँ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान, शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना और मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राशि ₹7,002 करोड़ का प्रावधान अप्रयुक्त रहा। इनमें से उल्लेखनीय प्रकरण जहाँ अप्रयुक्त बजट प्रावधान ₹100 करोड़ से अधिक था, नीचे **तालिका 2.5** में वर्णित है।

तालिका 2.5: योजनाएं जिनमें ₹100 करोड़ से अधिक प्रावधान अप्रयुक्त रहा						
संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	व्यय	(₹ करोड़ में) बचत की राशि
1	पी.डी.	लोक ऋण	6003-101-0716- विविध ऋण भुगतान	100.00	0.00	100.00
2	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779- कमियों की पूती के लिए अप्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00
3	6	वित्त	2070-800-0101-0224- अन्य व्यय	693.73	0.00	693.73
4	7	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-0817- पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	475.00	0.00	475.00
5	10	वन	4406-01-190-5323- मध्यप्रदेश वन विकास निगम	195.00	0.00	195.00
6	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-0688- उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान	5,627.00	0.00	5,627.00
7	12	ऊर्जा	6801-205-1201-5523- कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	197.57	0.00	197.57
8	17	सहकारिता	2425-107-0101-9254- सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर व्याज अनुदान	529.20	0.00	529.20
9	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-4396- शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना	1,355.00	0.00	1,355.00
10	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0701-8810— सर्व शिक्षा अभियान	100.00	0.00	100.00
11	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0701-9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	100.00	0.00	100.00
12	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-2773- प्राथमिक शालाएँ	204.00	0.00	204.00
13	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-3496- माध्यमिक शालाएँ	198.00	0.00	198.00
14	33	जनजातीय कार्य	2202-02-109-0581- हायर सेकंडरी शालाएँ	138.00	0.00	138.00
15	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-2333— एन.बी. कंपनी लिमिटेड का निवेश	300.00	0.00	300.00
16	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-109-0101-2292- उद्यानिकी भावान्तर योजना	250.00	0.00	250.00
17	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-4610- आतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	109.32	0.00	109.32
18	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	103.97	0.00	103.97
19	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-1325- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	123.26	0.00	123.26

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

इन विभागों द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारणों से अवगत नहीं कराया गया, जो इन विभागों के संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा तैयार किये गये असंगत बजट अनुमान को दर्शाता हैं।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2018–19 के दौरान, 51 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में राशि ₹ एक करोड़ या अधिक) में राशि ₹15,442.74 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं हुआ था जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है। महत्वपूर्ण अनुदान/विनियोग जहाँ मूल बजट प्रावधान में ₹100 करोड़ एवं उससे अधिक की बचतें थीं, किन्तु अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था, निम्न तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6: प्रकरण जहाँ मूल बजट प्रावधान में बचतें ₹100 करोड़ या उससे अधिक होते हुए भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था

(₹ करोड़ में)					
संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में बचत	अनुपूरक प्रावधान
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	7—वाणिज्यिक कर	2,733.65	2,026.36	707.29	81.00
2	10—वन	2,197.73	1,600.74	596.99	162.21
3	12—ऊर्जा	13,875.29	9,811.34	4,063.95	2,451.53
4	14—पशुपालन	991.87	849.94	141.93	50.00
5	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,389.14	4,946.13	443.01	950.14
6	24—लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	1,505.97	998.13	507.84	32.07
7	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	9,073.92	8,286.98	786.94	1,984.47
8	29—विधि और विधायी कार्य	1,333.68	1,224.75	108.93	172.98
9	33—जनजातीय कार्य	3,355.26	2,912.55	442.71	611.40
10	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	646.01	501.10	144.91	109.54
11	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,630.22	1,307.26	322.96	100.00
12	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,216.25	2,628.83	587.42	299.00
13	44—उच्च शिक्षा	1,767.13	1,628.77	138.36	406.93
14	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,161.81	872.37	289.44	106.00
15	49—अनुसूचित जाति कल्याण	1,051.90	777.61	274.29	18.64
16	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	30,929.44	26,979.08	3,950.36	3,639.34
17	55—महिला एवं बाल विकास	4,702.31	4,194.34	507.97	574.26
18	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	640.13	502.20	137.93	45.09
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
19	12—ऊर्जा	32,86.63	2,299.12	987.51	540.20
20	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,488.98	798.48	690.50	101.00
21	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	372.74	139.62	233.12	30.00
22	30—ग्रामीण विकास	2,884.00	1,937.15	946.85	150.00
23	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	371.53	253.34	118.19	32.15
ग—राजस्व (प्रभारित)					
24	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	12,867.29	12,695.69	221.74	50.14

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

14 प्रकरणों में राशि ₹18,109.80 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में राशि ₹ एक करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान में ₹5,692.93 करोड़ की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध ₹12,416.88 करोड़ अत्यधिक सिद्ध हुए जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

वर्ष 2018–19 के दौरान, अत्यधिक समर्पण या अपर्याप्त वृद्धि के कारण पुनर्विनियोजन अनुचित सिद्ध हुए और परिणामस्वरूप 10 उप–शीर्षों में ₹201.60 करोड़ के आधिक्य और 64 उप–शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक की ₹2,407.52 करोड़ की बचतें हुईं जैसा कि **परिशिष्ट 2.8** में वर्णित हैं। तीन मामलों में, पुनर्विनियोजन/समर्पण के द्वारा प्रावधानों में कटौती अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल एवं पूरक प्रावधानों से अधिक था। इसी प्रकार, 10 मामलों में ₹161.97 करोड़ की निधियों का पुनर्विनियोजन ज्यादा सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल/पूरक प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं था।

2.3.7 सारभूत समर्पण

वर्ष 2018–19 के दौरान, 155 उप–शीर्षों में सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) राशि ₹7,304.68 करोड़ (कुल प्रावधान ₹9,265.03 करोड़ का 79 प्रतिशत) किया गया, जिसमें 43 उपशीर्षों (₹880.08 करोड़) का 100 प्रतिशत समर्पण सम्मिलित था। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है। ऊर्जा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभागों में सारभूत समर्पण ₹500 करोड़ से अधिक था, जो दर्शाता है कि या तो बजट ज्यादा अनुमानित था या कार्यक्रम कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ।

2.3.8 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

वर्ष 2018–19 के दौरान, अनुदानों/विनियोगों के 26 प्रकरणों में यद्यपि ₹2,569.77 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) की बचतें हुईं, लेकिन व्ययी विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 94 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत) में बचत ₹49,220.05 करोड़ में से कुल राशि ₹22,914.46 करोड़ (47 प्रतिशत) समर्पित नहीं की गयी (**परिशिष्ट 2.11**), जो कुल बचत ₹50,472.50 करोड़ का 45 प्रतिशत है।

2.3.8.1 प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण आदेश

राज्य शासन के अनुदेशों (फरवरी 2012) के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, (ii) योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए, (iii) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग स्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

लेखापरीक्षा समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि ₹21,901.15 करोड़ के समर्पित न किए गए प्रावधान में 25 समर्पण के लिए स्वीकृतियां सम्मिलित थीं जिन्हें 20 अनुदानों/विनियोगों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जारी किया गया था जो कि राज्य शासन के अनुदेशों का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2018–19 के दौरान ₹2,871.57 करोड़ के समर्पण मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृतियाँ जारी होने तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय में स्वीकृतियाँ विलम्ब अर्थात् लेखे बन्द हो जाने एवं अंतिम रूप दिये जाने के बाद प्राप्त होने के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किये जा सके (विवरण **परिशिष्ट 2.12** में दिया गया है)।

2.3.9 व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक-2 (आई.जी.ए.एस-2) के अनुसार सहायता अनुदान पर किया गया व्यय स्वीकृतिकर्ता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं प्राप्तकर्ता के लेखे में राजस्व प्राप्तियों के रूप में अभिलिखित किया जाता है। स्थायी प्रकृति की सामग्री मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

तथापि, 2018–19 के दौरान सहायता अनुदानों में से व्यय ₹541.28 करोड़ एवं ₹742.37 करोड़ की राशि का अन्य व्यय (कुल ₹1,283.65 करोड़) राज्य शासन द्वारा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत बुक किए गए थे, जबकि इन्हें राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित किया जाना चाहिए था। पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए ₹207.94 करोड़ का सहायता अनुदान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था, जो आई.जी.एस.एस.-2 के अनुसार लेखा के राजस्व शीर्ष से डेबिट किया जाना चाहिये था। विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹288.73 करोड़ एवं ₹5.18 करोड़ (कुल ₹293.91 करोड़) क्रमशः ‘मशीनें’ एवं ‘वृहद निर्माण कार्य’ राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज किया गया, जिसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट तैयार करते समय सुधारात्मक कार्यवाई की जाएगी।

2.3.10 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

यह संज्ञान में आया कि मार्च 2019 के दौरान आठ अनुदानों/विनियोगों के 14 प्रकरणों³⁴ में ₹5,296.28 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.15** में दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि नई योजनाओं में केन्द्र सरकार से राशि की प्राप्ति के बाद विभाग द्वारा मार्च में निधियां आहरित की गयी। आगे, यह भी कहा गया कि योजनाओं पर स्थायी वित्त समिति (एस.एफ.सी.)/व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) की बैठक के बाद विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 फरवरी 2019 तक मौजूदा/नई योजनाओं में कुल बजट प्रावधान पुर्नविनियोजन सहित उपलब्ध कराया गया था।

2.3.11 निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

वर्ष 2018–19 के दौरान, 31 मार्च 2019 को धनराशि ₹62.19 करोड़ आहरित की गयी थी एवं लेखे में संबंधित केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443–सिविल जमा-800–अन्य जमा में अंतरित की गयी, जैसा कि **तालिका 2.7** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, केन्द्रीय निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से पूर्व आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

³⁴ जहां अंतिम तिमाही में व्यय ₹10 करोड़ से अधिक हुआ।

तालिका 2.7: निधि का 8443-सिविल जमा—800—अन्य जमा में अंतरण (₹ करोड़ में)					
सं. क्र.	अनुदान संख्या और नाम	विस्तृत शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष एवं योजना का नाम	कुल बजट प्रावधान (मूल+पूरक)	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800—अन्य जमा में अंतरित राशि
1	55—महिला एवं बाल विकास	2235—02—102—0701—0658— आंगनवाड़ी सेवायें	253.32	253.32	22.21
2	55—महिला एवं बाल विकास	2235—02—102—0702—0658— आंगनवाड़ी सेवायें	187.66	187.66	10.00
3	55—महिला एवं बाल विकास	2235—02—102—0703—0658— आंगनवाड़ी सेवायें	313.42	312.55	29.98
योग			754.40	753.53	62.19

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा में विस्तृत समीक्षा के लिए दो अनुदानों—अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सङ्केत एवं पुल तथा अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य, का चयन निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के साथ निधियों का निरीक्षण, नियंत्रण तंत्र एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की अनुपालना की समीक्षा करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख आगे की कंडिकाओं में किया गया है। मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल अनुदान संख्या 24 के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) हैं तथा आयुक्त, जनजातीय विकास (सीटीडी), भोपाल, निदेशक, जनजातीय क्षेत्र विकास योजना (टीएडीपी), भोपाल तथा निदेशक, अनुसंधान एवं विकास (डीआरडी), भोपाल, मध्य प्रदेश अनुदान संख्या 33 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं।

वर्ष 2018–19 के लिये अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान की प्रस्तुति के लिए समय—सूची के संबंध में जारी निर्देशों (अक्टूबर 2017) के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग को बजट अनुमान दिनांक 7 नवम्बर 2017 को या उससे पूर्व प्रस्तुत किए जाने थे। तथापि, लोक निर्माण विभाग द्वारा बजट अनुमान वित्त विभाग को दिनांक 15 दिसम्बर 2017 को प्रस्तुत किए गए थे।

2.4.1 सारांशीकृत स्थिति

वर्ष 2018–19 के दौरान अनुदान संख्या 24 एवं 33 के अंतर्गत बजट की राशि, किये गये व्यय एवं बचतों के विवरण तालिका 2.8 में सारांशीकृत किए गए हैं।

तालिका 2.8: सारांशीकृत विनियोग (₹ करोड़ में)						
अनुदान का विवरण	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	व्यय	बचतें
अनुदान संख्या 24	राजस्व (दत्तमत)	1,505.97	32.07	1,538.04	998.13	539.91
	पूंजीगत (दत्तमत)	6,028.50	1,597.00	7,625.50	6,891.81	733.69
अनुदान संख्या 33	राजस्व (दत्तमत)	3,355.26	611.40	3,966.66	2,912.55	1,054.11
	पूंजीगत (दत्तमत)	1,281.00	0.00	1,281.00	991.15	289.85
योग		12,170.73	2,240.47	14,411.20	11,793.64	2,617.56

(स्रोत: विनियोग लेखे वर्ष 2018–19)

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि, कुल बजट प्रावधान ₹14,411.20 करोड़ के विरुद्ध ₹2,617.56 करोड़ (18.16 प्रतिशत) की संपूर्ण बचत थी। ₹2,617.56 करोड़ की बचत में से

₹1,594.02 करोड़ (61 प्रतिशत) एवं ₹1,023.54 करोड़ (39 प्रतिशत) की बचतें क्रमशः राजस्व अनुभाग एवं पूँजीगत अनुभाग में हुईं। आगे, राजस्व (दत्तमत) के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए ₹643.47 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान से भी कम था।

इन अनुदानों के अंतर्गत राशि के समर्पण और पुनर्विनियोजन का कारण नियमित वेतनमान से शिक्षक संवर्ग के वेतन का आहरण न होना और चौथी तिमाही में 30 प्रतिशत तक धन के आहरण पर प्रतिबंध होना था। इन अनुदानों के अंतर्गत शीर्षों में हुए अंतिम बचतों के कारण प्रदान नहीं किये गए।

2.4.2 सारभूत बचतें

2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि 36 प्रकरणों में ₹2,058.02 करोड़ की सारभूत बचतें थी, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत या उससे अधिक थी। विवरण **परिशिष्ट 2.16** में दिया गया है।

उत्तर में, बी.सी.ओ. (ई.आई.सी., लोक निर्माण विभाग) ने बताया कि बजट अनुमान विभाग में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर तैयार किया गया था तथा वह ठेकेदार के देयकों के विरुद्ध भुगतान संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा व्यय के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों की अनुपालन के कारण नहीं किया जा सका। आगे, यह भी बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक व्यय पर अधिकतम वित्तीय सीमा अधिरोपित करने के कारण राशि का प्रयोग नहीं किया जा सका।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट अनुमान यथार्थ तौर पर तैयार किया गया था। योजनाओं के अंतर्गत बजट एवं व्यय का बी.सी.ओ. स्तर पर ठीक से जांच नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें हुयीं।

2.4.3 समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट मैन्युअल की कंडिका 26.9 के अनुसार व्ययों में प्रत्याशित बचतों का विवरण बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को 15 जनवरी तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया कि अनुदान संख्या 33 में बचतें ₹1,252.94 करोड़ (कुल प्रावधान का 24 प्रतिशत) में से ₹1,065.84 करोड़ (कुल बचत का 85 प्रतिशत) 15 जनवरी के पश्चात् समर्पित किया गया तथा ₹187.10 करोड़ (कुल बचत का 15 प्रतिशत) की निवल बचत वर्ष के अंत में समर्पित नहीं किया गया। यह बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप 2018–19 के दौरान निधियां राज्य के अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए अप्रयोज्य रहीं। विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतों को दर्शाने वाला विवरण							
(₹ करोड़ में)							
संक्र.	बी.सी.ओ.कोड	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनुपूरक +पुनर्विनियोग)	व्यय	बचत	समर्पण की राशि (15 जनवरी के पश्चात)	समर्पित नहीं की गई बचत की राशि
1	2506	2202	2,309.88	1,678.72	631.16	567.02	64.14
2	2506	2225	1,514.11	1,171.45	342.66	219.70	122.96
3	2506	2215	20.88	20.03	0.85	0.85	0.00
4	2502	2225	34.09	25.77	8.32	8.32	0.00
5	2505	2225	16.11	7.69	8.42	8.42	0.00
6	2506	4202	63.00	53.36	9.64	9.64	0.00
7	2506	4225	712.00	611.06	100.94	100.94	0.00
8	2502	4225	480.40	329.45	150.95	150.95	0.00
योग			5,150.47	3,897.53	1,252.94	1,065.84	187.10

(स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस ओर इंगित किए जाने पर, संचालक, टी.ए.डी.पी. ने बताया कि आवंटन के विरुद्ध व्यय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नहीं किया जा सका, इसलिए वित्त वर्ष के अंत में बचतें समर्पित कर दी गई थी।

2.4.4 निधियों के पुनर्विनियोग के लिए अनावश्यक/अत्यधिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205(1)(क) के अनुसार जब विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रयोजन के लिए किसी विशिष्ट सेवा हेतु खर्च, किया जाता है या जब वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ नई सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिस पर वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार नहीं किया गया है, तो बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा तर्कसंगतता के साथ अनुपूरक/पुनर्विनियोग अनुदान के लिए मांग तैयार की जा सकती है।

अनुदान संख्या 24 के एक प्रकरण में तथा अनुदान संख्या 33 के पाँच प्रकरणों में अनुदानों/विनियोगों के वर्ष के दौरान प्राप्त क्रमशः ₹15 करोड़ एवं ₹2.85 करोड़ के प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 2.17 (क) में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 24 के दो प्रकरणों तथा अनुदान संख्या 33 के 16 प्रकरणों में अनुदानों/विनियोगों के क्रमशः ₹7.29 करोड़ एवं ₹28.07 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹49.05 करोड़ एवं ₹45.79 करोड़ का पुनर्विनियोग प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹41.76 करोड़ एवं ₹17.72 करोड़ की बचत हुई, जिसका उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। विवरण परिशिष्ट 2.17 (ख) में दर्शाया गया है।

2.4.5 कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता निधि कम जारी किया जाना

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, राज्य शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय (एम.ओ.टी.ए.), परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.)/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाने वाली गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को विशिष्ट केन्द्रीय सहायता निधि का तत्काल अंतरण सुनिश्चित करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार ने जनजातीय विकास के लिए एम.ओ.टी.ए. द्वारा अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के जनजातीय विभाग को राशि ₹477.75 करोड़³⁵ जारी की थी किन्तु संचालक, जनजातीय विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को

³⁵ अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत ₹228.08 करोड़, विशिष्ट केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के अंतर्गत ₹169.69 करोड़ और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.वी.टी.जी.) के अंतर्गत ₹ 79.98 करोड़

मात्र ₹390.70 करोड़³⁶ जारी किया गया था। आगे, निधियों की गैर-उपयोगिता के विश्लेषण पर **कंडिका 3.11.1** में प्रकाश डाला गया है।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.5 निष्कर्ष

2018–19 के दौरान राज्य शासन का बजटीय अनुमान वास्तविक नहीं था तथा बजटीय अनुमान वास्तविकता से काफी भिन्न था तथा बजट के निरीक्षण एवं कार्यान्वयन पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग बिना पर्याप्त औचित्य के प्राप्त किया गया था तथा बड़ी मात्रा में राशि बिना बजट प्रावधान के खर्च की गई थी। विगत कुछ वर्षों से प्रत्येक वर्ष राज्य शासन के वित्त पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकरण को सूचित करने के बावजूद भी राज्य शासन इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

वर्ष के दौरान बचतें बजट की 21 प्रतिशत थी; तथापि, नियंत्रण अधिकारियों ने निधियां समय पर समर्पित नहीं की। विभागों को सतत बचतों के विरुद्ध सचेत नहीं किया गया; न ही उनके आवंटनों को अवशोषित करने की उनकी योग्यता के अनुरूप उनके बजट को परिवर्तित किया गया।

प्रकरण को वित्त विभाग को कई बार सूचित करने तथा राज्य शासन के वित्त पर, नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख करने के बावजूद भी राज्य शासन ने पूँजीगत अनुभाग में राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय को गलत वर्गीकृत करना जारी रखा, जिसने राजस्व अधिशेष एवं अन्य राजकोषीय मापदंडों को प्रभावित किया।

2.6 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन को विभागों की जरूरतों के विश्वसनीय अनुमानों एवं आवंटित संसाधनों को उपयोग करने की उनकी क्षमता के आधार पर एक वास्तविक बजट तैयार करने की आवश्यकता है; वित्त विभाग को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधानों का उपयोग न होने के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए तथा स्थिति को सुधारने के उपाय करने चाहिए।
- ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान/विनियोग के अंतर्गत बचतें नियंत्रित हो तथा प्रत्याशित बचतों की पहचान एवं समर्पण निर्दिष्ट समय के भीतर हो एवं बजट के उचित कार्यान्वयन एवं निरीक्षण को लागू करने के लिए शासन द्वारा एक उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली गठित किए जाने की आवश्यकता है।
- iii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपूरक अनुदान/पुनर्विनियोग के अनावश्यक प्रावधानों से बचा जाएं, राज्य शासन द्वारा व्यय का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाना चाहिए तथा शासन को अपने व्यय आंकड़ों का मिलान मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तिका से करना चाहिए।
- iv) वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समर्पण के लिए स्वीकृति आदेश निर्धारित दिशानिर्देशों के अंतर्गत सामयिक, पूर्ण एवं वैध हो।
- v) राज्य शासन को संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत सहायता अनुदानों एवं अन्य व्यय के सही वर्गीकरण से संबंधित आई.जी.ए.एस.–2 की अनुपालना के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

³⁶ अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत ₹189.41 करोड़, एस.सी.ए. के अंतर्गत ₹167.69 करोड़ और पी.वी.टी.जी. के अंतर्गत ₹33.61 करोड़

अध्याय ३

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय 3—वित्तीय प्रतिवेदन

3.1 प्रस्तावना

मजबूत आंतरिक वित्तीय सूचना प्रणाली तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये प्रासंगिक, विश्वसनीय और समयेचित वित्तीय सूचना भी सुनिश्चित करती है और इस तरह सामरिक योजना और उचित निर्णय लेने सहित अपने बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य शासन की सहायता करती है। इस अध्याय में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य शासन के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन दिया गया है।

3.2 व्यक्तिगत जमा खातों का संधारण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण/बजट के माध्यम से लोक व्यय पर विधायी वित्तीय नियंत्रण का प्रावधान करता है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को व्यय की प्रत्याशित बचतों के विवरण पत्रक प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक प्रस्तुत करने अपेक्षित होते हैं।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार—बार टिप्पणी की गई है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 533 के अनुसार लोक लेखा अंतर्गत जमा के लिए कोषालय में प्राप्त नियत प्रकार की धनराशियों को व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया जा सकता है। व्यक्तिगत जमा खाते कोषालय में एक बैंकिंग जमा खाते के रूप में संधारित किए जाते हैं, तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान प्रशासकों के व्यक्तिगत बही खाते (लेजर) में दर्ज किए जाते हैं। आगे, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 543 के अनुसार, व्यक्तिगत जमा खातों में शेष राशियाँ, जो समेकित निधि को नामे (डेबिट) कर खातों में जमा (क्रेडिट) कर अंतरित की गयी हैं, को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व समेकित निधि को वापस अंतरित करना चाहिए तथा यदि ऐसी संभावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष में व्यक्तिगत जमा खाता पुनः खोला जा सकता है।

व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहते हैं, उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए एवं शेषों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति नीचे तालिका 3.1 में दी गयी है:

तालिका 3.1: 31 मार्च 2019 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति								(₹ करोड़ में)
प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों से व्यय		अंतशेष		
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
847	5,370.06	168	4,868.83	284	6,300.41	731	3,938.48	

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

व्यक्तिगत जमा खातों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी इस प्रकार हैं:

3.2.1 असंचालित व्यक्तिगत/शैक्षणिक जमा खाते

जिला कोषालयों के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसम्बर 2018 से सितम्बर 2019) से परिलक्षित हुआ कि 12 कोषालयों में 88 व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खाते ₹22.13 करोड़ शेष के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। विवरण नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: मार्च 2019 को असंचालित व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों का विवरण			
(₹ लाख में)			
संक्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों की संख्या	राशि
1	दतिया	02	31.30
2	रायसेन	02	4.67
3	होशंगाबाद	07	2.56
4	खण्डवा	02	0.69
5	जिला कोषालय, भोपाल	04	416.23
6	वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल	10	1,202.99
7	सीहोर	03	2.62
8	धार	02	3.70
9	टीकमगढ़	20	83.34
10	सागर	26	124.22
11	बड़वानी	04	208.08
12	भिण्ड	06	132.74
योग		88	2,213.14

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तथापि, मध्य प्रदेश कोषालय संहिता अधिनियम के गैर—अनुपालना में, व्यक्तिगत जमा/शैक्षणिक जमा खातों की शेष राशियों को राजस्व जमा लेखों में अंतरण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

3.2.2 शासकीय धन को अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार, शासन की विशेष अनुमति को छोड़कर, शासकीय सेवक राज्य की समेकित निधि और लोक लेखा से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। आगे, वित्त विभाग ने अनुदेश जारी (मार्च 2015) किए कि भूमि अधिग्रहण के लिए बैंक खातों में रखी गई निधियों को आहरित कर व्यक्तिगत जमा खातों में जमा किया जाना चाहिए।

जिलाध्यक्ष, नरसिंहपुर (जुलाई 2019), सतना (अक्टूबर 2019) एवं अशोक नगर (अक्टूबर 2019) के अभिलेखों की नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि भू—अर्जन से संबंधित राशि ₹13.78 करोड़ 10³⁷ बैंक खातों में पड़ी हुई थी। धन की प्राप्ति भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध मुआवजे के भुगतान के लिए हुई थी और इसे व्यक्तिगत जमा खाते में रखा जाना चाहिए था।

इस ओर इंगित किये जाने पर, भू—अर्जन अधिकारी/जिलाध्यक्ष, सतना, नरसिंहपुर, अशोक नगर ने उत्तर दिया कि संबंधित बैंक खातों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

³⁷ (1) बैंक ऑफ बडोदा, नरसिंहपुर: ₹0.50 करोड़, (2) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, बडा इटमा: ₹0.51 करोड़, (3) इलाहाबाद बैंक, अमदरा: ₹0.76 करोड़, (4) इलाहाबाद बैंक, झुकेही: ₹0.24 करोड़ (5) इलाहाबाद बैंक, उछेरा: ₹0.96 करोड़, (6) इलाहाबाद बैंक, मैहर: ₹0.83 करोड़, (7) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, कुसेडी: ₹1.12 करोड़, (8) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, देवीजी अरकंडी: ₹0.53 करोड़, (9) बैंक ऑफ बडोदा, सतना: ₹8.11 करोड़, (10) पंजाब नेशनल बैंक, अशोकनगर: ₹0.22 करोड़।

भू-अर्जन से संबंधित राशि को बैंक खातों में जमा करना, शासकीय निर्देशों की अवहेलना के अलावा लोक निधि का दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

3.2.3 व्यक्तिगत जमा खाते का अनुचित संचालन

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 यह प्रावधान करता है कि, जब तक किसी कानून, नियम या कानूनी आदेश द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत न किया जाए, वित्त विभाग की सहमति के बिना संचित निधि तथा लोक लेखा से धन निवेश या अन्यत्र जमा करने के लिए निकाले नहीं जा सकते।

पंचायत राज संचालनालय, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2018 एवं मई 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पंचायत राज संचालनालय ने ई-भुगतान के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भुगतान करने के लिए वित्त विभाग के अनुमोदन से एक व्यक्तिगत जमा खाता (मार्च 2015) खोला था। तथापि, पंचायत राज संचालनालय ने 2016–18 के दौरान ₹771.29 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (अक्टूबर 2016 में ₹100 करोड़), स्वच्छ भारत मिशन (नवंबर 2016 में ₹100 करोड़) एवं प्रधान मंत्री आवास योजना (जुलाई 2017 में ₹571.29 करोड़) को उधार दिए थे। इन योजनाओं के लिए धन उधार देने की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं की गई थी। ₹771.29 करोड़ में से मात्र ₹252.34 करोड़ की ही प्रतिपूर्ति हुई थी। शेष ₹518.95 करोड़ की प्रतिपूर्ति 31 मार्च 2019 की स्थिति में होनी अभी बाकी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर, पंचायत राज संचालनालय ने बताया (जून 2019) कि विभागीय व्यक्तिगत जमा खाते में शेष राशि ₹518.95 करोड़ की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

3.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मध्य प्रदेश शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अधिनियम के अनुसार, मण्डल को कर्मकारों की कार्य स्थितियाँ सुधारने एवं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से संग्रहित उपकर प्राप्त करने का हकदार है।

3.3.1 उपकर का लेखांकन

श्रम उपकर के संबंध में शासकीय विभागों द्वारा अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया में कोई एकरूपता नहीं है। उदाहरण के लिये लोक निर्माण विभाग के संभागों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर को ठेकेदारों के चल देयकों में से कटौती कर मुख्य शीर्ष 8443–108—लोक निर्माण जमा के अंतर्गत क्रेडिट किया जाता है। तथापि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभागों द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर को मुख्यशीर्ष 0230—श्रम एवं रोजगार लघु शीर्ष 101—श्रम कानून से प्राप्तियों में दर्ज किया जाता है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के लेखांकन के लिये मुख्य शीर्ष 8443–108 अथवा मुख्य शीर्ष 0230–101 के अंतर्गत कोई विशिष्ट उपशीर्ष नहीं है। इसलिए उपकर की वास्तविक संग्रहित राशि एवं तत्पश्चात मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को अंतरित की गई राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करना होता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल ने 2013–14 से लेखे तैयार नहीं किये थे। 2014–19 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

वर्ष	प्रारंभिक शेष	तालिका 3.3: 2014–19 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण							(₹ करोड़ में)
		उपकर की संग्रहित राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	कुल उपलब्ध निधियाँ	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत	
2014-15	788.17	303.93	0.01	82.72	1,174.83	63.00	1,111.83	5.36	
2015-16	1,111.83	286.44	0.001	65.20	1,463.47	120.18	1,343.29	8.21	
2016-17	1,343.29	346.99	0.00008	56.93	1,747.21	261.17	1,486.04	14.95	
2017-18	1,486.04	281.95	0.0003	67.84	1,835.83	260.16	1,575.67	14.17	
2018-19	1,575.67	351.90	0.0006	50.58	1,978.15	349.52	1,628.63	17.67	

(स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा एवं प्रस्तुत की गई जानकारी से निम्नलिखित परिलक्षित हुआ:

- (i) मण्डल द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2019 की स्थिति में ₹1,628.63 करोड़ की राशि उपलब्ध थी। तथापि ₹1,777.75 करोड़ बैंक खातों में रखे गये थे। ₹149.12 करोड़ के अन्तर के मिलान की आवश्यकता है।
- (ii) प्राप्त निधियों से निर्मित परिसम्पत्तियों का विवरण मण्डल की अचल सम्पत्ति पंजी में लेखांकित नहीं किया गया था, जिसके अभाव में, निर्मित परिसम्पत्तियों के भौतिक अस्तित्व एवं उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं किया जा सका।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2019), मण्डल ने उत्तर दिया कि मण्डल खातों और बैंक खातों के बीच के अन्तरों का मिलान किया जाएगा और भविष्य में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। मण्डल ने भी लेखापरीक्षा की आपत्ति को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में अचल सम्पत्ति पंजी तैयार की जाएगी।

यद्यपि विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसे प्रकरणों को इंगित किया गया था, मण्डल द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी।

3.3.2 श्रम उपकर की उपयोगिता

राज्य शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि से कर्मकारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएँ/गतिविधियाँ अर्थात् मातृत्व हितलाभ, पेंशन, घरों के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, हितग्राहियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता इत्यादि अधिसूचित की थी। 2014–19 के पांच वर्ष की अवधि दौरान इस संबंध में व्यय का विवरण **तालिका 3.4** में दिया गया है।

वर्ष	उपलब्ध निधियाँ	तालिका 3.4: उपलब्ध निधियों के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय				(₹ करोड़ में)	
		योजनाओं का बजट आवंटन	संचालित योजना	पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार		
	योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय			
2014-15	1,174.83	15	86.80	8	58.59	24,65,939	3,14,298
2015-16	1,463.47	20	125.80	17	101.24	24,81,926	5,16,958
2016-17	1,747.21	26	151.60	24	240.06	25,28,255	4,25,448
2017-18	1,835.83	24	233.10	21	287.98	25,87,175	4,98,182
2018-19	1,978.15	24	76.01	24	316.83	12,19,230	3,63,289
योग		109	673.31	94	1,004.70	1,12,82,525	21,18,175

(स्रोत: मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2018–19 के दौरान मण्डल उपलब्ध निधियों का केवल 15 प्रतिशत का उपयोग कर सका एवं विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवास, चिकित्सा सहायता आदि के अंतर्गत केवल 30 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार लाभान्वित हुए। इस प्रकार, उपलब्ध निधियों में से धनराशि ₹1,737.33 करोड़ का उपयोग न करने के कारण लगभग 70 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने से वंचित रहे।

उत्तर में, मण्डल ने बताया (मार्च 2020) कि मण्डल द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत आवेदन करने पर पात्रता के अनुसार दिया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल को लाभार्थियों के बीच योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूकता सृजित करनी चाहिए थी तथा सुनिश्चित करना चाहिए था कि नियोजित लाभ समस्त लक्षित लाभार्थियों हेतु उपलब्ध था।

3.3.3 कालातीत चेकों के कारण देय राशि की वसूली न होना

बैंकिंग मानदंडों के अनुसार, एक चेक जारी होने की तिथि से तीन माह के लिए वैध होता है, जिसके पश्चात् वह कालातीत हो जाता है।

मण्डल अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से चेक प्राप्त करता है और इन्हें अपने बैंक खातों में जमा करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि, 2003–04 से 2018–19 की अवधि में ₹15.51 करोड़ के 1621 चेक कालातीत हुए।

यद्यपि पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसे प्रकरण प्रतिवेदित किए गए थे, लेकिन मण्डल ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

मण्डल ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि कालातीत चेकों को सम्बन्धित एजेंसियों/विभागों को नवीनीकरण के लिए वापस किया गया था और उनकी प्राप्ति के पश्चात मण्डल के बैंक खातों में जमा किया जाएगा।

प्रतिक्रिया उत्साहविहीन है तथा अपने बकायों की वसूली के लिए कोई तात्कालिकता का भाव या भविष्य में ऐसे प्रकरणों से बचने के लिए उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करने की कोई विशिष्ट कार्य योजना को प्रदर्शित नहीं करता है।

3.3.4 लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 238(1) प्रावधान करता है कि जिन संस्थानों या संगठनों ने अनुदान प्राप्त किए हैं उनके द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 12 माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मण्डल ने श्रम कार्यालयों को निधियां प्रदान की और श्रम कार्यालयों ने उन निधियों को संबंधित कार्यान्वयन कार्यालयों को भेज दिया। आवंटन पत्र के अनुसार आवंटित निधियों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने थे।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2019) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल द्वारा 2018–19 के दौरान श्रम विभाग के 51 जिला कार्यालयों को राशि ₹76.02 करोड़ आवंटित की गयी थी तथा यही राशि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित की गयी थी। तथापि, 31 मार्च 2019 की स्थिति में, जिला कार्यालयों से राशि ₹44.74 करोड़ (58.85 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण—पत्र लंबित थे। लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का विवरण **परिशिष्ट 3.1** में दिया गया है।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2019), मण्डल ने उत्तर दिया कि सभी जिला कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था।

3.3.5 आयकर अधिनियम का गैर-अनुपालन

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 26 के अनुसार मण्डल विगत वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुए अपना वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा। इसका अर्थ है कि लेखे प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के पूर्व अर्थात् आयकर रिटर्न भरने की देय तिथि से पूर्व तैयार एवं लेखापरीक्षित होने चाहिए।

मण्डल को आयकर विभाग की धारा 10(23 सी)(iv) के अंतर्गत आय पर छूट इस मुख्य शर्त के अधीन प्राप्त (अक्टूबर 2007) थी कि "मण्डल नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार अपना आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।"

आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के अनुसार करदाता को अपनी आय का रिटर्न प्रत्येक निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर से पूर्व दाखिल करना होता है। धारा 244 (क) कहता है कि निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान जहां वापसी धारा 206 (ग) के अंतर्गत स्रोत पर एकत्रित किसी कर में से है या अग्रिम कर के रूप में भुगतान किया गया हो या धारा 199 के अंतर्गत भुगतान हो, ऐसे ब्याज की गणना उस अवधि में शामिल प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए आधे प्रतिशत की दर से की जाएगी।

मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2018) के दौरान, यह देखा गया कि बैंक मण्डल की जमा राशि के ब्याज पर टी.डी.एस. की कटौती कर रहा था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2012–13 के लिए मण्डल के लेखे, लेखापरीक्षकों द्वारा मार्च 2018 के दौरान तैयार एवं प्रमाणित किए गए थे। तथापि वर्ष 2012–13 (निर्धारण वर्ष 2013–14) के लिए आयकर रिटर्न मार्च 2019 की स्थिति में नहीं भरे गए थे जबकि, इसे 30 सितंबर 2013 तक भर दिया जाना चाहिए था। मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2018–19 के लिए अपने लेखों को तैयार नहीं किया था। वित्त वर्ष 2012–13 से 2018–19 तक रिटर्न ना भरने के कारण मण्डल, 38 टी.ए.एन. कटौतीकर्ता के संबंध में बैंकों द्वारा स्रोत पर की गई कटौती राशि ₹5.10 करोड़ के आयकर वापसी का दावा करने में विफल रहा। विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

उत्तर में, मण्डल ने बताया (मार्च 2019 एवं अक्टूबर 2019) कि वर्ष 2013–14 से 2017–18 के लेखे सनदी लेखाकारों द्वारा तैयार किए जा रहे थे, जिसके कारण आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सका तथा मण्डल ने आयकर विभाग द्वारा दी गई छूट एवं 2009 की रिट याचिका 426 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो प्रावधान करता है कि मण्डल के ब्याज की आय से स्रोत पर कोई कटौती नहीं की जाएगी के आधार पर टी.डी.एस की कटौती नहीं करने के लिए बैंकों को कई पत्र लिखे (मार्च 2013 से अक्टूबर 2013) थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मण्डल ने 2014–15 से 2018–19 तक बैंक से संपर्क नहीं किया तथा अपने लेखे समय से तैयार करने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप आयकर रिटर्न भरने में असमर्थ रहा।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इन प्रकरणों को संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

3.4 शासकीय लेखों में अपारदर्शिता—लघु शीर्ष 800 का परिचालन


अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का परिचालन मात्र उन प्रकरणों में किया जाना है जहां लेखों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। यदि ऐसे प्रकरण नियमित आधार पर हों, तो यह राज्य शासन का उत्तरदायित्व है कि वो प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से इस पर चर्चा करें तथा उपयुक्त लघु शीर्ष खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करें। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय की विवेकहीन पुस्तकीकरण लेनदेनों की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है, तथा लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

51 राजस्व शीर्षों के अंतर्गत दर्ज ₹34,831.64 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियां ₹1,48,892.79 करोड़ का 23.39 प्रतिशत) की प्राप्तियों को लेखों में लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत


वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार से विभिन्न मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 43 राजस्व एवं 23 पूँजीगत मुख्य शीर्ष में दर्ज ₹30,676.59 करोड़ (कुल व्यय ₹1,71,573.40 करोड़ का 17.88 प्रतिशत) के व्यय को लेखों में लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

2014–19 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा कुल प्राप्तियों एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 3.1** एवं **3.2** में दिया गया है।

चार्ट 3.1: लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में (₹ करोड़ में)



चार्ट 3.2: लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में (₹ करोड़ में)



दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 10 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत

किया गया था, **परिशिष्ट 3.3** एवं **3.4** में दिया गया है और **तालिका 3.5** में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.5: लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियाँ’ एवं ‘अन्य व्यय’ के अंतर्गत पुस्तांकित राशि

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	917.47	0056, 0059, 0217, 0702, 0801, 0852, 1452	681.96	2250, 2852, 4070, 4408, 4875, 5425
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	27,267.00	0049, 0202, 0211, 0220, 0235, 0435, 1601	14,288.94	2075, 2217, 2702, 4515, 4700, 4701
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	1,027.04	0029, 0210, 0401, 0403, 0406, 0515, 0701	8,679.25	2204, 2401, 2705, 2851, 4225, 4853
25 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत के मध्य	1,634.19	0215, 0405, 0425, 0700 0853, 1054	3,777.59	4215, 4217, 3454, 4403, 4702, 5054
10 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत के मध्य	3,664.65	0030, 0039, 0043, 0055, 0070, 0071, 0230, 0851	2,016.32	2245, 2403, 2405, 2515, 2700, 2701, 3054, 4055, 4202, 4705, 4801
10 प्रतिशत से कम	321.29	अन्य मुख्य शीर्ष	1,232.53	अन्य मुख्य शीर्ष
योग	34,831.64		30,676.59	

(झोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह प्रकरण प्रति वर्ष चिन्हित किए गए हैं। जबकि 2018–19 (23.39 प्रतिशत) के दौरान इस लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति पक्ष में विगत वर्ष (26.31 प्रतिशत) की तुलना में राशियों में पार्श्वक कमी रही है, वहीं व्यय पक्ष में यह कुल व्यय का 2017–18 में 15.34 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 के दौरान 17.88 प्रतिशत हो गया था। तथ्य यह है कि संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय के ऐसे सारभूत अनुपात लघु शीर्ष 800 में पुस्तांकित किये जाते हैं, जो गंभीर चिंता का कारण है क्योंकि यह गंभीर रूप से पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

3.5 आयोजना/आयोजनेतर के अन्तर्गत उप मुख्य शीर्ष का गलत संचालन

भारत सरकार ने यह अधिसूचित किया कि 01.04.2017 से निम्नलिखित लेखाशीर्ष क्रियाशील नहीं रहेंगे, जैसा कि **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: अक्रियाशील लेखाशीर्ष			
मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत सहायता अनुदान		मुख्य शीर्ष 6004 के अंतर्गत कर्ज एवं अग्रिम	
उप मुख्य शीर्ष	विवरण	उप मुख्य शीर्ष	विवरण
उप मुख्य शीर्ष—01	योजनेतर अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—01	योजनेतर ऋण
उप मुख्य शीर्ष—02	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज
उप मुख्य शीर्ष—03	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—03	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये ऋण
उप मुख्य शीर्ष—04	केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—04	केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए ऋण
उप मुख्य शीर्ष—05	विशेष योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	उप मुख्य शीर्ष—05	विशेष योजनाओं के लिये ऋण
		उप मुख्य शीर्ष—06	अर्थोपाय अग्रिम
		उप मुख्य शीर्ष—07	1984–85 से पूर्व के ऋण

वित्त लेखे 2018–19 की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य शासन द्वारा बजट में इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों के आवंटन के कारण इनमें से कुछ उप—मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष वर्ष के दौरान संचालित किए जा रहे थे। वित्त लेखे 2018–19 के अनुसार, राशि ₹25,758.68 करोड़, जैसा कि

तालिका 3.7 में वर्णित है तथा ₹3,795.78 करोड़ क्रमशः मुख्य शीर्ष 1601 एवं 6004–02–101 के अंतर्गत पुस्तांकित किये गये थे, जो कि गलत था।

तालिका 3.7: 1601—केंद्र सरकार से सहायता अनुदान		
		(₹ करोड़ में)
उप मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्ष	विवरण	2018–19 के दौरान प्राप्ति
उप मुख्य शीर्ष—01	योजनेतर अनुदान	
लघु शीर्ष—109	राज्य आपदा मोचन निधि में योगदान के लिए अनुदान	914.40
लघु शीर्ष—110	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अनुदान	334.00
लघु शीर्ष—800	अन्य अनुदान	3,671.93
उप मुख्य शीर्ष—02	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	
लघु शीर्ष—101	एक मुश्त अनुदान	63.75
लघु शीर्ष—104	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	246.26
लघु शीर्ष—800	अन्य अनुदान	20,511.21
उप मुख्य शीर्ष—03	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान	
लघु शीर्ष—800	अन्य अनुदान	17.13
योग—1601		25,758.68

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

3.6 उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की अप्रस्तुति

वित्तीय नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को संबंधित अनुदान वर्ष के अगले वर्ष के 30 सितम्बर या उससे पूर्व अनुदान की उचित उपयोगिता के बारे में एक औपचारिक उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना है। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति **तालिका 3.8** में दी गयी है। आगे, विवरण **परिशिष्ट 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.8: बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्र				
वर्ष	31 मार्च 2018 की स्थिति		31 मार्च 2019 की स्थिति	
	बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या	निहित राशि	बकाया उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की संख्या	निहित राशि
2016-17 तक	20,666	17,793.21	20,253	13,978.51
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	25	492.11
योग	20,666	17,793.21	20,278	14,470.62

(स्रोत: वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के वित्त लेखे)

31 मार्च 2019 को ₹14,470.62 करोड़ के कुल 20,278 उपयोगिता प्रमाण—पत्र, जो कि देय है, 25 विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायता अनुदानों के विरुद्ध राज्य के प्राधिकारियों एवं निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः कोई निश्चितता नहीं है कि ₹14,470.62 करोड़ का व्यय वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए यह विधान मंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। 31 मार्च 2019 को 85.74 प्रतिशत राशि के लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र पांच विभागों यथा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास (60.19 प्रतिशत—राशि ₹8,711.00 करोड़ के 1,268 उपयोगिता प्रमाण पत्र), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (15.11 प्रतिशत—राशि ₹2,186.80 करोड़ के 1,453 उपयोगिता प्रमाण पत्र), सामाजिक कल्याण (5.17 प्रतिशत—राशि ₹748.03 करोड़ के 1,143 उपयोगिता प्रमाण पत्र), कृषि (3.04 प्रतिशत—राशि ₹439.99 करोड़ के 3,090 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास (2.22 प्रतिशत—राशि ₹321.34 करोड़ के 684 उपयोगिता प्रमाण—पत्र) से संबंधित है।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की उच्च लंबमानता निधियों के दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस प्रकरण पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने/खींचने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

3.7 दुर्विनियोग, हानियाँ एवं गबन इत्यादि की सूचना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल प्रधान महालेखाकार को दी जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2019 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 3,232 प्रकरण सूचित किये थे जिनमें ₹38.69 करोड़ समाविष्ट थे, जिन पर जून 2019 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इन प्रकरणों में से 2018–19 के दौरान ₹4.63 करोड़ के 522 प्रकरण सूचित किये गये थे। मुख्य शीर्ष 2406—वानिकी तथा वन्य जीवन एवं 2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन में क्रमशः 2,678 प्रकरण (₹16.41 करोड़) एवं 11 प्रकरण (₹8.30 करोड़) वसूली/नियमितीकरण हेतु लंबित थे। वर्ष 2018–19 के अंत में दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार/अवधिवार विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है। इन प्रकरणों का मुख्य शीर्षवार और अनियमितता की प्रकृति के अनुसार विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है। लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा अनियमितता की प्रकृति सहित तालिका 3.9 एवं तालिका 3.10 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.9: लंबित प्रकरणों की अवधिवार रूपरेखा

विस्तार वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	(₹ करोड़ में) समाविष्ट राशि
0 – 5	873	9.74
5 – 10	233	13.54
10 – 15	291	6.58
15 – 20	386	3.67
20 – 25	274	1.91
25 और उससे अधिक	1,175	3.25
योग	3,232	38.69

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 3.10: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि की श्रेणीवार रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	(₹ करोड़ में) समाविष्ट राशि
चोरी	161	6.12
दुर्विनियोग / सामग्री की हानि	3,071	32.57
योग	3,232	38.69

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि प्रकरण तालिका 3.11 में दर्शाये गये कारणों से बकाया थे।

तालिका 3.11: दुर्बिनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण			
(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	विलंब/बकाया प्रकरणों के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	01	0.04
(ii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण-पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	01	0.00*
(iii)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	3,160	37.59
(iv)	न्यायालयों में लंबित	70	1.06
योग		3,232	38.69

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*राशि ₹ 47,165

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 3.11 से देखा जा सकता है, ₹38.69 करोड़ के 3,232 प्रकरणों में से, ₹15.41 करोड़ के 2,126 प्रकरण (66 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक से लंबित थे। 3,160 प्रकरणों (98 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे। 3,232 प्रकरणों में से 360 प्रकरणों (जहां तक उपलब्ध) में प्राथमिकी सूचना प्रतिवेदित की गयी।

आगे, वर्ष 2018–19 के दौरान राशि ₹23.75 लाख की हानि के 46 प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में वर्णित है। 2018–19 के दौरान 545 प्रकरणों से संबंधित राशि ₹22.73 लाख की वसूली की गयी थी तथा शासकीय खाते में जमा कर दी गई थी। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

3.8 रोकड़ शेष में भिन्नता

31 मार्च 2019 की स्थिति में प्रधान महालेखाकार द्वारा संगणित भारतीय रिजर्व बैंक के पास रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष के मध्य ₹1,360.70 करोड़ (क्रेडिट) का निवल अंतर था। 31 मार्च 2019 की स्थिति में यह अंतर मुख्यतः 2006–07 से कोषालय स्तर पर 516 प्रकरण एवं 2008–09 से रिजर्व बैंक के स्तर पर 362 प्रकरण के मिलान न होने के कारण है तथा मिलान के अधीन है।

3.9 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का महालेखाकार द्वारा लेखांकित राशि के साथ मिलान करना अपेक्षित है। यह नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण करने एवं उनके बजटरी आवंटन का दक्षतापूर्वक प्रबंधन करने तथा उनके लेखों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम करने के लिए है।

2018–19 के दौरान मार्च 2019 तक सभी 124 नियंत्रण अधिकारियों ने व्यय ₹84,586.64 करोड़ ("लोक ऋण" के अंतर्गत पुनर्भुगतान को छोड़कर कुल व्यय ₹1,72,663.06 करोड़ का 48.99 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹20,768.47 करोड़ ("लोक ऋण" के अंतर्गत प्राप्तियों को छोड़कर कुल प्राप्ति ₹1,48,975.71 करोड़ का 13.94 प्रतिशत) का अंशतः मिलान किया है।

नियंत्रण अधिकारियों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान मिलान की सीमा से संबंधित विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12 प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति							
वर्ष	नियंत्रण अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्णतः मिलान	आंशिक मिलान	मिलान नहीं हुआ	कुल प्राप्तियाँ /व्यय	मिलान की गई प्राप्तियाँ/व्यय	(₹ करोड़ में) मिलान का प्रतिशत
							प्राप्तियाँ
2016-17	117	10	04	103	1,24,103.04	3,806.56	3.07
2017-18	117	08	27	82	1,41,881.03	25,914.75	18.27
2018-19	124	01	10	113	1,48,975.71	20,768.47	13.94
व्यय							
2016-17	117	19	85	13	1,51,766.61	53,985.77	35.57
2017-18	117	22	91	04	1,63,802.35	80,505.33	49.15
2018-19	124	08	108	08	1,72,663.06	84,586.64	48.99

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त जानकारी)

प्राप्तियों और व्यय का मिलान नहीं किया जाना लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करता है। नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इस प्रकरण को चिह्नित किए जाने के बावजूद भी कमियां निरंतर जारी हैं।

3.10 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 53 के अनुसार, अस्थायी अग्रिमों का समायोजन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए एवं किसी भी स्थिति में समायोजन में तीन माह से अधिक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। आगे, मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम, 1971 का नियम 112(2) निर्दिष्ट करता है कि जब तक व्यय एक माह के भीतर किया जाना संभावित नहीं हो, तब तक कोई अग्रिम आहरित नहीं किया जायेगा।

31 मार्च 2019 की स्थिति में छः³⁸ विभागों द्वारा कुल ₹3.63 करोड़ के 1,955 प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे। सामान्य प्रशासन (निर्वाचन) विभाग (₹3.53 करोड़), के संबंध में ₹ एक करोड़ से अधिक के अस्थायी अग्रिम लम्बित थे। विवरण निम्न तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: मार्च 2019 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण			
(₹ करोड़ में)			
स.क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	405	0.14
2	पाँच वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	138	0.57
3	एक वर्ष से अधिक एवं पाँच वर्ष तक	925	2.47
4	एक वर्ष तक	487	0.45
योग		1,955	3.63

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

- सात जिलाधीशों नामतः भोपाल, शहडोल, उमरिया, सतना, बालाघाट, टीकमगढ़ एवं सागर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2018 से अक्टूबर 2019)से परिलक्षित हुआ कि अस्थायी अग्रिम के रूप में यात्रा अग्रिम, चुनाव कार्य, नर्मदा सेवा यात्रा के लिए भोजन प्रदान

³⁸ (1) सामान्य प्रशासन (निर्वाचन) विभाग (₹352.61 लाख), (2) लोक निर्माण विभाग (₹5.03 लाख), (3) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग (₹0.09 लाख), (4) मत्स्य विभाग (₹1.55 लाख), (5) शिक्षा विभाग (₹2.27 लाख), (6) जन सम्पर्क विभाग (₹1.39 लाख)

करने, अटल ज्योति इत्यादि के लिए प्रदान की गई कुल राशि ₹1.07³⁹ करोड़ के 205 प्रकरण समायोजन के लिए लंबित थे।

उत्तर में, विभाग ने बताया कि अग्रिमों के समायोजन के लिए कार्यवाई की जा रही थी।

- कार्यालय⁴⁰, उप संचालक कृषि (डी.डी.ए.), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2018 से अप्रैल 2019) से परिलक्षित हुआ कि कुल ₹6.57 करोड़ के अस्थायी अग्रिम के 744 प्रकरण जो कि किसान प्रशिक्षण, किसानों के जिला दौरा इत्यादि के लिए प्रदान किए गए थे, समायोजन के लिए लंबित थे।

इस ओर इंगित किए जाने पर उप संचालक, कृषि ने बताया कि अग्रिम समायोजित किए जा रहे थे तथा अग्रिमों के समायोजन के लिए पत्र जारी किए गए थे।

- नगर परिषद (एन.पी.), जीरापुर (राजगढ़) मानपुर (इंदौर), कांताफोड़ (देवास), खजुराहो (छतरपुर) एवं जनपद पंचायत (जे.पी.) पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बड़नगर (उज्जैन), राजनगर (छतरपुर), पोरसा (मुरैना), नरसिंहगढ़ (राजगढ़) एवं बाघ (धार) के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019) से परिलक्षित हुआ कि नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों द्वारा 1988 से 2018 के मध्य क्रय करने, निर्माण, वाहनों के रख-रखाव, यात्रा व्यय, बच्चों के विवाह, विविध कार्य इत्यादि के लिए व्यक्तियों को अस्थायी अग्रिम के रूप में प्रदाय राशि ₹1.87⁴¹ करोड़ के 409 प्रकरण समायोजन के लिए लंबित थे।

उत्तर में, आयुक्त/सी.एम.ओ./सी.ई.ओ. ने बताया कि अग्रिमों की राशि व्यक्तियों से वसूली जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा एक लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात भी अस्थायी अग्रिमों की राशि का समायोजन नहीं किया गया था।

3.11 बैंक खातों का अनियमित संधारण

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 6 एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 284 के अनुसार तत्काल आवश्यकता न होने पर राज्य की समेकित निधि से निधियों का आहरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के नियम 9 के अनुसार शासन की विशेष अनुमति को छोड़कर शासकीय सेवक राज्य की संचित निधि और लोक लेखे से आहरित धनराशि बैंक में जमा नहीं कर सकता है। मध्य प्रदेश शासन ने निर्देशित (फरवरी 2009) किया था कि शासकीय कार्यालय जिन्होंने विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित निधियां समेकित निधि से आहरित की थी एवं बैंक खातों (वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गए) में जमा किया था, वे इन बैंक खातों से धन तत्काल आहरित करें एवं इसे वापिस शासकीय खातों में जमा करें।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2019 की स्थिति में दो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संचित निधि से दीन दयाल अन्त्योदय मिशन एवं स्व रोजगार योजना इत्यादि के लिए ₹0.22 करोड़

³⁹ (1) कलेक्टर, भोपाल: ₹2.73 लाख, (2) कलेक्टर, शहडोल: ₹4.79 लाख (3) कलेक्टर, उमरिया: ₹41.29 लाख, (4) कलेक्टर, सतना ₹31.99 लाख,(5) कलेक्टर,बालाघाट: ₹15.75 लाख, (6) कलेक्टर, टीकमगढ़ ₹3.56 लाख, (7) कलेक्टर,सागर ₹6.44 लाख

⁴⁰ (1) डीडीए, श्योपुर: ₹11.50 लाख (2) डीडीए, कटनी ₹15.01 लाख, (3)डीडीए, टीकमगढ़: ₹71.58 लाख, (4) डीडीए, होशंगाबाद: ₹247.20 लाख, (5) डीडीए, अलीराजपुर: ₹11.33 लाख, (6) डीडीए, विदिशा: ₹6.73 लाख, (7) डीडीए, अनूपपुर: ₹26.33 लाख, (8) डीडीए, भोपाल: ₹21.26 लाख, (9) डीडीए, सिवनी: ₹38.63 लाख, (10) डीडीए, सीहोर: ₹67.15 लाख, (11) डीडीए, छिंदवाड़ा: ₹18.42 लाख, (12) डीडीए, शहडोल: ₹29.04 लाख, (13) ए.एस.सी.ओ सागर, ₹0.91 लाख, (14) डीडीए, रीवा ₹92.35 लाख

⁴¹ (1) एनपी, राजगढ़ ₹2.52 लाख, (2) एनपी, जीरापुर (राजगढ़): ₹2.35 लाख, (3) एनपी, मानपुर (इंदौर): ₹115.95 लाख, (4) एनपी, कांताफोड़ (देवास) ₹10.30 लाख, (5) एनपी, खजुराहो: ₹11.79 लाख, (6) जेपी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर): ₹4.65 लाख, (7) जेपी, बड़नगर (उज्जैन): ₹0.72 लाख, (8) जेपी, राजनगर (छतरपुर): ₹2.74 लाख, (9) जेपी, पोरसा (मुरैना): ₹7.35 लाख, (10) जेपी, नरसिंहगढ़ (राजगढ़): ₹1.72 लाख, (11) जेपी, बाघ (धार): ₹27.26 लाख

आहरित किये गये तथा वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त किए बिना तीन बैंक खातों में जमा किए गए थे। विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14: 31 मार्च 2019 की स्थिति में बैंक खातों का विवरण					
संक्र.	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	बैंक का नाम	(₹ लाख में)
1	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, बड़वानी	उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, बड़वानी	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, झाण्डा चौक, बड़वानी	5.86
				स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एम.जी. रोड, बड़वानी	2.95
2	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कटनी	सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कटनी	एक्सेस बैंक, कटनी	13.28
योग					22.09

जिलाध्यक्ष, (अलीराजपुर, धार, बालाघाट, टीकमगढ़, सागर, झाबुआ, देवास, सतना, और रत्लाम) के अभिलेखों की संवीक्षा (जून—अक्टूबर 2019) से परिलक्षित हुआ कि ₹15.78 करोड़ की राशि 11 बैंक खातों में पड़ी हुई थी जो वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किये बिना खोले गए थे। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है। यद्यपि नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में ऐसे प्रकरण नियमित रूप से इंगित किए गए हैं, लेकिन इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

जिलाध्यक्ष, (हरदा, बुरहानपुर, कटनी, शाजापुर, छतरपुर एवं अलीराजपुर) के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई—अक्टूबर 2019) से परिलक्षित हुआ कि बैंक खातों में उपलब्ध शेष से उपार्जित ब्याज की राशि ₹0.87⁴² करोड़ को शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया था।

3.11.1 बजट अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों को बैंक खाते में रखना

कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास विभाग, बैतूल के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2019) से परिलक्षित हुआ कि राशि ₹4.51 करोड़ कोषालय से आहरित की गई थी तथा वित्त विभाग से अनुमति लिए बिना पांच⁴³ बैंक खातों में जमा की गई थी जो कि विभिन्न योजनाओं नामतः हाँस्टल, आश्रम एवं स्कूल के लिए लघु निर्माण कार्य, खेल योगदान स्थानीय निधि, कौशल विकास एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए खोले गए थे किंतु, वह राशि निष्क्रिय पड़ी थी।

इस ओर इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि बैंक खातों में जमा राशि पूर्व में स्वीकृत निर्माण कार्य से संबंधित है। कार्यों के मूल्यांकन के पश्चात समय—समय पर भुगतान किया जाएगा। कौशल विकास योजना से संबंधित शेष राशि को शासकीय खातों में जमा करने के संबंध में आयुक्त, जनजातीय विभाग से दिशा—निर्देश मांगे गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों को बैंक में जमा करने के लिए वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। तथ्य यह है कि इन खातों में रखी गई राशि, आहरित कर शासकीय खातों में जमा की जानी चाहिए थी। बिना तत्काल आवश्यकता के निधियों का आहरण एवं उन्हीं निधियों को बैंक में जमा करना शासन के निर्देशों एवं मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है।

⁴² (1) एस.बी.आई., हरदा: ₹1.26 लाख, (2) एस.बी.आई., बुरहानपुर: ₹5.65 लाख, (3) एस.बी.आई., कटनी: ₹15.17 लाख (4) स्टेट बैंक ऑफ इंडैन, शाजापुर: ₹36.61 लाख (5) एस.बी.आई., छतरपुर: ₹5.30 लाख (6) एस.बी.आई., अलीराजपुर: ₹22.65 लाख

⁴³ (1) बैंक ऑफ बड़ौदा: ₹2.25 करोड़ (2) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया: ₹0.02 करोड़ (3) बैंक ऑफ बड़ौदा: ₹1.02 करोड़ (4) बैंक ऑफ महाराष्ट्र: ₹0.60 करोड़ (5) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: ₹0.62 करोड़

3.11.2 योजना की समर्पिति के पश्चात् निधियों को बैंक खातों में रखना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खंड 1 के अध्याय 9 के नियम 173 के अनुसार जब तक शासन द्वारा अन्यथा आदेश न हो, विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया गया प्रत्येक अनुदान निहित शर्त के अधीन है कि राशि का कोई भी भाग जो अंतिम रूप से उस उद्देश्य पर व्यय के लिए अपेक्षित नहीं है, विधिवत शासन को समर्पित कर दिया जाना चाहिए।

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम⁴⁴/परिषद⁴⁵ के अभिलेखों की नमूना जांच से परिलक्षित हुआ कि नगरीय स्थानीय निकायों के विभिन्न योजनाओं की राशि ₹5.20 करोड़ बैंक खातों में पड़ी हुई थी। ये योजनाएं या तो बंद हो चुकी थीं या कोषालय पोर्टल द्वारा संचालित की जा रही हैं, किन्तु, राशियों को शासकीय खाते में समर्पित/जमा नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं की राशि ₹5.20 करोड़ का बैंक खातों में अवरोधन न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि निधियों के प्रवाह को भी प्रभावित करता है जिसका उपयोग शासन द्वारा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सकता था।

आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा बताया कि राशि को शासकीय खाते में जमा करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

3.12 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों के पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखने की स्थिति

राज्य शासन ने कृषि, आवास, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में सात स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 सितम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे भेजने, पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने तथा विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति की स्थिति **तालिका 3.15** में दी गई है।

⁴⁴ जबलपुर, खंडवा

⁴⁵ अकोडा (मिंड), बिजुरी (अनूपपुर), चाकघाट (रीवा), धनपुरी (शहडोल), गुढ़ (रीवा), गोविन्दगढ़ (रीवा) एवं पासन (अनूपपुर)

तालिका 3.15: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति						
संक्र.	निकाय का नाम	अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किये गये थे	अवधि जब तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब ⁴⁶ (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3)	2015-16	2015-16	2013-14 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 07.03.2018)	2014-15 (31) 2015-16 (19) 2016-17 (27) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2016-17	2016-17	2014-15 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 30.11.2017)	2015-16 (15) 2016-17 (22) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2012-13	2012-13	वर्ष 2003-04 से 2012-13 तक के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी।	2012-13 (59) 2013-14 (63) 2014-15 (51) 2015-16 (39) 2016-17 (27) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
4	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2006-07 से 2012-13	2009-10	वर्ष 2009-10 के लिए पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 26.06.2018 को जारी किए गए थे। राज्य विधानमंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति प्रतीक्षित थी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने 1997-98 से 2012-13 तक के बिना लेखापरीक्षा किये हुए लेखे राज्य विधानमंडल में दिनांक 25.02.2016 को प्रस्तुत किये।	2006-07 (133) 2007-08 (121) 2008-09 (109) 2009-10 (97) 2010-11 (85) 2011-12 (73) 2012-13 (61) 2013-14 (63) 2014-15 (51) 2015-16 (39) 2016-17 (27) 2017-18 (15) 2018-19 (03)
5	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंचना विकास मंडल, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(3)	2017-18	2017-18	2015-16 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 18.07.2017)	2016-17 (02) 2017-18 (00) 2018-19 (03)
6	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल	नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2017-18	2017-18	2017-18 (पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति दिनांक 20.02.2019)	2018-19 (03)

⁴⁶ विलम्ब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 सितम्बर 2019 तक ली गई है।

तालिका 3.15: स्वायत्त निकायों के लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति						
संक्र.	निकाय का नाम	अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किये गये थे	अवधि जब तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब ⁴⁶ (माहों में)
7	मध्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण	नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 19(2)	2017-18 (नवीन)	2017-18	प्रस्तुत नहीं किया गया	2017-18 (04) 2018-19 (03)

3.13 भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन न होना

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा गठित शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार मण्डल जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए शासकीय लेखांकन एवं वित्तीय सूचना के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2019 के अंत तक, तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए गए हैं। इन मानकों के विवरण तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए अपने वित्तीय विवरण में इनके अनुपालन की सीमा **तालिका 3.16** में दी गई है।

तालिका 3.16: भारतीय शासकीय लेखांकन मानकों का अनुपालन			
आई.जी.ए.एस.	आई.जी.ए.एस. का सार	स्थिति	गैर-अनुपालन का प्रभाव
आई.जी.ए.एस. 1 शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ—प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक के अंतर्गत शासन से वर्ष के दौरान अपने वित्तीय विवरण में परिग्रहितियाँ, हटाई गई, आमंत्रित, निपटाई गई एवं वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि प्रकट किया जाना अपेक्षित है।	अनुपालन हुआ	राज्य शासन ने मार्च 2019 तक परिग्रहितियाँ, निपटाई गई, आमंत्रित एवं बकायों सहित 2018–19 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूत राशि का खुलासा किया था।
आई.जी.ए.एस. 2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अंतिम उपयोग के निरपेक्ष, सहायता अनुदान प्रदाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदान गृहीता के लेखे में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	अनुपालन नहीं हुआ	राज्य शासन ने राशि ₹749.36 करोड़ की सहायता अनुदान को राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूँजीगत मुख्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर-अनुपालन के कारण राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं पूँजीगत व्यय बढ़ाकर बताया गया (कंडिका 2.3.9)
आई.जी.ए.एस. 3 शासन द्वारा प्रदत्त कर्ज एवं अग्रिम	यह मानक सम्पूर्ण, सटीक एवं एकरूप लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरण में लिए गए कर्जों एवं अग्रिमों की पहचान, मापन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन से संबंधित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	“अप्रतिलिप्य कर्जों एवं अग्रिमों का अपलेखन”, ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान”, “वर्ष के दौरान प्रदत्त कर्ज एवं अग्रिम” तथा “कर्जों एवं अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देनों को इंगेत करने वाले प्रकटीकरण” वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी। इस प्रकार राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।

3.14 निष्कर्ष

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800—‘अन्य प्राप्तियां’ (₹34,831.64 करोड़) एवं ‘अन्य व्यय’ (₹30,676.59 करोड़) के विवेकहीन संचालन ने वित्तीय सूचना में पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण को अस्पष्ट किया।

विभिन्न विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित कुल राशि ₹14,470.62 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि निर्धारित वित्तीय नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन था तथा राज्य शासन के खराब नियंत्रण तंत्र को दर्शाते हुए अपर्याप्त अंतरिक नियंत्रणों को इंगित करता है।

नियंत्रण अधिकारियों ने अपने लेखा आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय द्वारा दर्ज आंकड़ों से प्राप्तियों के संबंध में केवल 13.94 प्रतिशत एवं व्यय के संबंध में केवल 48.99 प्रतिशत की सीमा तक ही किया है। लेखा प्रतिपादन ईकाईयों/प्राधिकारियों द्वारा लेखाओं के गैर-मिलान ने राज्य के लेखाओं की शुद्धता एवं पूर्णता और प्रभावी बजटीय प्रबंधन को प्रभावित किया।

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ने बैंक खातों में ₹1,777.75 करोड़ की राशि अवरुद्ध की थी। आगे, मण्डल उपलब्ध निधियों का मात्र 15 प्रतिशत ही उपयोग कर सका तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों की केवल 30 प्रतिशत कल्याण गतिविधियों को पूरा किया।

विभिन्न जिलों के जिलाधीशों द्वारा वित्त विभाग के प्राधिकार के बिना बैंक खातों में राशि ₹13.78 करोड़ अवरुद्ध की गई थी।

विभिन्न व्यक्तिगत जमा खाते वृहत शेषों सहित तीन वर्षों से अधिक से असंचालित पड़े थे। शासन को इन खातों की निकटता से निगरानी करनी चाहिए थी तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि ऐसे असंचालित खाते बंद हैं तथा शेषों को राज्य की कोषालय संहिता के अनुसार शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

3.15 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय खाते में तत्काल अंतरित किया जाए। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।
- ii) राज्य शासन को विभागीय अधिकारियों द्वारा बिना प्राधिकार के खोले गए समस्त बैंक खातों की शीघ्रता से समीक्षा करनी चाहिए तथा उसके आदेशों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए। ऐसे समस्त बैंक खातों में पड़ी हुई निधियों को तत्काल राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।
- iii) राज्य शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अपने लेखों को अंतिम रूप दे तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों की कार्य स्थितियां सुधारने संबंधी अपने अधिदेश की पूर्ति करे, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुती के बिना आगे कोई भी निधि जारी नहीं की जानी चाहिए।
- iv) राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति रोकने वाले प्रकरणों की पहचान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समयोचित प्रस्तुती संबंधी निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करे एक सख्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

- v) राज्य शासन को सर्वग्राही लघु शीर्ष—८०० का उपयोग हतोत्सहित करना चाहिए तथा लेखा—बहियों में लेन—देनों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय—सीमा की योजना बनाना चाहिए।
- vi) आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शासकीय लेन—देनों के लेखांकन में पारदर्शिता एवं सटीकता प्रदान करने के लिए नियंत्रण अधिकारी अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान निर्धारित अंतराल पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकड़ों से करें।

गवालियर
दिनांक:

(डी. साहू)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा—प्रथम)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(गिरीश चंद्र मुमू)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भ: कंडिका 1.2; पृष्ठ 1)

क.	सामान्य आंकड़े	विवरण	आंकड़े		
स.क्र.					
1	क्षेत्र		3,08,245 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या				
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	6.03 करोड़		
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	7.26 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
	ख.	जनसंख्या ⁴⁷ का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी		
4	गरीबी रेखा ⁴⁸ से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.90 प्रतिशत)		31.70 प्रतिशत		
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	69.69 प्रतिशत		
	ख.	साक्षरता ⁴⁹ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	69.30 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर ⁵⁰ (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2017)		47 प्रति 1000 जीवित बच्चे		
7	जन्म ⁵⁰ के समय जीवित रहने की आशा (अखिल भारतीय औसत 2012–16 में = 68.70 वर्ष)		65.40 वर्ष		
8	मानव विकास सूचकांक ⁵¹ (क. 2017=0.643) (ख. 2018=0.647)		0.375 (रैंक–20)		
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2018–19 वर्तमान मूल्य पर		₹8,09,327 करोड़		
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2018–19 स्थिर मूल्य पर		₹5,35,362 करोड़		
11	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2011–12 से 2018–19)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	12.75 प्रतिशत 10.99 प्रतिशत		
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2011–12 से 2018–19)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	14.40 प्रतिशत 12.23 प्रतिशत		
13	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2009 से 2019)	मध्य प्रदेश सामान्य संवर्ग के राज्य	15.79 प्रतिशत 12.46 प्रतिशत		
ख.	वित्तीय आंकड़े	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)		
			2009–10 से 2017–18	2013–14 से 2017–18	2017–18 से 2018–19
			सामान्य संवर्ग के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य संवर्ग के राज्य
					मध्य प्रदेश
क.	राजस्व प्राप्तियों के		15.03	15.91	13.54
ख.	स्वयं के कर राजस्व के		14.84	12.66	11.17
ग.	करेतर राजस्व के		9.88	4.48	7.48
घ.	कुल व्यय के		14.20	16.59	13.86
ङ.	पूंजीगत व्यय के		13.53	18.55	15.35
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय के		13.44	18.06	10.69
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के		16.50	19.10	17.59
ज.	वैतन एवं मजदूरी के		11.72	10.67	10.47
झ.	पेंशन के		16.12	14.81	13.83
					11.87
					14.31
					29.00

(नोट: वित्तीय आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखे पर आधारित हैं)

⁴⁷ एम.ओ.एस.पी.आई. वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है— तालिका 2.3 सांख्यिकी वर्ष पुस्तक 2018

⁴⁸ आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खण्ड II), पृष्ठ ए 168–169, तालिका 9.8

⁴⁹ आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खण्ड II), पृष्ठ ए 164, तालिका 9.4

⁵⁰ आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 (खण्ड II), पृष्ठ ए 160, तालिका 9.1

⁵¹ यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2019

परिशिष्ट 1.2 (भाग—क)
शासकीय लेखों की संरचना
(संदर्भ: कंडिका 1.3; पृष्ठ 2)

राज्य शासन के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा।

भाग I समेकित निधि: राज्य शासन द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर लिए गए सभी ऋण, आन्तरिक ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में शासन द्वारा प्राप्त सभी धनराशियाँ एक समेकित निधि का निर्माण करती है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि अग्रदाय प्रकृति की होती हैं जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक अनवेक्षित व्यय करने के लिये अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती हैं। बाद में इस प्रकार के व्यय हेतु तथा समतुल्य राशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधानमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III लोक लेखा: प्राप्त एवं संवितरण से संबंधित कुछ लेन—देनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं और राज्य विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 (भाग—ख)
वित्त लेखों की रूपरेखा
(संदर्भ: कंडिका 1.3; पृष्ठ 2)

वित्त लेखे दो भागों में तैयार किये जाते हैं जिसके भाग—1 शासन के संक्षिप्त वित्तीय विवरण और भाग—2 इनके विस्तृत विवरण प्रदर्शित करता हैं। रूपरेखा का विवरण नीचे दिया गया है। आगे, भाग—2 में मुख्य शीर्षवार वेतन एवं राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गयी सहायता एवं सहायता अनुदान, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनायें, आयोजनागत योजना पर व्यय, केन्द्रीय योजना निधियों का क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अंतरण, शेषों का सारांश, सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम, बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं में लागू मुख्य नीतिगत निर्णय और अनुरक्षण व्यय जो कि विभिन्न परिशिष्टों में आये हैं, के विवरण समाहित है।

विवरण क्रमांक	संक्षिप्त एवं विस्तृत विवरण
1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण पत्रक
3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)
5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण पत्रक
6	उधारियों एवं अन्य देयताओं का विवरण पत्रक
7	शासन द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्रक
8	शासन के निवेशों का विवरण पत्रक
9	शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक
10	शासन द्वारा दिए गए सहायतानुदान का विवरण पत्रक
11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक
12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्त्रोतों और अनुप्रयोग का विवरण पत्रक
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश का विवरण पत्रक
14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
16	पूँजीगत व्यय का लघु शीर्ष एवं उप शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक
17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक
18	राज्य शासन द्वारा दिए गये ऋण तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक
19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक
20	शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन—देनों का विस्तृत विवरण पत्रक
22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

परिशिष्ट 1.2 (भाग—ग)

चयनित शब्द जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में
किया गया है, की परिभाषा
(संदर्भ: कंडिका 1.3; पृष्ठ 2)

शब्द	गणना का आधार
मापदण्डों की उत्प्लावकता	मापदण्ड की संवृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर
मापदण्ड (X) की अन्य मापदण्ड (Y) के सन्दर्भ में उत्प्लावकता	मापदण्ड (X) की संवृद्धि दर/मापदण्ड (Y) की संवृद्धि दर
संवृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि}/\text{विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[$(\text{पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं})/2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल कर्ज तथा अग्रिम – राजस्व प्राप्तियां – विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा–ब्याज अदायगियां

परिशिष्ट 1.3

वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ समग्र राजकोषीय स्थिति का सार
 (संदर्भ: कंडिका 1.4; पृष्ठ 2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017–18		2018–19	2017–18		2018–19
भाग—क: राजस्व					
1,34,875.39	I.	राजस्व प्राप्तियाँ	1,48,892.79	1,30,246.09	राजस्व व्यय
44,810.85		कर राजस्व	50,882.41	32,100.08	सामान्य सेवाएं
				58,346.18	सामाजिक सेवाएं
9,061.18		करेत्तर राजस्व	11,898.69	23,653.44	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति
50,853.07		संघ करों में राज्य का भाग	57,487.01	6,408.88	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
4,408.12		आयोजनेतर अनुदान	4,920.33	17,317.45	जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास
23,163.80		राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	20,821.22	343.50	सूचना एवं प्रसारण
67.37		केंद्रीय तथा केंद्र प्रवर्तित आयोजना योजनाओं के लिए अनुदान	17.13	3,356.73	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2,511.00		राज्य के लिये अन्य अनुदान	2,866.00	356.04	श्रम तथा श्रमिक कल्याण
				6,657.75	समाज कल्याण एवं पोषण
				252.39	अन्य
				32,734.59	आर्थिक सेवाएं
				11,928.16	कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप
				6,820.58	ग्रामीण विकास
				645.33	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण
				9,753.26	ऊर्जा
				1,959.95	उद्योग एवं खनिज
				1,102.25	परिवहन
				212.27	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण
				312.79	सामान्य आर्थिक सेवाएं
				7,065.24	सहायता अनुदान एवं अंशदान
	II.	भाग ख में अग्रेनित राजस्व घाटा		4,629.30	भाग ख में अग्रेनित राजस्व अधिशेष
1,34,875.39		योग	1,48,892.79	1,34,875.39	योग
					1,48,892.79

भाग—ख: अन्य						
प्राप्तियाँ			संवितरण			
2017–18		2018–19	2017–18		2018–19	
10,993.66	III	प्रारम्भिक नकद शेष स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित	7,135.56		भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक अधिविकर्ष	
19.35	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	13.04	30,913.22	पूँजीगत परिव्यय	29,424.19
				742.58	सामान्य सेवाएं	722.69
				5,358.38	सामाजिक सेवाएं	5,719.33
				688.34	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	942.35
				1,039.87	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,217.72
				2,364.24	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,732.49
				0.30	सूचना एवं प्रसारण	0.67
				1,061.28	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	738.17
				118.16	समाज कल्याण एवं पोषण	29.37
				86.19	अन्य सामाजिक सेवाएं	58.56
				24,812.26	आर्थिक सेवाएं	22,982.17
				396.32	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	1,879.28
				2,186.54	ग्रामीण विकास	3,218.49
				7,973.14	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	8,378.39
				7,479.57	ऊर्जा	2,272.48
				258.28	उद्योग एवं खनिज	272.49
				6,400.35	परिवहन	6,891.84
				4.00	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	2.25
				114.06	सामान्य आर्थिक सेवाएं	66.95
5,069.53	V	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	69.88	1,550.20	संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	1,089.66
				706.25	बिजली परियोजनाओं के लिए	385.25
				132.58	कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिये	112.84
				346.16	उद्योग तथा खनिज के लिये	272.16
0.01		शासकीय कर्मचारियों से	0.01	--	शासकीय कर्मचारियों को	--
5,069.52		अन्यों से	69.87	365.21	अन्यों को	319.41
-0.05	VI	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.75	-0.01	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.05

प्राप्तियाँ			संवितरण		
2017–18			2018–19	2017–18	2018–19
4,629.30	VII	अधोनीत राजस्व अधिशेष	6,743.58	--	अधोनीत राजस्व घाटा
21,892.17	VIII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	32,497.42	5,776.38	लोक ऋण का पुनर्भुगतान
19,975.36		अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण	25,325.26	4,683.53	अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अलावा आन्तरिक ऋण
--		अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन	3,376.38	--	अर्थोपाय अग्रिम के अधीन निवल लेन–देन
--		अधिविकर्षों के अधीन निवल लेन–देन	--	--	--
1,916.81		केंद्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	3,795.78	1,092.85	केंद्र सरकार को कर्ज तथा अग्रिमों का पुनर्भुगतान
--	IX	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग
--	X	आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	--	--	आकस्मिकता निधि से व्यय
1,71,664.83	XI	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,86,344.24	1,68,893.44	लोक लेखा संवितरण
3,416.80		अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ	4,570.80	2,736.37	अल्प बचतें तथा भविष्य निधियाँ
2,257.81		आरक्षित निधियाँ	2,231.96	3,295.81	आरक्षित निधियाँ
1,23,314.51		उचंत तथा विविध	1,29,572.35	1,23,204.56	उचंत तथा विविध
17,659.89		प्रेषण	18,206.46	16,956.49	प्रेषण
25,015.83		जमा एवं अग्रिम	31,762.67	22,700.21	जमा एवं अग्रिम
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष		7,135.56	वर्ष के अन्त में रोकड़ शेष
				--	खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण
				-693.65	रिजर्व बैंक में जमा ⁵²
				0.60	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष
				7,828.61	रोकड़ शेष निवेश तथा उद्दिष्ट निधियों से निवेश
2,14,268.79		योग	2,32,804.47	2,14,268.79	योग
					2,32,804.47

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁵² मार्च 2019 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत लेखाओं में दर्शित ₹3,663.52 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹2,302.81 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹1,360.71 करोड़ (जमा) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

परिशिष्ट 1.4
2018–19 हेतु बजट अनुमानों की वास्तविकता से तुलना
(संदर्भ: कंडिका 1.6; पृष्ठ 10)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक / कमी (-)	अधिक / कमी (-) प्रतिशत में
1	2	3	4 (3-2)	5
राजस्व प्राप्तियाँ, जिसमें	1,55,886.47	1,48,892.79	-6,993.68	-4.49
स्वयं के कर राजस्व	54,655.24	50,882.41	-3,772.83	-6.90
राज्य माल एवं सेवा कर	20,108.00	18,508.50	-1,599.50	-7.95
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	11,500.00	9,903.20	-1,596.80	-13.89
राज्य उत्पाद शुल्क	9,000.00	9,542.15	542.15	6.02
वाहन कर	3,200.00	3,008.26	-191.74	-5.99
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,600.00	5,277.99	-322.01	-5.75
माल तथा यात्री कर	15.00	117.50	102.50	683.33
भू-राजस्व	1,200.00	383.91	-816.09	-68.01
अन्य कर	4,032.24	4,140.90	108.66	2.69
करेतर राजस्व	10,933.78	11,898.69	964.91	8.83
ब्याज प्राप्तियाँ	350.00	880.34	530.34	151.53
विविध सामान्य सेवाएं	920.00	773.18	-146.82	-15.96
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	4,100.00	3,933.56	-166.44	-4.06
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,955.06	2,366.39	411.33	21.04
वन्य एवं वानिकी	1,150.00	1,042.94	-107.06	-9.31
अन्य करेतर राजस्व	2,458.72	2,902.28	443.56	18.04
संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	59,489.92	57,487.01	-2,002.91	-3.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	30,807.53	28,624.69	-2,182.84	-7.09
राजस्व व्यय, जिसमें	1,55,623.91	1,42,149.21	-13,474.70	-8.66
सामान्य सेवाएं	40,675.24	38,112.57	-2,562.67	-6.30
सामाजिक सेवाएं	62,973.99	58,707.31	-4,266.68	-6.78
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	26,987.00	26,174.09	-812.91	-3.01
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7,018.47	6,520.71	-497.76	-7.09
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	15,211.01	13,476.75	-1,734.26	-11.40
सूचना एवं प्रसारण	365.43	384.09	18.66	5.11
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,148.86	3,257.02	-891.84	-21.50
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	733.45	1,212.32	478.87	65.29
समाज कल्याण एवं पोषण	8,222.60	7,460.41	-762.19	-9.27
अन्य	287.17	221.92	-65.25	-22.72
आर्थिक सेवाएं	44,822.73	37,657.67	-7,165.06	-15.99
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	16,344.43	15,602.67	-741.76	-4.54
ग्रामीण विकास	8,708.28	7,374.14	-1,334.14	-15.32
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	916.24	1,061.23	144.99	15.82
ऊर्जा	14,033.88	10,070.69	-3,963.19	-28.24
उद्योग एवं खनिज	2,646.46	2,104.29	-542.17	-20.49
परिवहन	1,535.27	1,027.06	-508.21	-33.10
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	305.50	178.04	-127.46	-41.72
सामान्य आर्थिक सेवाएं	332.67	239.55	-93.12	-27.99
सहायता अनुदान एवं अंशदान	7,151.95	7,671.66	519.71	7.27
पूँजीगत व्यय, जिसमें	29,342.83	29,424.19	81.36	0.28
सामान्य सेवाएं	921.50	722.69	-198.81	-21.57
सामाजिक सेवाएं	7,570.38	5,719.33	-1,851.05	-24.45
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,830.23	942.35	-887.88	-48.51
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,366.69	1,217.72	-148.97	-10.90

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक	अधिक/ कमी (-)	अधिक/ कमी (-) प्रतिशत में
जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,836.74	2,732.49	-104.25	-3.67
सूचना एवं प्रसारण	5.00	0.67	-4.33	-86.60
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,322.05	738.17	-583.88	-44.16
समाज कल्याण एवं पोषण	139.37	29.37	-110.00	-78.93
अन्य सामाजिक सेवाएं	70.30	58.56	-11.74	-16.70
आर्थिक सेवाएं	20,850.95	22,982.17	2,131.22	10.22
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	567.64	1,879.28	1,311.64	231.07
ग्रामीण विकास	3,142.42	3,218.49	76.07	2.42
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	8,656.84	8,378.39	-278.45	-3.22
ऊर्जा	2,178.03	2,272.48	94.45	4.34
उद्योग एवं खनिज	286.02	272.49	-13.53	-4.73
परिवहन	5,929.50	6,891.84	962.34	16.23
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	7.50	2.25	-5.25	-70.00
सामान्य आर्थिक सेवाएं	83.00	66.95	-16.05	-19.34
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	262.09	6,743.58	6,481.49	2,473.00
राजकोषीय घाटा (-)	-26,780.71	-23,687.65	3,093.06	-11.55
प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-)	-13,913.42	-10,991.96	2,921.46	-21.00

(स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट पुस्तिकाएं 2018–19)

परिशिष्ट 1.5
जेण्डर बजट के अंतर्गत ₹ एक करोड़ से अधिक की कमी का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 1.6.1.1; पृष्ठ 12)

(₹ करोड में)

संक्र.	योजना क्रमांक एवं नाम	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कमी	प्रावधान से कमी का प्रतिशत
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल					
श्रेणी-2					
1	0581—उच्च माध्यमिक शालायें	1,573.18	1,251.24	321.94	20.46
2	0701—अतिथि शिक्षकों का मानदेय	185.90	183.37	2.53	1.36
3	2267—नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	110.00	95.41	14.59	13.26
4	2669—नगरीय निकायों के अध्यापक तथा संविदा शाला शिक्षकों का वेतन/ मानदेय	150.00	134.66	15.34	10.23
5	3491—माध्यमिक शालायें	2,534.33	1,702.38	831.95	32.83
6	4193—शास. विद्यालयों के 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण	87.29	80.88	6.41	7.34
7	4395—शासकीय पुस्तकालय	19.32	8.50	10.82	56.00
8	4396—शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना	4,211.46	2,817.95	1,393.51	33.09
9	5133—विविध छात्रवृत्तियां	140.19	122.62	17.57	12.53
10	5541—शैक्षिक अभ्युत्थान	2.07	0.43	1.64	79.23
11	6005—राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	750.00	446.10	303.90	40.52
12	6007—मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन, जिला खनिज प्रतिष्ठान का संचालन	97.02	12.92	84.10	86.68
13	6019—वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधिया	8.00	5.04	2.96	37.00
14	6968—शालाओं का उन्नयन	124.10	37.07	87.03	70.13
15	9949—अशासकीय शालाओं को अनुदान	500.00	361.75	138.25	27.65
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल					
श्रेणी-1					
1	8799—छात्रावास भवन निर्माण	17.50	0.00	17.50	100.00
2	7733—छात्रावास में चौकीदार कक्ष निर्माण	9.76	2.64	7.12	72.95
श्रेणी-2					
3	8810—सर्व शिक्षा अभियान	3,350.54	3,011.11	339.43	10.13
4	2267—नि:शुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	11.00	6.60	4.40	40.00
5	6484—आर.टी.आई. के तहत अशासकीय विद्यालयों के देयून फीस की प्रतिपूर्ति	310.00	176.70	133.30	43.00
विकास आयुक्त, भोपाल					
श्रेणी-2					
1	5131—मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	31.34	0.00	31.34	100.00
2	5198—प्रधानमंत्री आवास योजना	6,600.00	5,523.66	1,076.34	16.31
3	6923—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	2,500.00	2,035.19	464.81	18.59
4	6931—मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	1,100.00	735.33	364.67	33.15
5	7886—मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	90.00	50.29	39.71	44.12
6	6836—राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका भिशन(एन.आर.एल.एम.)	633.00	210.72	422.28	66.71

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

परिशिष्ट 1.6
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े
(संदर्भ: कंडिका 1.7.2; पृष्ठ 13)

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
(i) कर राजस्व	36,567(41)	40,214(38)	44,194(36)	44,811(33)	50,882(34)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
राज्य माल एवं सेवा कर	--	--	--	8,696 (19)	18,508(36)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,136(50)	19,806(49)	22,561(51)	14,984(33)	9,903(20)
राज्य उत्पाद शुल्क	6,695(18)	7,923(20)	7,533(17)	8,245(18)	9,542(19)
वाहन कर	1,824(5)	1,933(5)	2,252(5)	2,692(6)	3,008(6)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,893(11)	3,868(10)	3,925(9)	4,789(11)	5,278(10)
भू-राजस्व	243(1)	277(1)	407(1)	491(1)	384(1)
माल तथा यात्री कर	2,686(7)	3,085(8)	3,805(9)	1,159(3)	118(0)
अन्य कर	3,090(8)	3,322(8)	3,711(8)	3,755(8)	4,141(8)
(ii) करेतर राजस्व	10,375(12)	8,569(8)	9,086(7)	9,061(7)	11,899(8)
(iii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	24,107(27)	38,398(37)	46,064(37)	50,853(38)	57,487(39)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	17,592(20)	18,330(17)	23,963(20)	30,150(22)	28,625(19)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	28	26	24	19	13
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1	2	0	0	0
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	6,765	162	772	5,070	70
4. कुल राजस्व तथा ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	95,435	1,05,701	1,24,103	1,39,964	1,48,976
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,069	19,985	29,847	21,892	32,497
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	13,697	18,659	28,581	19,975	25,325
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	3,376
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,372	1,326	1,266	1,917	3,796
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,10,504	1,25,686	1,53,950	1,61,856	1,81,473
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	300	1	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,10,295	1,32,772	1,61,079	1,71,665	1,86,344
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,21,099	2,58,459	3,15,029	3,33,521	3,67,817
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	82,373(77)	99,771(83)	1,19,537(79)	1,30,246(80)	1,42,149(82)
सामान्य सेवाएं (व्याज अदायगियों सहित)	22,365(27)	25,700(26)	27,903(23)	32,100(25)	38,112(27)
सामाजिक सेवाएं	32,067(39)	42,651(43)	47,942(40)	58,346(45)	58,707(41)
आर्थिक सेवाएं	23,715(29)	25,529(25)	36,885(31)	32,735(25)	37,658(27)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	4,226(5)	5,891(6)	6,807(6)	7,065(5)	7,672(5)
11. पूंजीगत व्यय	11,878(11)	16,835(14)	27,288(18)	30,913(19)	29,424(17)
सामान्य सेवाएं	258(2)	549(3)	698(3)	743(3)	723(3)
सामाजिक सेवाएं	2,070(18)	3,024(18)	3,285(12)	5,358(17)	5,719(19)
आर्थिक सेवाएं	9,550(80)	13,262(79)	23,305(85)	24,812(80)	22,982(78)
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	12,535(12)	3,158(3)	4,941(3)	1,550(1)	1,090(1)
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1	2	1	0	1
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	1,06,787	1,19,766	1,51,767	1,62,709	1,72,664
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,921	4,860	4,925	5,776	13,524
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों को छोड़कर)	4,084	3,948	3,908	4,683	8,999
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	--	--	--	3,376

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	837	912	1,017	1,093	1,149
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	300	--	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	1,12,008	1,24,626	1,56,692	1,68,485	1,86,188
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	1	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	1,08,165	1,28,337	1,58,242	1,68,893	1,83,377
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	2,20,174	2,52,963	3,14,934	3,37,378	3,69,565
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(−) / राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	6,268	5,740	7,781 ⁵³	4,629	6,744
22. राजकोषीय घाटा(−) / राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-11,352	-14,065	-20,304 ⁵⁴	-22,745	-23,688
23. प्राथमिक घाटा(−) / अधिशेष(+) (22+24)	-4,281	-5,974	-11,225 ⁵⁵	-11,700	-10,992
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. व्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	7,071	8,091	9,079	11,045	12,696
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	18,668	22,656	32,379	36,462	36,735
26. ली गई अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	25
लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	--	--	--	25
लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर व्याज	--	--	--	--	1.16
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁵⁶	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309
30. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (व्याज सहित)	20,124	27,530	33,397	14,003	30,763
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	31,885	40,171	40,395	31,653	55,640
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	68	91	242	-	55
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	14,344	15,477	8,607	-	2,951
भाग ड. राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	7.62	7.43	6.81	6.15	6.29
स्वयं के करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	2.16	1.58	1.40	1.24	1.47
केन्द्रीय अंतरण ⁵⁷ / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	8.69	10.48	10.79	11.12	10.64
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्पादकता (प्रतिशत)	1.89	1.91	1.70	6.70	0.77
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.25	22.13	23.39	22.34	21.33
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	120.47	113.51	123.08	120.64	115.97
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	77.14	83.30	78.76	80.05	82.33

⁵³ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजस्व अधिशेष ₹3,770 करोड़⁵⁴ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर राजकोषीय घाटा ₹27,664 करोड़⁵⁵ उदय के प्रभाव को छोड़कर, उदय के प्रभाव को लेने पर प्राथमिक घाटा ₹18,585 करोड़⁵⁶ वर्ष 2014–15 से 2017–18 के लिये शासन द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया⁵⁷ केन्द्रीय अंतरण में संघ करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	21.18	21.93	18.85	20.28	22.53
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	31.98	38.16	33.80	39.28	37.46
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	42.88	34.99	42.86	36.10	35.57
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	11.12	14.06	17.98	19.00	17.04
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	10.88	13.60	17.52	18.54	16.62
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.31	1.06	1.20	0.64	0.83
राजकोषीय घाटा(−)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-2.37	-2.60	-3.13	-3.12	-2.93
प्राथमिक घाटा(−)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.89	-1.10	-1.73	-1.61	-1.36
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	15.69	16.94	17.02	16.37	16.00
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.65	23.49	24.01	23.67	24.01
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	122.62	120.50	126.35	127.79	130.50
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	80.35 (0.49)	129.64 (0.78)	231.50 (1.02)	622.36 (2.05)	347.26 (0.99)
वित्तीय परिस्पर्तियाँ/देयताएं	0.62	0.63	0.68	0.67	0.68

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपशीर्षक के योगों की तुलना में प्रतिशतता (पूर्णांक में) प्रदर्शित करते हैं।

परिशिष्ट 1.6 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

- उपरोक्त दिए गए विवरण पत्रों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखे में दी गयी टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ पढ़े जाये। शासकीय लेखे मुख्य रूप से रोकड़ के आधार पर होने के कारण **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाएं अनुसार शासकीय लेखाओं में घाटा वाणिज्यिक लेखाकरण में उपार्जन के आधार के विपरीत रोकड़ के आधार पर स्थिति इंगित करते हैं। परिणामस्वरूप भुगतान योग्य मर्दे अथवा प्राप्ति योग्य मर्दे अथवा मर्दे जैसे मूल्य ह्वास या स्टर्क में भिन्नता आदि के आंकड़े लेखाओं में नहीं दिए गए हैं। उचन्त तथा विविध शेषों में जारी किये गये किन्तु भुगतान न किए गए वैक राज्य की ओर से किए गए भुगतान एवं अन्य लम्बित निपटारे आदि सम्बलित हैं।
- मार्च 2019 के लेखाओं के बंद होने पर “भारतीय रिजर्व बैंक में जमा” के अन्तर्गत महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹3,663.52 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹2,302.81 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹1,360.71 करोड़ (जमा) का अन्तर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अन्तर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन-देनों की गलत रिपोर्टिंग है।
- लागू नहीं क्योंकि राज्य ने 2004-05 से वर्तमान तक राजस्व अधिशेष बनाए रखा है।

परिशिष्ट 1.7
(क) स्वयं के कर राजस्व 2014–19
 (संदर्भ: कंडिका 1.7.2.1; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	8,696	20,108	18,508
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,136	19,806	22,561	14,984	11,500	9,903
राज्य उत्पाद शुल्क	6,695	7,923	7,533	8,245	9,000	9,542
वाहन कर	1,824	1,933	2,252	2,692	3,200	3,008
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	3,893	3,868	3,925	4,789	5,600	5,278
भू-राजस्व	243	277	407	491	1,200	384
माल तथा यात्री पर कर	2,686	3,085	3,805	1,159	15	118
अन्य कर	3,090	3,322	3,711	3,755	4,032	4,141
योग (क)	36,567	40,214	44,194	44,811	54,655	50,882

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2018–19)

(ख) करेतर राजस्व 2014–19
 (संदर्भ: कंडिका 1.7.2.1; पृष्ठ 14)

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	1,341	559	813	1,261	700	1,228
सामान्य सेवाएं	594	1,279	664	516	1,460	1,671
सामाजिक सेवाएं	3,696	1,784	2,338	1,609	2,311	2,781
आर्थिक सेवाएं	4,744	4,947	5,271	5,675	6,463	6,219
योग (ख)	10,375	8,569	9,086	9,061	10,934	11,899
महायोग (क+ख)	46,942	48,783	53,280	53,872	65,589	62,781

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं 2018–19)

परिशिष्ट 1.8

31 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश शासन की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षेप स्थिति
 (संदर्भ: कंडिका 1.12.1; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

31.03.2018 की स्थिति में	देयताएं	31.03.2019 की स्थिति में
1,23,683.16	आन्तरिक ऋण—	1,40,009.31
83,816.25	ब्याज सहित बाजार कर्ज	98,817.00
0.39	ब्याज रहित बाजार कर्ज	0.33
43.07	भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	33.73
17,028.19	अन्य संस्थाओं से कर्ज	17,276.95
22,795.26	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	23,881.30
निरंक	अर्थोपाय पेशागियां (प्रदत्त ब्याज सहित)	निरंक
निरंक	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	निरंक
14,741.06	केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम—	17,388.60
1.88	1984–85 से पूर्व के कर्ज	1.88
31.88	आयोजनेतर कर्ज	28.28
14,707.30	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	17,358.44
--	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
--	केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	--
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
14,331.30	अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि	16,577.33
14,096.28	जमा	14,260.20
5,927.73	आरक्षित निधियां	6,490.37
1,328.07	उचन्त तथा विविध शेष	650.90
1,587.66	प्रेषण शेष	2,229.91
1,76,195.26	योग परिसम्पत्तियां	1,98,106.62
1,85,264.11	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय—	2,13,157.55
30,377.19	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	35,240.10
1,54,886.92	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,77,917.45
41,469.42	कर्ज तथा अग्रिम	42,143.85
33,048.56	बिजली परियोजनाओं हेतु कर्ज	33,162.07
8,401.72	अन्य विकास कर्ज	8,962.65
19.14	शासकीय कर्मचारियों को कर्ज तथा विविध कर्ज	19.13
3.40	अग्रिम	3.40
--	प्रेषण शेष	--
7,135.56	रोकड़—	5,389.02
--	कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण	--
-693.65	रिजर्व बैंक में जमा	-3,663.52
0.60	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष	-2.34
7,412.19	रोकड़ शेष निवेश	8,638.46

31.03.2018 की स्थिति में	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2019 की स्थिति में
416.42	आरक्षित निधि निवेश	416.42
-57,677.23	शासकीय लेखाओं में घाटा—	-62,587.20
-4,629.30	(i) वर्तमान वर्ष के राजस्व अधिशेष में कमी	-6,743.58
0.03	(क) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0.30
2.53	(ख) शासकीय लेखे में राशि का संवरण	2.30
-1,485.03	(ग) वर्ष के दौरान प्रोफार्मा/अन्य समायोजन	1,831.01
--	(घ) आकस्मिकता निधि	--
-51,565.46	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा	-57,677.23
1,76,195.26	योग	1,98,106.62

(झोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 2.1

पिछले वर्षों में प्रावधान से अधिक व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 38)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों / विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संख्या	आधिक्य की राशि
2011-12	04 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74	135.10
	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 23 पूंजीगत (प्रभारित): 23	
2012-13	02 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 10 पूंजीगत (प्रभारित): 24	0.24
2013-14	02 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2 पूंजीगत (दत्तमत): 10	34.31
	01 विनियोग	पूंजीगत (प्रभारित): 21	
2014-15	03 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूंजीगत(दत्तमत): 42	446.28
	03 विनियोग	राजस्व (प्रभारित): 24, 67 पूंजीगत (प्रभारित): 41	
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
योग	10 अनुदान एवं 08 विनियोग		639.70

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
1	1	सामान्य प्रशासन (राजस्व प्रभारित)	57.87	25.68	44.38
2	1	सामान्य प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	73.49	34.61	47.09
3	3	पुलिस (पूँजीगत दत्तमत)	492.88	122.71	24.90
4	6	वित्त (राजस्व प्रभारित)	22.81	19.82	86.89
5	6	वित्त (पूँजीगत दत्तमत)	180.70	85.63	47.39
6	7	वाणिज्यिक कर (राजस्व दत्तमत)	2,814.65	788.29	28.01
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन (पूँजीगत दत्तमत)	161.14	66.85	41.49
8	10	वन (राजस्व दत्तमत)	2,359.93	759.19	32.17
9	10	वन (पूँजीगत दत्तमत)	1,225.64	388.79	31.72
10	11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन (राजस्व दत्तमत)	465.01	172.45	37.09
11	12	ऊर्जा (राजस्व दत्तमत)	16,326.82	6,515.48	39.91
12	12	ऊर्जा (पूँजीगत दत्तमत)	3,826.83	1,527.71	39.92
13	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास (राजस्व दत्तमत)	16,864.45	7,118.31	42.21
14	14	पशुपालन (पूँजीगत दत्तमत)	18.89	10.51	55.64
15	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास (राजस्व दत्तमत)	91.62	18.42	20.10
16	17	सहकारिता (राजस्व दत्तमत)	1,391.24	885.41	63.64
17	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत)	6,339.28	1,393.16	21.98
18	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	300.00	153.15	51.05
19	21	लोक सेवा प्रबंधन (राजस्व दत्तमत)	83.14	37.10	44.62
20	22	नगरीय विकास एवं आवास (राजस्व दत्तमत)	8,094.92	3,153.90	38.96
21	22	नगरीय विकास एवं आवास (पूँजीगत दत्तमत)	1,589.98	791.50	49.78
22	22	नगरीय विकास एवं आवास (पूँजीगत प्रभारित)	15.00	15.00	100.00
23	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (राजस्व दत्तमत)	1,538.04	539.91	35.10
24	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्कें और पुल (पूँजीगत प्रभारित)	200.00	199.97	99.99
25	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (राजस्व दत्तमत)	1,1058.38	2,771.41	25.06
26	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) (पूँजीगत दत्तमत)	402.74	263.12	65.33
27	29	विधि और विधायी कार्य (राजस्व प्रभारित)	171.47	37.61	21.93
28	30	ग्रामीण विकास (पूँजीगत दत्तमत)	3,034.00	1,096.85	36.15
29	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी (राजस्व दत्तमत)	126.29	37.84	29.96
30	33	जनजातीय कार्य (राजस्व दत्तमत)	3,966.66	1,054.11	26.57

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचतें	प्रतिशत
31	33	जनजातीय कार्य (पूँजीगत दत्तमत)	1,281.00	289.85	22.63
32	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (राजस्व दत्तमत)	755.55	254.45	33.68
33	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (पूँजीगत दत्तमत)	309.10	241.03	77.98
34	36	परिवहन (पूँजीगत दत्तमत)	45.75	36.55	79.89
35	37	पर्यटन (राजस्व दत्तमत)	155.49	51.90	33.38
36	38	आयुष (पूँजीगत दत्तमत)	23.20	13.60	58.62
37	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्व दत्तमत)	1,730.22	422.96	24.45
38	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (राजस्व दत्तमत)	3,515.25	886.42	25.22
39	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) (पूँजीगत दत्तमत)	572.55	357.22	62.39
40	43	खेल और युवक कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	75.78	27.69	36.54
41	44	उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)	2,174.06	545.29	25.08
42	44	उच्च शिक्षा (पूँजीगत दत्तमत)	477.84	143.03	29.93
43	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य (पूँजीगत दत्तमत)	782.89	159.51	20.37
44	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राजस्व दत्तमत)	300.16	126.68	42.20
45	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (राजस्व दत्तमत)	1,267.81	395.43	31.19
46	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (पूँजीगत दत्तमत)	339.21	147.24	43.41
47	48	नर्मदा धाटी विकास (राजस्व दत्तमत)	36.85	14.97	40.62
48	49	अनुसूचित जाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	1,070.54	292.93	27.36
49	49	अनुसूचित जाति कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	291.30	92.32	31.69
50	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व (राजस्व दत्तमत)	257.58	68.52	26.60
51	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)	34,568.78	7,589.70	21.96
52	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	215.98	143.73	66.55
53	55	महिला एवं बाल विकास (राजस्व दत्तमत)	5,276.57	1,082.23	20.51
54	55	महिला एवं बाल विकास (पूँजीगत दत्तमत)	133.52	104.90	78.57
55	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (पूँजीगत दत्तमत)	1,000.00	200.00	20.00
56	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता (पूँजीगत दत्तमत)	116.93	40.80	34.89
57	65	विमानन (राजस्व दत्तमत)	38.10	10.31	27.06
58	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण (पूँजीगत दत्तमत)	26.75	16.64	62.21
59	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (राजस्व दत्तमत)	685.22	183.02	26.71
60	67	लोक निर्माण कार्य-भवन (पूँजीगत दत्तमत)	403.68	150.34	37.24
61	69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण (राजस्व दत्तमत)	32.65	19.57	59.94
योग			1,41,254.18	44,193.32	31.29

(स्रोत: 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.3

विभिन्न अनुदानों / विनियोगों, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹100 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थीं, का विवरण पत्रक
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.2; पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
राजस्व—दत्तमत							
1	7—वाणिज्यिक कर	2,733.65	81.00	2,814.65	2,026.36	788.29	28.01
2	10—वन	2,197.73	162.21	2359.93	1,600.74	759.19	32.17
3	11—उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	465.01	0.00	465.01	292.56	172.45	37.09
4	12—ऊर्जा	13,875.29	2451.53	16,326.82	9,811.34	6,515.48	39.91
5	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	9,071.74	7,792.71	16,864.45	9,746.14	7,118.31	42.21
6	17—सहकारिता	1,391.24	0.00	1,391.24	505.83	885.41	63.64
7	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,389.14	950.14	6,339.28	4,946.13	1,393.16	21.98
8	22—नगरीय विकास एवं आवास	3,471.11	4,623.81	8,094.92	4,941.02	3,153.90	38.96
9	24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	1,505.97	32.07	1,538.04	998.13	539.91	35.10
10	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	9,073.92	1,984.47	11,058.38	8,286.98	2,771.41	25.06
11	33—जनजातीय कार्य	3,355.26	611.40	3,966.66	2,912.55	1,054.11	26.57
12	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	646.01	109.54	755.55	501.10	254.45	33.68
13	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,630.22	100.00	1,730.22	1,307.26	422.96	24.45
14	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,216.25	299.00	3,515.25	2,628.83	886.42	25.22
15	44—उच्च शिक्षा	1,767.13	406.93	2,174.06	1,628.77	545.29	25.08
16	46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	300.16	0.00	300.16	173.48	126.68	42.20
17	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,161.81	106.00	1,267.81	872.37	395.43	31.19
18	49—अनुसूचित जाति कल्याण	1,051.90	18.64	1,070.54	777.61	292.93	27.36
19	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	30,929.44	3,639.34	34,568.78	26,979.08	7,589.70	21.96
20	55—महिला एवं बाल विकास	4,702.31	574.26	5,276.57	4,194.34	1,082.23	20.51
21	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	640.13	45.09	685.22	502.20	183.02	26.71
पूंजीगत—दत्तमत							
22	3—पुलिस	336.90	155.98	492.88	370.17	122.71	24.90
23	10—वन	508.32	717.32	1225.64	836.86	388.79	31.72
24	12—ऊर्जा	3,286.63	540.20	3,826.83	2,299.12	1,527.71	39.92
25	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	300.00	0.00	300.00	146.85	153.15	51.05
26	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,488.98	101.00	1,589.98	798.48	791.50	49.78
27	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	372.74	30.00	402.74	139.62	263.12	65.33

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
28	30—ग्रामीण विकास	2,884.00	150.00	3,034.00	1,937.15	1,096.85	36.15
29	33—जनजातीय कार्य	1,281.00	0.00	1,281.00	991.15	289.85	22.63
30	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	79.10	230.00	309.10	68.07	241.03	77.98
31	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	572.55	0.00	572.55	215.33	357.22	62.39
32	44—उच्च शिक्षा	477.84	0.00	477.84	334.81	143.03	29.93
33	45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य	782.89	0.00	782.89	623.38	159.51	20.37
34	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	339.21	0.00	339.21	191.98	147.24	43.40
35	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	154.80	61.18	215.98	72.25	143.73	66.55
36	55—महिला एवं बाल विकास	133.52	0.00	133.52	28.62	104.90	78.57
37	59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	500.00	500.00	1000.00	800.00	200.00	20.00
38	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	371.53	32.15	403.68	253.34	150.34	37.24
पूँजीगत—प्रभारित							
39	24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	200.00	0.00	200.00	0.03	199.97	99.98
योग		1,12,645.43	26,505.97	1,39,151.40	95,740.03	43,411.37	31.20

(स्रोत: 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.4
सतत बचत दर्शाने वाले अनुदान
(संदर्भ: कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 41)

₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
राजस्व—दत्तमत						
1	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	518.65 (21.06)	2,235.89 (63.36)	1,113.97 (26.77)	3,199.77 (38.17)	7,118.31 (42.21)
2	16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	26.88 (36.15)	19.11 (27.19)	25.11 (29.95)	22.07 (25.23)	18.42 (20.11)
3	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	95.39 (42.19)	67.30 (29.52)	80.97 (29.97)	168.68 (27.58)	254.45 (33.68)
4	48—नर्मदा घाटी विकास	19.07 (66.17)	7.78 (34.99)	8.29 (29.26)	24.02 (45.86)	14.97 (40.61)
5	63—अल्प संख्यक कल्याण	43.28 (63.28)	45.09 (71.60)	8.13 (32.51)	6.58 (34.27)	8.97 (35.63)
6	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	123.41 (23.45)	203.33 (31.57)	164.28 (24.79)	174.59 (25.53)	183.02 (26.71)
7	69—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	27.54 (28.89)	5.63 (45.04)	9.77 (51.46)	20.95 (55.73)	19.57 (59.94)
राजस्व—प्रभारित						
8	1—सामान्य प्रशासन	13.69 (31.25)	28.03 (39.81)	17.10 (26.81)	15.81 (30.25)	25.68 (44.37)
9	6—वित्त	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)	7.06 (40.86)	17.62 (84.96)	19.82 (86.90)
पूजीगत—दत्तमत						
10	6—वित्त	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)	169.64 (94.34)	1,511.72 (89.08)	85.63 (47.39)
11	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	2.00 (100)	1.49 (49.60)	17.22 (100)	10.20 (100)	9.63 (95.34)
12	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)	110.37 (33.03)	515.58 (70.24)	263.12 (65.33)
13	38—आयुष	11.18 (54.94)	19.98 (63.44)	25.99 (61.62)	37.81 (81.31)	13.60 (58.63)
14	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	6.12 (49)	47.29 (65.94)	110.15 (69.50)	251.06 (76.82)	357.22 (62.39)
15	42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	3.25 (82.97)	2.40 (72.87)	3.53 (63.66)	3.27 (60)	19.01 (100)
16	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (100)	3.00 (100)	3.00 (100)	20.28 (70.37)	1.92 (31.94)
17	64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	19.81 (79.24)	25.00 (98.24)	13.53 (66.04)	98.40 (87.08)	40.80 (34.90)
18	67—लोक निर्माण कार्य—भवन	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)	96.78 (33.73)	150.29 (42.94)	150.34 (37.24)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.5

योजनाएं जिनमें प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 42)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	11.00	0.00	11.00	100
2	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	11.00	0.00	11.00	100
3	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-2003 (बचत निधि पर ब्याज)	61.43	0.00	61.43	100
4	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	80.11	0.00	80.11	100
5	पी.डी.	लोक ऋण	6003-101-0716- विविध ऋण भुगतान	100.00	0.00	100.00	100
6	पी.डी.	लोक ऋण	6003-110-0779- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	2,000.00	0.00	2,000.00	100
7	6	वित्त	2070-800-0101-0224- अन्य व्यय	693.73	0.00	693.73	100
8	6	वित्त	2071-01-101-9999- एकीकृत मध्य प्रदेश	18.53	0.00	18.53	100
9	6	वित्त	4070-800-0101-7624- एम.एस.एम.ई वेंचर केपिटल फण्ड में निवेश	15.00	0.00	15.00	100
10	6	वित्त	6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	50.00	0.00	50.00	100
11	6	वित्त	6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	10.00	0.00	10.00	100
12	7	वाणिज्यिक कर	2030-02-797-0817-पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	475.00	0.00	475.00	100
13	7	वाणिज्यिक कर	2045-797-0550-2360- मध्य प्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि	54.00	0.00	54.00	100
14	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0101-5070-कम्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	20.60	0.00	20.60	100
15	10	वन	2406-01-102-1306-वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	28.32	0.00	28.32	100
16	10	वन	2406-01-102-0101-0833-नर्मदा नदी के किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण	15.00	0.00	15.00	100
17	10	वन	4406-01-190-5323-मध्यप्रदेश वन विकास निगम	195.00	0.00	195.00	100
18	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-0688-उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान	5,627.00	0.00	5,627.00	100
19	12	ऊर्जा	6801-205-1201-5523-कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	197.57	0.00	197.57	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
20	17	सहकारिता	2425-107-0101-9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर व्याज अनुदान	529.20	0.00	529.20	100
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0422-5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	28.00	0.00	28.00	100
22	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-0422-7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	28.00	0.00	28.00	100
23	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0423-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	16.00	0.00	16.00	100
24	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0422-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	20.00	0.00	20.00	100
25	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0420-7297- खनिज क्षेत्र में जल प्रदाय	60.00	0.00	60.00	100
26	22	नगरीय विकास एवं आवास	4217-01-050-0101-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	15.00	0.00	15.00	100
27	23	जल संसाधन	4700-23-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	30.00	0.00	30.00	100
28	23	जल संसाधन	4700-80-001-0101-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	49.00	0.00	49.00	100
29	23	जल संसाधन	4701-80-001-1401-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	60.00	0.00	60.00	100
30	23	जल संसाधन	4701-80-001-0101-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	80.00	0.00	80.00	100
31	23	जल संसाधन	4701-80-800-0102-1911-करंजिया मध्यम सिंचाई परियोजना	25.00	0.00	25.00	100
32	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	3054-04-337-0103-0134-अनुरक्षण और मरम्मत—साधारण मरम्मत	24.00	0.00	24.00	100
33	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	3054-04-337-0102-4557-सुदृढ़ीकरण	40.00	0.00	40.00	100
34	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	5054-03-337-7081-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	50.00	0.00	50.00	100
35	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	5054-80-800-0103-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	32.00	0.00	32.00	100
36	24	लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	5054-80-800-0102-3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	40.00	0.00	40.00	100
37	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-4396-शासकीय प्राथमिक शालाओं की स्थापना	1,355.00	0.00	1,355.00	100
38	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-0730-माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर	18.93	0.00	18.93	100
39	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-03-103-0101-2068-इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	21.30	0.00	21.30	100
40	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0701-8810—सर्व शिक्षा अभियान	100.00	0.00	100.00	100
41	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-01-201-0101-2068-इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	21.30	0.00	21.30	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
42	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	4202-04-800-0101-8799- छात्रावास भवन का निर्माण	25.00	0.00	25.00	100
43	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0703-9216-प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	25.00	0.00	25.00	100
44	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0702-9216-प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	25.00	0.00	25.00	100
45	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0701-9216-प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	100.00	0.00	100.00	100
46	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-2773-प्राथमिक शालाएँ	204.00	0.00	204.00	100
47	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-3496-माध्यमिक शालाएँ	198.00	0.00	198.00	100
48	33	जनजातीय कार्य	2202-02-109-0581-हायर सेकेण्डरी शालाएँ	138.00	0.00	138.00	100
49	33	जनजातीय कार्य	2202-02-109-5216-हाइ स्कूल	18.00	0.00	18.00	100
50	33	जनजातीय कार्य	2225-02-227-0494-आश्रम	42.00	0.00	42.00	100
51	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-0702-1398-सीनियर छात्रावास	50.00	0.00	50.00	100
52	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-0702-6502-महाविद्यालयीन छात्रावास	12.00	0.00	12.00	100
53	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-0701-0495-जूनियर छात्रावास	10.00	0.00	10.00	100
54	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-60-110-0102-5614- जनश्री बीमा योजना	10.50	0.00	10.50	100
55	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-60-110-0101-5614- जनश्री बीमा योजना	17.50	0.00	17.50	100
56	36	परिवहन	5002-01-800-0101-5316-म.प्र. में रेल्वे परियोजनाओं में राज्य का अंशदान	25.75	0.00	25.75	100
57	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0102-2078- हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	14.50	0.00	14.50	100
58	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-1703-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	15.00	0.00	15.00	100
59	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-01-202-1701-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	20.00	0.00	20.00	100
60	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	4210-01-110-0101-0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	13.91	0.00	13.91	100
61	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-2304-निर्देशन एवं प्रशासन	90.00	0.00	90.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत	
62	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-800-0103-2377-मुख्यमंत्री कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	जन	15.00	0.00	15.00	100
63	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-800-0102-2377-मुख्यमंत्री कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना	जन	20.00	0.00	20.00	100
64	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0103-0736-मुख्यमंत्री कौशल्या योजना		10.00	0.00	10.00	100
65	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0103-0740-मुख्यमंत्री कौशल्या संवर्धन		10.00	0.00	10.00	100
66	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0103-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	13.50	0.00	13.50	100
67	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0102-0736-मुख्यमंत्री कौशल्या योजना		10.00	0.00	10.00	100
68	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0102-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	18.90	0.00	18.90	100
69	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0101-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	57.60	0.00	57.60	100
70	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-02-104-0102-9236-एकलव्य पौलीटेक्निक संस्थाए		15.00	0.00	15.00	100
71	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-0103-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	24.00	0.00	24.00	100
72	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-0102-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	23.60	0.00	23.60	100
73	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-0101-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	ए.डी.बी.	72.40	0.00	72.40	100
74	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-41-001-0701-7258-बरगी व्यपर्वर्तन योजना (सी.ए.डी. प्लान)		50.00	0.00	50.00	100
75	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0701-6534-इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान		18.80	0.00	18.80	100
76	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-45-800-0102-5177-परियोजना का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को भुगतान		25.00	0.00	25.00	100
77	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-2046-चिंकी माइक्रो सिंचाई परियोजना		25.00	0.00	25.00	100
78	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-5013-मोराच्छ गंजाल परियोजना		81.00	0.00	81.00	100
79	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-1952-नमामि देवी नर्मदे		10.00	0.00	10.00	100

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
80	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-2333.एन.बी. कपनी लिमिटेड का निवेश	300.00	0.00	300.00	100
81	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट-एक)	25.00	0.00	25.00	100
82	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-01-203-0101-6403-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट-एक का हिस्सा एन. एच.डी.सी. को भुगतान	25.00	0.00	25.00	100
83	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-109-0101-2292-उद्यानिकी भावान्तर योजना	250.00	0.00	250.00	100
84	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	109.32	0.00	109.32	100
85	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-198-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	103.97	0.00	103.97	100
86	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-1501-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	13.52	0.00	13.52	100
87	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0701-0658-ऑगनबाड़ी सेवाएं	51.00	0.00	51.00	100
88	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	123.26	0.00	123.26	100
89	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-191-0103-7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	20.00	0.00	20.00	100
90	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	76.26	0.00	76.26	100
91	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-193-1325-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	61.39	0.00	61.39	100
92	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4059-01-051-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	20.00	0.00	20.00	100
93	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4216-01-106-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	10.00	0.00	10.00	100
94	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	4216-01-106-0102-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	10.00	0.00	10.00	100
योग				15,058.70	0.00	15,058.70	100

(स्रोत: वर्ष 2018-19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.6

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
 अनावश्यक सिद्ध हुए
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 44)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	1—सामान्य प्रशासन	430.52	429.89	0.63	95.33
2	2—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	86.90	78.42	8.48	2.45
3	3—पुलिस	6,470.20	6,416.69	53.51	269.40
4	5—जेल	336.55	328.54	8.01	12.63
5	6—वित्त	13,510.47	12,182.85	1,327.62	1.00
6	7—वाणिज्यिक कर	2,733.65	2,026.36	707.29	81.00
7	8—भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,469.02	1,385.51	83.51	184.65
8	10—वन	2,197.73	1,600.74	596.99	162.21
9	12—ऊर्जा	13,875.29	9,811.34	4,063.95	2,451.53
10	14—पशुपालन	991.87	849.94	141.93	50.00
11	16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	88.34	73.19	15.15	3.28
12	19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,389.14	4,946.13	443.01	950.14
13	20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	555.70	553.24	2.46	56.75
14	24—लोक निर्माण कार्य—सड़के और पुल	1,505.97	998.13	507.84	32.07
15	25—खनिज साधन	42.21	39.70	2.51	1.59
16	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	9,073.92	8,286.98	786.94	1,984.47
17	28—राज्य विधान मंडल	91.29	83.49	7.8	2.14
18	29—विधि और विधायी कार्य	1,333.68	1,224.75	108.93	172.98
19	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	124.20	88.45	35.75	2.09
20	33—जनजातीय कार्य	3,355.26	2,912.55	442.71	611.40
21	34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	646.01	501.10	144.91	109.54
22	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	773.33	712.52	60.81	2.84
23	39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1,630.22	1,307.26	322.96	100.00
24	40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	3,216.25	2,628.83	587.42	299.00
25	44—उच्च शिक्षा	1,767.13	1,628.77	138.36	406.93
26	47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	1,161.81	872.37	289.44	106.00
27	49—अनुसूचित जाति कल्याण	1,051.90	777.61	274.29	18.64
28	51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व	247.58	189.06	58.52	10.00
29	52—चिकित्सा शिक्षा	930.96	906.75	24.21	141.00
30	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	30,929.44	26,979.08	3,950.36	3,639.34
31	55—महिला एवं बाल विकास	4,702.31	4,194.34	507.97	574.26
32	64—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7,401.21	7,317.78	83.43	689.47

स.क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
33	65—विमानन	34.56	27.79	6.77	3.54
34	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	640.13	502.20	137.93	45.09
	योग (क)	1,18,794.75	1,02,862.35	15,932.40	13,272.76
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
35	6—वित्त	175.70	95.07	85.63	5.00
36	12—ऊर्जा	32,86.63	2,299.12	987.51	540.20
37	14—पशुपालन	15.65	8.38	7.27	3.24
38	20—लोक स्वारक्ष्य यांत्रिकी	2,042.34	1,976.14	66.20	268.01
39	22—नगरीय विकास एवं आवास	1,488.98	798.48	690.50	101.00
40	23—जल संसाधन	5,014.29	5,008.08	6.21	346.00
41	27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	372.74	139.62	233.12	30.00
42	30—ग्रामीण विकास	2,884.00	1,937.15	946.85	150.00
43	31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	156.70	140.50	16.2	5.17
44	35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	79.10	68.07	11.03	230.00
45	36—परिवहन	20.00	9.20	10.8	25.75
46	48—नर्मदा घाटी विकास	3,207.42	3,119.82	87.6	155.00
47	52—चिकित्सा शिक्षा	1,085.58	1,061.27	24.31	165.00
48	53—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	154.80	72.25	82.55	61.18
49	67—लोक निर्माण कार्य-भवन	371.53	253.34	118.19	32.15
	योग (ख)	20,355.46	16,986.49	3,368.97	2,117.70
ग—राजस्व (प्रभारित)					
50	आई.पी.—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	12,867.29	12,695.69	221.74	50.14
51	29—विधि और विधायी कार्य	169.33	133.86	35.47	2.14
	योग (ग)	13,036.62	12,829.55	207.07	52.28
	महायोग (क+ख+ग)	1,52,186.83	1,32,678.39	19,558.58	15,442.74

(झोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.7

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए
 (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
 (संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
क—राजस्व (दत्तमत)					
1	13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	9,071.74	7,792.71	9,746.14	7,118.31
2	18—श्रम	320.89	800.00	974.97	145.92
3	22—नगरीय विकास एवं आवास	3,471.11	4,623.81	4,941.02	3153.90
4	32—जनसंपर्क	407.08	99.87	418.15	88.80
5	38—आयुष	415.77	62.39	419.82	58.33
6	50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	1,129.64	495.64	1,371.63	253.66
7	58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2,310.73	230.08	2,450.00	90.81
8	59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	500.00	500.00	800.00	200.00
योग (क)		17,626.96	14,604.50	21,121.73	11,109.73
ख—पूँजीगत (दत्तमत)					
9	3—पुलिस	336.90	155.98	370.17	122.71
10	9—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	0.10	10.00	0.47	9.63
11	10—वन	508.32	717.32	836.86	388.79
12	17—सहकारिता	166.48	1,000.00	1,119.92	46.56
13	24—लोक निर्माण कार्य— सड़के और पुल	6,028.50	1,597.00	6,891.81	733.69
14	26—संस्कृति	52.25	25.00	71.48	5.77
योग (ख)		7,092.55	3,505.30	9,290.71	1,307.15
महायोग (क+ख)		24,719.51	18,109.80	30,412.44	12,416.88

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय—मूल प्रावधान = $30,412.44 - 24,719.51 = 5,692.93$
 (स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.8
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग
(प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R: पुनर्विनियोजन /समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
1	7	वणिज्यिक कर	2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद	(O) 0.10 (R) (+) 2.40 2.50	1.12	(-) 1.38
2	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1703-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(R) (+) 6.00 6.00	1.80	(-) 4.20
3	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1702-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(R) (+) 10.00 10.00	3.00	(-) 7.00
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-110-1701-7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	(R) (+) 12.00 12.00	3.60	(-) 8.40
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-1703-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(R) (+) 4.00 4.00	1.20	(-) 2.80
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-0702-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(R) (+) 10.00 10.00	3.00	(-) 7.00
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-104-1701-5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	(R) (+) 14.00 14.00	4.20	(-) 9.80
8	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-0101-1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण	(O) 28.60 (S) 27.75 (R) (+) 5.50 61.85	43.68	(-) 18.17
9	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01.102.0101.2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण	(O) 229.42 (R) (+) 23.90 253.32	250.61	(-) 2.71
10	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-101-0701-3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	(O) 8.02 (R) (+) 3.57 11.59	10.17	(-) 1.41
11	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0103-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(O) 16.00 (R) (+) 10.10 26.10	24.98	(-) 1.12
12	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0103-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(O) 16.00 (R) (+) 6.00 22.00	20.11	(-) 1.89
13	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0102-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(O) 20.00 (R) (+) 32.70 52.70	51.61	(-) 1.09
14	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0102-4379- समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना	(O) 20.00 (R) (+) 26.00 46.00	39.05	(-) 6.95
15	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-0101-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(O) 64.00 (R) (+) 76.20 140.20	133.25	(-) 6.95

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R: पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
16	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05-800-0701-1238- अटल मिशन फार रिजुविनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन	(O)655.00 (S)1328.39 (R) (+)22.75 2006.14	677.75	(-)1,328.39
17	23	जल संसाधन विभाग	2700-11-101-0101-2894-बांध तथा नहरें	(O)49.59 (R) (+)4.22 53.81	42.87	(-)10.94
18	23	जल संसाधन विभाग	2700-17-101-0101-2894-बांध तथा नहरें	(O)12.38 (R) (+)1.00 13.38	8.31	(-)5.07
19	23	जल संसाधन विभाग	2700-32-101-0101-2894-बांध तथा नहरें	(O)35.70 (R) (+)1.06 36.76	27.27	(-)9.49
20	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-800-0102-2250-नहरें तथा तालाब	(O)20.01 (R) (+)1.57 21.58	12.67	(-)8.91
21	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-001-0101-0814-कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)	(O)14.37 (R) (+)4.03 18.40	17.14	(-)1.26
22	23	जल संसाधन विभाग	4700-01-800-1201-6258-डेम रिहवीलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट	(O)3.00 R) (+)10.00 13.00	9.05	(-)3.95
23	23	जल संसाधन विभाग	4700-13-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)194.96 (R) (+)45.61 240.56	225.32	(-)15.25
24	23	जल संसाधन विभाग	4700-24-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)4.93 (R) (+)2.91 7.84	6.80	(-)1.04
25	23	जल संसाधन विभाग	4700-56-800-0102-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(R) (+)156.28 156.28	150.72	(-)5.56
26	23	जल संसाधन विभाग	4700-56-800-0101-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)75.00 (S)60.00 (R) (+)208.50 343.50	325.12	(-)18.38
27	23	जल संसाधन विभाग	4700-63-800-0102-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(O)102.33 (R) (+)103.26 205.59	204.41	(-)1.19
28	23	जल संसाधन विभाग	4701-25-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(O)51.78 (R) (+)26.55 78.33	66.95	(-)11.38
29	23	जल संसाधन विभाग	4701-80-800-0101-0641-साजली मध्यम सिंचाई परियोजना	(O)40.00 (R) (+)104.44 144.44	142.99	(-)1.45
30	23	जल संसाधन विभाग	4701-91-800-0101-2884--नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)20.00 (R) (+)17.40 37.40	35.39	(-)2.01
31	23	जल संसाधन विभाग	4701-94-800-0101-6596-सुधार, सुदृढ़ीकरण एवं पुर्णस्थापना	(O)0.10 (R) (+)12.50 1260	10.30	(-)2.30
32	23	जल संसाधन विभाग	4701-99-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(O)50.00 (R) (+)65.42 115.42	111.80	(-)3.61

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
33	33	जनजातीय कार्य	2225-02-102-0102-2324-आकांक्षा योजना	(R) (+)8.42 8.42	5.77	(-)2.65
34	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	4851-101-0101-6749-भू-अर्जन, सर्व एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज	(S)230.00 (R) (+)33.00 263.00	33.00	(-)230.00
35	44	उच्च शिक्षा	2202-03-104-0101-7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	(O)29.75 (S)20.00 (R) (+)58.00 107.75	103.12	(-)4.63
36	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425-60-600-0101-7608-सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	(O)3.00 (R) (+)15.00 18.00	6.55	(-)11.45
37	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2203-02-101-0101-7877-म.प्र. रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन	(O)3.50 (R) (+)15.00 18.50	6.67	(-)11.83
38	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-1203-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)12.75 12.75	0.52	(-)12.23
39	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-1202-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)17.85 17.85	2.46	(-)15.39
40	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-1201-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)49.29 49.29	27.31	(-)21.98
41	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0101-6477-व्यवसायिक प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार	(O)13.11 (R) (+)4.04 17.15	16.05	(-)1.10
42	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-1203-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)24.00 24.00	20.69	(-)3.31
43	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-1202-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)23.60 23.60	8.29	(-)15.31
44	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	4202-03-003-1201-0741-ए.डी.बी. परियोजना (कौशल विकास)	(R) (+)72.40 72.40	20.94	(-)51.46
45	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0103-1407-छेगांवमाखन उद्धवन सिंचाई परियोजना	(O)15.00 (R) (+)15.58 30.58	9.81	(-)20.77
46	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-1298-नर्मदा मालवा-गंभीर लिंक सिंचाई योजना	(O)75.00 (S)25.00 (R) (+)129.95 229.95	204.95	(-)25.00
47	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0103-0651-उज्जैन देवास उज्जैन पाइप लाइन योजना	(O)35.00 (S)10.00 (R) (+)74.96 119.96	110.25	(-)9.71
48	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0102-1250-अलीराजपुर उद्धवन सिंचाई परियोजना	(O)60.00 (S)25.00 (R) (+)210.89 295.89	270.89	(-)25.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R: पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
49	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-1002-भीकनगांव-बिंजलवाड़ा उद्धवन सिंचाई योजना	(O)10.00 (S)10.00 (R) (+)18.36 38.36	28.36	(-)10.00
50	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0101-1004-छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना	(O)60.00 (S)30.00 (R) (+)44.92 134.92	104.72	(-)30.19
51	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80.800.0101.1408-बिस्टान उद्धवन सिंचाई परियोजना	(O)75.00 (S)10.00 (R) (+)99.49 184.49	174.49	(-)10.00
52	48	नर्मदा घाटी विकास	4801-80-800-0101-4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	(O)174.27 (R) (+)172.25 346.52	338.91	(-)7.61
53	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	(O)17.00 (R) (+)3.88 20.88	18.97	(-)1.90
54	49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01-800-0803-5635-बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना	(O)1.00 (R) (+)22.50 23.50	20.45	(-)3.05
55	49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01-800-0103-6101-संत रविदास स्मारक निर्माण	(R) (+)2.58 2.58	0.65	(-)1.93
56	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-109-0101-2378-कृषि समृद्ध योजना—प्याज एवं लहसुन फसल हेतु उद्यानिकी प्रोत्साहन योजना	(O)484.40 (R) (+)372.08 856.48	855.01	(-)1.47
57	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-9075-विदिशा/शहडोल/खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय	(O)55.00 (R) (+)12.00 67.00	62.93	(-)4.07
58	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0420-9075-विदिशा/शहडोल/खण्डवा चिकित्सा महाविद्यालय	(O)144.00 (S)1.00 (R) (+)56.00 201.00	194.95	(-)6.05
59	52	चिकित्सा शिक्षा विभाग	4210-03-105-0101-7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड़स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	(O)25.05 (S)55.00 (R) (+)97.84 177.89	152.88	(-)25.01
60	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2853-02-198-0101-6299-ग्रमीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	(O)279.98 (R) (+)71.08 351.05	153.34	(-)197.71
61	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3604-197-0101-4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	(O)269.63 (R) (+)6.21 275.84	166.12	(-)109.72
62	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-0747-ओला पीडितों को राहत	(O)40.00 (R) (+)159.00 199.00	193.36	(-)5.64
63	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	(O)3.96 (R) (+)44.88 48.84	35.33	(-)13.51
64	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059-01-053-4220-चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय	(R) (+)20.00 20.00	13.20	(-)6.80

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान O: मूल S: अनुपूरक R:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-) आधिक्य(+)
65	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-200-1217-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिये गये ऋणों पर ब्याज	(O)39.00 (R) (-)4.22 34.78	161.10	(+)126.32
66	1	सामान्य प्रशासन	2052-090-4327-सचिवालय	(O)114.43 (S)15.66 (R) (-)32.43 97.66	100.28	(+)2.62
67	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-110-0103-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	(O)295.00 (S)151.46 (R) (-)322.75 123.71	124.77	(+)1.05
68	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-110-0102-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	(O)451.00 (S)231.68 (R) (-)517.73 164.95	166.37	(+)1.41
69	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-110-0101-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	(O)1,254.11 (S)643.51 (R) (-)1,361.06 536.56	540.78	(+)4.22
70	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-0801-0908-कृषि संगणना	(O)7.28 (R) (-)6.90 0.37	1.84	(+)1.46
71	23	जल संसाधन विकास	4700-84-800-0703-2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)400.00 (R) (-)100.00 300.00	317.35	(+)17.35
72	23	जल संसाधन विकास	4700-12-001-0101-2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट-एक एवं यूनिट-दो)	(O)17.04 (R) (-)1.07 15.97	19.33	(+)3.36
73	29	विधि और विधायी कार्य	2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	(O)37.50 (R) (-)34.08 3.42	5.42	(+)2.00
74	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-43-800-0701-2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	(O)70.00 (R) (-)1.33 68.67	110.48	(+)41.81
योग						(-)2,407.52 (+)201.60

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.9
2018–19 के दौरान सारभूत समर्पण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 45)

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	(₹ करोड़ में) समर्पण प्रतिशत में
1	1	सामान्य प्रशासन	2012-03-102-9060-विवेकाधीन अनुदान	1.00	0.63	63.00
2			2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	24.02	16.31	67.90
3			4059-01-051-0101-6605-प्रशासन अकादमी परिसर में प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु भौतिक सुविधाओं का निर्माण	2.71	2.47	91.14
4	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2053-800-4062-विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों का भ्रमण	1.05	0.59	56.19
5			2070-105-4079-विशेष जांच आयोग	4.88	2.81	57.58
6	3	पुलिस	4070-800-0101-7188-आपदा प्रबंधन के लिए निर्माण	1.00	0.70	70.00
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-9981-लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय	1.43	0.89	62.24
8			2029-103-0101-5070-कम्प्यूटरों का उन्नयन एवं नवीन तकनीकी उपकरण	20.60	20.60	100.00
9			2029-103-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	20.05	17.83	88.93
10			4059-01-051-0101-6980-भू-अभिलेख जिला प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (रा.नि./पटवारी आवास)	20.00	19.90	99.50
11	10	वन	2406-01-101-0102-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	172.47	102.96	59.70
12			2406-01-101-0101-0674-दीनदयाल वनांचल सेवा	5.20	3.08	59.23
13			2406-01-101-0101-2299-मुख्यमंत्री तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना	2.00	1.57	78.50
14			2406-01-101-0101-8808 -सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1.00	0.53	53.00
15			2406-01-102-1306-वैकल्पिक वृक्षारोपण निधि से व्यय	28.32	18.36	64.83
16			2406-01-102-7680-संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय	66.00	46.82	70.94
17			2406-01-190-0701-7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	200.20	151.81	75.83
18			2406-02-110-0701-3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	70.00	42.81	61.16
19			4406-01-101-0102-7488-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	4.00	3.60	90.00
20			4406-01-101-0101-7488-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	5.00	4.24	84.80
21			4406-01-102-0102-3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	42.00	25.67	61.12

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
22	12	ऊर्जा	4801-05-190-0410-7900-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	90.00	72.00	80.00
23			4801-05-190-0101-6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	128.00	64.00	50.00
24			6801-190-0101-7900-पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	415.47	389.47	93.74
25			6801-205-1201-0700-ग्रीन कोरीडोर	200.00	134.23	67.12
26	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-102-1201-0733-ग्रीन कृषि	2.80	2.80	100.00
27			2401-102-0703-7499-सब मिशन स्वाईल हेल्थ मैनेजमेंट	1.01	1.01	100.00
28			2401-102-0703-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	9.90	9.51	96.06
29			2401-102-0702-7243-कृषि वानिकी सब मिशन	1.48	1.45	97.97
30			2401-102-0702-7499-सब मिशन स्वाईल हेल्थ मैनेजमेंट	1.68	1.68	100.00
31			2401-102-0702-7717-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	13.96	13.36	95.70
32			2401-105-0103-6666-नवीन खाद्य एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला	1.48	1.44	97.30
33			2401-109-0701-7493-नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान	5.50	5.32	96.73
34			2401-109-0103-7670-कृषि महोत्सव	1.89	1.87	98.94
35			2401-109-0102-7670-कृषि महोत्सव	2.11	2.11	100.00
36			2401-109-0101-7670-कृषि महोत्सव	4.00	4.00	100.00
37			2401-110-0102-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	682.68	517.73	75.84
38			2401-110-0101-8768-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	1,897.62	1,341.06	70.67
39			2401-113-0703-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	2.00	1.98	99.00
40			2401-113-0702-7500-नेशनल आईल सीड एण्ड आईल पॉम मिशन	2.00	1.95	97.50
41			2401-113-0101-7080-कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	1.10	1.10	100.00
42			2401-800-0101-5321-भावांतर / फ्लेट रेट योजना	1,500.00	1,398.12	93.21
43	14	पशुपालन	2403-101-0101-7647- 109-चलित पशु कल्याण सेवायें	7.46	4.64	62.20
44			4403-101-0102-5561-पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	2.20	2.12	96.36
45			4403-101-0101-5093-पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	2.92	1.62	55.48
46			4403-101-0101-5561-पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	2.50	1.97	78.80
47			4403-800-0101-7482- गौ अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	2.20	2.20	100.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
48	17	सहकारिता	2425-107-0102-9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	27.96	25.11	89.81
49			2425-107-0101-9134-प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण में परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	195.72	102.98	52.62
50			2425-800-0910-6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	20.00	14.00	70.00
51			4425-107-0910-6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	25.00	17.50	70.00
52			4425-107-0101-6684-नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूँजी सहायता	5.00	4.70	94.00
53	18	श्रम	2230-01-112-0101-2340-असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा	100.00	80.00	80.00
54			2230-01-112-0101-2837-बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	2.26	1.30	57.52
55	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-1702-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	69.82	43.94	62.93
56			4215-01-800-1701-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	85.30	45.08	52.85
57			4215-01-800-0423-1414-खनिज क्षेत्र विकास निधि, खनिज क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था	104.24	82.20	78.86
58	21	लोक सेवा प्रबंधन	2053-093-1201-7628- सर्वसेवा परियोजना का क्रियान्वयन	25.00	20.00	80.00
59			2053-800-1923-मॉय एम.पी. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु अनुदान	2.00	1.46	73.00
60			2053-800-9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	2.60	1.37	52.69
61			4059-01-051-6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	7.00	5.18	74.00
62	26	संस्कृति	2205-105-0101-4513-सार्वजनिक पुस्तकालय	1.40	1.03	73.57
63			4202-04-800-0101-7982-संगीत महाविद्यालय	2.00	2.00	100.00
64			4202-04-800-0101-9061-शौर्य स्मारक हेतु प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण	2.00	1.34	67.00
65	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-3491-माध्यमिक शालायें	621.00	620.69	99.95
66			4202-01-201-0101-2068-इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्कूल (मुख्यमंत्री शाला ज्योति योजना)	21.30	21.30	100.00
67			4202-04-800-0101-5481-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण	15.00	12.39	82.60

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
68	29	विधि और विधायी कार्य	2014-105-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	20.00	15.98	79.90
69			2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	37.50	23.08	61.55
70			2052-090-0101-9066-विधि विभाग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण	2.60	1.98	76.15
71			2052-800-1950-राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन	2.63	2.02	76.81
72			2235-60-200-0101-5104-स्थायी लोक अदालत	1.00	0.51	51.00
73	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण	1.50	0.80	53.33
74	33	जनजातीय कार्य	2202-01-101-2773-प्राथमिक शालाएँ	204.00	204.00	100.00
75			2202-01-101-3496-माध्यमिक शालाएँ	198.00	198.00	100.00
76			2202-02-109-0581-हायर सेकण्डरी शालाएँ	138.00	138.00	100.00
77			2202-02-109-5216-हाई स्कूल	18.00	18.00	100.00
78			2225-02-001-0802-5155- योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275 (1)	6.13	5.20	84.83
79			2225-02-800-0802-3728-आदिवासी संस्कृति का अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास	2.65	1.88	70.94
80			2225-02-800-0102-2346-मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु मेपसेट को अनुदान	5.00	4.50	90.00
81			2225-02-800-0102-4719-अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के लिए सहायता योजना	1.20	1.04	86.67
82			2225-02-800-0102-9819—विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	1.20	0.78	65.00
83			2225-02-800-0102-9855-वन्या प्रकाशन	8.29	4.99	60.19
84			4225-02-277-0702-0494-आश्रम	20.00	10.33	51.65
85			4225-02-277-0702-1398-सीनियर छात्रावास	50.00	30.00	60.00
86			4225-02-277-0702-6502- महाविद्यालय छात्रावास	12.00	7.20	60.00
87			4225-02-277-0701-0495-जूनियर छात्रावास	10.00	6.00	60.00
88	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-02-001-0103-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	1.76	1.16	65.91
89			2235-02-001-0102-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	2.54	1.69	66.54
90			2235-02-001-0101-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन	7.62	4.83	63.39

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
91			2235-60-110-0103-5247-आम आदमी बीमा योजना	3.60	3.60	100.00
92			2235-60-110-0103-5614-जनश्री बीमा योजना	7.00	7.00	100.00
93			2235-60-110-0102-5247-आम आदमी बीमा योजना	5.40	5.40	100.00
94			2235-60-110-0102-5614-जनश्री बीमा योजना	10.50	10.50	100.00
95			2235-60-110-0101-5247-आम आदमी बीमा योजना	9.00	9.00	100.00
96			2235-60-110-0101-5614-जनश्री बीमा योजना	17.50	17.50	100.00
97	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2851-102-0103-7891-रानी दुर्गावती सहायता योजना	1.49	1.07	71.81
98			2851-102-0102-7891-रानी दुर्गावती सहायता योजना	1.13	0.88	77.88
99			4851-800-0101-6820-वलस्टरों की स्थापना	3.00	2.90	96.67
100	37	पर्यटन	3452-01-101-0103-1251-पर्यटन अधोसंरचना का विकास	2.00	1.21	60.50
101			3452-80-001-0101-1271-पर्यटन नीति का क्रियान्वयन	70.00	41.50	59.29
102			5452-01-101-0103-1251-पर्यटन अधोसंरचना का विकास	6.00	4.31	71.83
103	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0103-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	2.20	2.20	100.00
104			2408-01-102-0102-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	3.00	3.00	100.00
105			2408-01-102-0101-9087-खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	4.80	4.80	100.00
106			2408-01-190-0101-6242-मिट्टी तेल के सार्वजनिक वितरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2.30	2.30	100.00
107			6408-01-190-0173-अनाज का क्रय	1.50	1.08	72.00
108	40		2202-02-109-0702-6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	150.00	78.15	52.10
109		स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0103-2078-हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	9.20	9.20	100.00
110			2202-02-109-0103-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	20.30	14.20	69.95
111			2202-02-109-0102-0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	20.28	20.15	99.36
112			2202-02-109-0102-2078-हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	14.50	14.50	100.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
113			2202-02-109-0102-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	39.31	21.26	54.08
114			2202-02-109-0101-0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	47.15	38.37	81.38
115			2202-02-109-0101-2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	45.80	36.84	80.44
116			4202-01-202-1703-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	15.00	15.00	100.00
117			4202-01-202-1701-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	20.00	20.00	100.00
118			4202-01-202-0103-6970-शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	101.44	71.91	70.89
119			4202-01-202-0101-0816-छात्रावासों की स्थापना एवं संचालन	29.80	16.40	55.03
120			4202-202-0101-6970-शासकीय शाला भवनों का निर्माण एवं विस्तार	255.76	139.64	54.60
121	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	4210-01-110-0101-0775-स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	13.91	13.91	100.00
122			4235-01-201-0701-6281-गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	5.00	5.00	100.00
123	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-1203-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	30.00	28.00	93.33
124			2202-03-103-1202-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	18.00	16.65	92.50
125			2202-03-103-1201-7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	40.00	26.00	65.00
126			2202-03-103-0103-0742- अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था योजना	2.50	2.50	100.00
127			2202-03-103-0101-5674-निर्धन वर्ग के लिए विक्रमादित्य निःशुल्क योजना	10.00	9.00	90.00
128	48	नर्मदा घाटी विकास	2801-01-001-0101-5018-बरगी केनाल बेडपावर हाउस के परिचालन एवं संधारण व्यय	2.00	1.26	63.00
129	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	170.00	129.58	76.22
130	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-9248- किशोरी शक्ति योजना	3.30	3.30	100.00
131			2235-02-103-9132-ऊषा किरण केन्द्र (निराश्रित महिला गृह, सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये संस्था)	9.94	7.91	79.58
132			2235-02-103-0801-1071-महिला हेल्प लाईन 181	1.15	1.15	100.00
133			2235-02-103-0701-1204-बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	3.38	3.38	100.00
134			2235-02-103-0701-1422-ग्राम कन्वर्जेशन एवं सुविधा सेवा	2.00	2.00	100.00
135			2235-02-103-0701-2375-सेफ सिटी कार्यक्रम	1.75	1.75	100.00

संक्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	समर्पित राशि	समर्पण प्रतिशत में
136			2235-02-103-0103-5033—वैश्या उन्मूलन योजना	3.87	3.09	79.84
137			2235-02-800-0101-3457-मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (महिला कल्याण कोष के अन्तर्गत योजनाएं)	1.00	0.87	87.00
138			2236-02-101-0703-6392-किशोरी बालिका योजना	90.25	78.22	86.67
139			4235-02-102-1501-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण	13.52	13.52	100.00
140			4235-02-102-0701-0658—आँगनबाड़ी सेवायें	51.00	51.00	100.00
141			4235-02-800-0701-6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	1.00	1.00	100.00
142			4235-02-800-0101-5608-महिला विश्रामालय का भवन निर्माण	8.00	8.00	100.00
143	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	4851-107-0103-3777-रेशम उद्योग का विकास कार्य	2.94	2.25	76.53
144	65	विमानन	5053-80-800-0101-0690-अधोसंरचना एवं विमान पत्तन का विकास	1.00	1.00	100.00
145		लोक निर्माण कार्य—भवन	2059-01-053-1481-जिला प्रशासन	6.00	3.49	58.17
146			4059-01-051-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	20.00	20.00	100.00
147			4216-01-106-0701-2350-न्यायिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	10.00	10.00	100.00
148			4216-01-106-0103-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	8.00	6.40	80.00
149			4216-01-106-0102-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	10.00	7.60	76.00
150			4216-01-106-0101-1938-शासकीय आवास गृहों का निर्माण	22.62	15.16	67.02
151		विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	2225-01-277-0103-7393-विमुक्त जाति छात्रावास	12.26	7.18	58.56
152			2225-01-800-0103-7168-विमुक्त जाति आवास योजना	3.25	2.82	86.77
153			2225-01-800-0103-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3.45	3.45	100.00
154			2225-01-800-0101-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	2.12	1.65	77.83
155			4225-01-800-0101-7397-विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	1.75	1.08	61.71
योग				9,265.03	7,304.68	78.84

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.10

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं, परन्तु उसके किसी भी भाग का समर्पण नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान/विनियोग संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत
(क) राजस्व (दत्तमत)			
1	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	59.21
2	23	जल संसाधन विभाग	143.72
3	25	खनिज साधन	4.10
4	32	जनसंपर्क	88.80
5	43	खेल और युवक कल्याण	25.34
6	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	39.25
7	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	126.68
8	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	395.43
9	62	पंचायत	24.88
10	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोत	15.89
11	71	पर्यावरण	6.08
12	72	आनंद	5.06
योग (क)			934.44
(ख) पूंजीगत (दत्तमत)			
13	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	153.15
14	22	नगरीय विकास एवं आवास	791.50
15	23	जल संसाधन विभाग	352.21
16	25	खनिज साधन	7.90
17	32	जनसंपर्क	4.33
18	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	159.51
19	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	5.25
20	63	अल्प संख्यक कल्याण	5.77
21	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	40.80
22	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	16.64
योग (ख)			1,537.06
(ग) राजस्व (प्रभारित)			
23	6	वित्त	19.82
24	25	खनिज साधन	56.33
योग (ग)			76.15
(घ) पूंजीगत (प्रभारित)			
25	22	नगरीय विकास एवं आवास	15.00
26	23	जल संसाधन विभाग	7.12
योग (घ)			22.12
महायोग (क+ख+ग+घ)			2,569.77

(झोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.11
समर्पित नहीं की गई ₹ एक करोड़ या अधिक की बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 45)

₹ करोड़ में

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
(क) राजस्व (दत्तमत)					
1	1	सामान्य प्रशासन	95.96	81.41	14.55
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	10.94	4.60	6.34
3	3	पुलिस	322.91	282.21	40.70
4	5	जेल	20.63	0.29	20.34
5	6	वित्त	1,328.63	8.77	1,319.86
6	7	वाणिज्यिक कर	788.29	5.41	782.88
7	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	268.16	173.01	95.15
8	10	वन	759.19	569.98	189.21
9	11	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	172.45	0.40	172.05
10	12	ऊर्जा	6,515.48	1,892.68	4,622.80
11	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7,118.31	7,075.36	42.95
12	14	पशुपालन	191.93	138.99	52.94
13	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	18.42	1.46	16.96
14	17	सहकारिता	885.41	165.25	720.16
15	18	श्रम	145.92	86.28	59.64
16	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,393.16	5.33	1,387.83
17	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	59.21	0.00	59.21
18	22	नगरीय विकास एवं आवास	3,153.90	2.22	3,151.68
19	23	जल संसाधन विभाग	143.72	0.00	143.72
20	24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	539.91	225.96	313.95
21	25	खनिज साधन	4.10	0.00	4.10
22	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2,771.41	2,767.86	3.55
23	29	विधि और विधायी कार्य	281.90	274.35	7.55
24	30	ग्रामीण विकास	197.34	195.62	1.72
25	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	37.84	31.56	6.28
26	32	जनसंपर्क	88.80	0.00	88.80
27	33	जनजातीय कार्य	1,054.11	785.65	268.46
28	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन	254.45	144.36	110.09
29	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	63.65	55.40	8.25
30	38	आयुष	58.33	26.51	31.82
31	43	खेल और युवक कल्याण	25.34	0.00	25.34
32	44	उच्च शिक्षा	545.29	511.20	34.09
33	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	39.25	0.00	39.25
34	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	126.68	0.00	126.68
35	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	395.43	0.00	395.43
36	49	अनुसूचित जाति कल्याण	292.93	256.57	36.36
37	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	253.66	0.81	252.85
38	51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	68.52	0.42	68.10
39	52	चिकित्सा शिक्षा	165.21	2.10	163.11
40	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	7,589.70	4,984.83	2,604.87
41	55	महिला एवं बाल विकास	1,082.23	1,068.35	13.88
42	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	38.72	15.38	23.34

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
43	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	90.81	1.29	89.52
44	62	पंचायत	24.88	0.00	24.88
45	63	अल्प संख्यक कल्याण	8.97	0.00	8.97
46	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	772.90	88.42	684.48
47	66	पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण	120.16	0.22	119.94
48	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	183.02	77.49	105.53
49	68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	15.89	0.00	15.89
50	71	पर्यावरण	6.08	0.00	6.08
51	72	आनंद	5.06	0.00	5.06
योग (क)			40,595.19	22,008.00	18,587.19
(ख) पूंजीगत (दत्तमत)					
52	1	सामान्य प्रशासन	34.61	16.56	18.05
53	3	पुलिस	122.71	106.80	15.91
54	6	वित्त	85.63	35.98	49.65
55	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	66.85	19.90	46.95
56	10	वन	388.79	54.05	334.74
57	12	ऊर्जा	1,527.71	1,286.91	240.80
58	17	सहकारिता	46.56	38.04	8.52
59	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	153.15	0.00	153.15
60	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	334.20	269.24	64.96
61	22	नगरीय विकास एवं आवास	791.50	0.00	791.50
62	23	जल संसाधन विभाग	352.21	0.00	352.21
63	24	लोक निर्माण कार्य-सङ्डर्भों और पुल	733.69	513.70	219.99
64	25	खनिज साधन	7.90	0.00	7.90
65	30	ग्रामीण विकास	1,096.85	795.53	301.32
66	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	21.37	10.80	10.57
67	32	जनसंपर्क	4.33	0.00	4.33
68	33	जनजातीय कार्य	289.85	268.77	21.08
69	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	241.03	6.24	234.79
70	36	परिवहन	36.55	2.50	34.05
71	38	आयुष	13.60	2.46	11.14
72	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	357.22	336.37	20.85
73	43	खेल और युवक कल्याण	27.69	0.20	27.49
74	44	उच्च शिक्षा	143.03	43.50	99.53
75	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	159.51	0.00	159.51
76	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	5.25	0.00	5.25
77	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	147.23	0.52	146.71
78	48	नर्मदा धाटी विकास	242.61	95.50	147.11
79	49	अनुसूचित जाति कल्याण	92.32	26.02	66.30
80	52	चिकित्सा शिक्षा	189.31	10.49	178.82
81	53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	143.73	70.73	73.00
82	55	महिला एवं बाल विकास	104.90	103.42	1.48
83	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1.92	0.92	1.00
84	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	79.20	52.56	26.64
85	63	अल्प संख्यक कल्याण	5.77	0.00	5.77

सं. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचतें	समर्पण	बचतें जो समर्पित नहीं की गई
86	64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	40.80	0.00	40.80
87	66	पिछ़ड़ा वर्ग कल्याण	16.64	0.00	16.64
88	67	लोक निर्माण कार्य—भवन	150.34	74.67	75.67
योग (ख)			8,256.56	4,242.38	4,014.18
(ग) राजस्व (प्रभारित)					
89	आई.पी.	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	221.74	4.22	217.52
90	1	सामान्य प्रशासन	25.68	14.64	11.04
91	6	वित्त	19.82	0.00	19.82
92	25	खनिज साधन	56.33	0.00	56.33
93	29	विधि और विधायी कार्य	37.61	36.35	1.26
योग (ग)			361.18	55.21	305.97
(घ) पूँजीगत (प्रभारित)					
94	23	जल संसाधन विभाग	7.12	0.00	7.12
योग (घ)			7.12	0.00	7.12
महायोग (क+ख+ग+घ)			49,220.05	26,305.59	22,914.46

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 2.12
समर्पण आदेश जो प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.1; पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान / विनियोजन संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	13	3,11,25,31,46,47,52,53,56,58	922.72	वित्त वर्ष 2018–19 की समाप्ति के पश्चात् स्वीकृति जारी की गई थी।
2	4	5,23,45,53,62	1,394.60	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति की विलंब से प्राप्ति अर्थात् लेखों को बंद करने एवं अंतिम रूप देने के पश्चात्।
3	2	10,53,56	164.16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में वांछित योजना शीर्षांगत वर्गीकरण का सम्पूर्ण विवरण अप्राप्त रहने के कारण।
4	1	10	99.94	समर्पित राशि योजनाशीर्ष 0812 में राशि पुनः अंतिम रूप से शामिल किये जाने के कारण राशि ₹99.94 करोड़ को विनियोग लेखे में ऋणात्मक प्रावधान के परिलक्षित होने की त्रुटि को दूर किये जाने हेतु स्वीकृति अमान्य।
5	1	39	1.78	योजनाशीर्ष में समर्पण राशि ₹1.78 करोड़ को शामिल किये जाने कि स्थिति में समर्पित राशियों के दोहरीकरण होने के परिणामस्वरूप ऋणात्मक बजट परिलक्षित होने के कारण अमान्य।
6	1	16,53	9.22	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समर्पण स्वीकृति अप्राप्त होने से अमान्य।
7	1	50,53	254.22	मध्य प्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जारी समर्पण स्वीकृत अप्राप्त होने से अमान्य।
8	1	2	23.24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में दर्ज आंकड़ों का अंक मिलान कराये बिना ही संशोधित समर्पण स्वीकृतियां जारी होने के कारण और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय की बचत राशि एवं विभाग की बचत में विसंगति होने के कारण समर्पण स्वीकृति मान्य नहीं है।
9	1	14	1.69	समर्पण हेतु राशि शेष न होने के कारण अमान्य।
योग	25	20	2,871.57	

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.13

पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अनुभाग का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक जहाँ
बजट प्रावधान है एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते				
1	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	16.54	15.25
2	23	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	66.38	79.29
3	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	113.72	115.88
4	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.06	5.56
5	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 11—वेतन, भत्ते)	56.58	57.69
			258.28	273.67
उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी				
6	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	283.23	286.80
7	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.30	5.77
8	23	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	45.29	25.19
9	23	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.36	4.42
10	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	33.07	28.61
11	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.53	2.92
12	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 12—मजदूरी)	9.72	8.38
			387.50	362.09
उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता				
13	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 21—यात्रा भत्ता)	1.39	1.39
			1.39	1.39
उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय				
14	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	5.75	5.58
15	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.65	1.45
16	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 22—कार्यालय व्यय)	2.37	2.03
			9.77	9.06
उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षा और प्रशिक्षण				
17	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 24—परीक्षा और प्रशिक्षण)	1.65	1.76
			1.65	1.76
उद्देश्य शीर्ष 31—वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान				
18	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	1.94	1.74
19	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4.92	4.12
20	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 31—वाणिज्यिक सेवाओं का भुगतान)	4.61	3.49
			11.47	9.35
उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव				
21	26	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.00
22	48	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	75.09	74.99
23	48	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.56	1.47
24	48	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 33—रखरखाव)	4.21	4.59
			84.86	85.05
उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान				
25	10	4406—वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	480.16	360.44
26	20	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	2.70
27	27	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2.64	2.64
28	30	4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय योग (उद्देश्य शीर्ष 42—सहायता अनुदान)	195.00	175.50
			680.80	541.28

सं. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 45—पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु सहायक अनुदान				
29	06	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	40.00	4.32
30	11	4875—अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	77.00	77.00
31	26	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	2.00	0.54
32	27	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	16.77	5.02
33	37	5452—पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	40.00	30.89
34	44	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	92.00	90.17
योग (उद्देश्य शीर्ष 45—पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु सहायक अनुदान)				267.77
(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)				207.94

परिशिष्ट 2.14

राजस्व अनुभाग के अंतर्गत मशीनें एवं वृहद् निर्माण कार्य का गलत वर्गीकरण का विवरण
पत्रक जहाँ बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक था
(संदर्भ: कंडिका 2.3.9; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनें				
1	1	2015—चुनाव	2.10	2.10
2	3	2055—पुलिस	162.23	161.36
3	5	2056—जेल	4.23	1.21
4	10	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	1.15	1.04
5	13	2401—फसल कृषि कर्म	14.08	14.08
6	19	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	39.67	16.20
7	29	2014—न्यायिक प्रशासन	1.80	1.83
8	32	2220—सूचना तथा प्रचार	2.50	1.65
9	43	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	5.91	5.14
10	44	2202—सामान्य शिक्षा	27.07	26.30
11	47	2203—तकनीकी शिक्षा	3.35	1.01
12	47	2230—श्रम तथा रोजगार	78.79	45.98
13	52	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1.00	0.78
14	56	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	3.34	2.44
15	64	2217—शहरी विकास	13.00	7.61
योग (उद्देश्य शीर्ष 63—मशीनें)			360.22	288.73
उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् निर्माण कार्य				
16	20	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	8.50	3.98
17	39	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.20	1.20
18	47	2203—तकनीकी शिक्षा	6.00	0.00
योग (उद्देश्य शीर्ष 64—वृहद् निर्माण कार्य)			15.70	5.18

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.15
व्यय की अत्यधिकता
(संदर्भ: कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2019 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी– मार्च 2019	मार्च 2019
1	पी.डी.–भारित विनियोग–लोक ऋण	5856	1,075.00	1,075.00	1,075.00	100	100
2	पी.डी.–भारित विनियोग–लोक ऋण	5878	2,010.25	2,010.25	2,010.25	100	100
3	6–वित्त	1005	24.70	24.70	24.70	100	100
4	10–वन	5322	360.18	360.18	360.18	100	100
5	12–ऊर्जा	1284	134.64	134.64	134.64	100	100
6	12–ऊर्जा	5308	82.34	82.34	82.34	100	100
7	12–ऊर्जा	5309	253.21	253.21	253.21	100	100
8	12–ऊर्जा	7255	23.26	23.26	23.26	100	100
9	12–ऊर्जा	9133	189.90	189.90	189.90	100	100
10	13– किसान कल्याण तथा कृषि विकास	5321	101.88	101.88	101.88	100	100
11	17–सहकारिता	5318	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	100
12	17–सहकारिता	6965	17.49	17.49	17.49	100	100
13	48–नर्मदा घाटी विकास	6818	11.00	11.00	11.00	100	100
14	64– नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	5728	12.43	12.43	12.43	100	100
योग			5,296.28	5,296.28	5,296.28		

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश, द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.16

**विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें, जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ या अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी
(संदर्भ: कंडिका 2.4.2; पृष्ठ 48)**

(₹ करोड़ में)

सं. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मूल+अनुप्रकर)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
24-लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल					
1	024-3054-04-337-0101-0134-19-003-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	28.26	15.72	12.54	44
2	024-3054-04-337-0101-0134-33-001-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	96.00	65.21	30.78	32
3	024-3054-04-337-0101-4557-33-001-(4557)-सुदृढीकरण	128.00	94.34	33.66	26
4	024-3054-04-337-0102-0134-33-001-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	30.00	14.69	15.31	51
5	024-3054-04-337-0102-4557-33-001-(4557)-सुदृढीकरण	40.00	29.01	10.99	27
6	024-3054-04-337-0103-0134-33-001-(0134)-अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	24.00	0.00	24.00	100
7	024-3054-04-800-0101-7081-33-001-(7081)-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	266.50	212.74	53.77	20
8	024-3054-04-800-0102-7081-33-001-(7081)-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	80.00	56.00	24.00	30
9	024-3054-80-001-9999-2418-11-001-(2418)-निष्पादन	90.02	51.91	38.11	42
10	024-5054-03-101-1203-2342-64-001-(2342)-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	43.00	6.15	36.85	86
11	024-5054-03-101-1403-5225-64-002-(5225)-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	22.00	4.88	17.12	78
12	024-5054-03-337-0802-0948-64-002-(0948)-केन्द्रीय सङ्केत निधि	150.00	23.15	126.85	85
13	024-5054-03-337-0803-0948-64-002-(0948)-केन्द्रीय सङ्केत निधि	120.00	64.56	55.44	46
14	024-5054-03-337-9999-7081-64-002-(7081)-मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	50.00	0.00	50.00	100
15	024-5054-04-800-0101-4557-64-002-(4557)-सुदृढीकरण	290.00	86.95	203.05	70
16	024-5054-04-800-0423-2457-64-002-(2457)-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	50.00	3.43	46.57	93
17	024-5054-04-800-1403-5226-64-002-(5226)-ग्रामीण सङ्केतों का निर्माण (नाबार्ड)	31.50	11.46	20.04	64
18	024-5054-05-337-1203-7368-64-001-(7368)-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सङ्केत निर्माण)	20.00	3.39	16.61	83
19	024-5054-80-800-0101-3115-62-001-(3115)-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	128.00	0.03	127.97	100
20	024-5054-80-800-0102-3115-62-001-(3115)-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	40.00	0.00	40.00	100
21	024-5054-80-800-0103-3115-62-001-(3115)-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	32.00	0.00	32.00	100

सं. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
33- जनजातीय कार्य					
22	33-4225-02-102-0802-7881-आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विविध विकास कार्य अनुच्छेद 275(1)	230.40	142.70	87.70	38
23	33-4225-02-800-0802-5211-आई.टी.डी.पी. /मार्डा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	223.00	159.75	63.25	25
24	33-2202-01-101-9999-2773-प्राथमिक शालाएँ	204.00	0.00	204.00	100
25	33-2202-01-101-9999-3496-माध्यमिक शालाएँ	198.00	0.00	198.00	100
26	33-2202-02-109-9999-0581-हायर सेकण्डरी शालाएँ	138.00	0.00	138.00	100
27	33-2202-02-109-9999-5216-हाई स्कूल	18.00	0.00	18.00	100
28	33-2225-02-102-0102-2326-पीढ़ीटीजी आहार अनुदान योजना	270.00	198.98	71.02	26
29	33-2225-02-102-0102-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	32.90	14.00	18.90	57
30	33-2225-02-277-0102-0494-आश्रम	93.70	66.10	27.60	29
31	33-2225-02-277-0102-1398-सीनियर छात्रावास	234.30	172.97	61.33	26
32	33-2225-02-277-0102-7763-अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	101.00	56.38	44.62	44
33	33-2225-02-277-0802-2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	150.00	106.47	43.53	29
34	33-2225-02-800-0802-6500-विशेष पिछड़ी जनजातीयों का विकास	90.33	64.24	26.09	29
35	33-4225-02-277-0702-0494-आश्रम	12.00	1.67	10.33	86
36	33-4225-02-277-0702-1398-सीनियर छात्रावास	30.00	0.00	30.00	100
कुल		3,811.92	1,753.90	2,058.02	54

(स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.17 (क)
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ
(संदर्भ: कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 49)

(₹ लाख में)

स.क्र.	वर्गीकरण	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक+ पुनर्विनियोजन)	व्यय	बचते
24-लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल						
1	024-5054-04-800-1403-5226-64-002-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबाड़)	1,650.00	1,500.00	3,150.00	1,145.51	2,004.49
33- जनजातीय कार्य						
2	33-2225-0102-1481-जिला प्रशासन	8,755.13	25.00	8,780.13	8,392.30	387.83
3	33-2225-6130-22-संचालनालय	50.34	3.26	53.60	48.74	4.86
4	33-2225-6130-31-संचालनालय	21.26	3.00	24.26	8.66	15.60
5	33-2225-0495-11-जूनियर छात्रावास	6,185.06	253.61	6,438.67	5,571.37	867.30
6	33-2515-5209-11-मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन	691.58	0.50	692.08	685.57	6.51
कुल		15,703.37	285.37	15,988.74	14,706.64	1,282.10
महायोग		17,353.37	1,785.37	19,138.74	15,852.15	3,286.59

(स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 2.17 (ख)
प्रकरण जहाँ पुनर्विनियोजन प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ
(संदर्भ: कंडिका 2.4.4; पृष्ठ 49)

(₹ लाख में)

संक्र.	वर्गीकरण	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	कुल बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक+पुनर्विनियोजन)	व्यय	बचतें	पुनर्विनियोजित राशि से बचत का प्रतिशत
24-लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल							
1	024-3054-80-001-9999-2418-11-001- निष्पादन	4,502.00	4,500.00	9,002.00	5,191.41	3,810.59	85
2	024-3054-80-001-9999-2418-11-003- निष्पादन	340.20	405.00	745.20	379.98	365.22	90
	योग	4,842.20	4,905.00	9,747.20	5,571.39	4,175.81	85
33- जनजातीय कार्य							
3	33-2202-3496-12-माध्यमिक शालाएँ	500.00	75.00	575.00	542.35	32.65	44
4	33-2202-0364-11-वशिष्ट संस्था आदर्श/गुरुकूलम /एकलव्य	1,307.4	90.80	1,398.20	1,321.76	76.44	84
5	33-2202-0364-12-वशिष्ट संस्था आदर्श/गुरुकूलम /एकलव्य	90.00	67.00	157.00	136.42	20.58	31
6	33-2202-0581-12-हायर सेकण्डरी शालाएँ	550.00	125.00	675.00	648.27	26.73	21
7	33-2202-5216-12-हाई स्कूल	200.00	86.00	286.00	268.47	17.53	20
8	33-2225-2324-42-आकांक्षा योजना	0.01	811.00	811.01	643.66	167.35	21
9	33-2225-0494-11-आश्रम	2,491.20	284.28	2,775.48	2,594.03	181.45	64
10	33-2225-0494-12-आश्रम	2,400.00	491.00	2,891	2,700.48	190.52	39
11	33-2225-0978-22-क्रीड़ा परिसर	65.96	13.00	78.96	68.62	10.34	80
12	33-2225-1398-11-सीनियर छात्रावास	7,501.40	982.18	8,483.58	8,035.63	447.95	46
13	33-2225-1398-19-सीनियर छात्रावास	279.00	107.24	386.24	355.18	31.06	29
14	33-2225-6502-12-महाविद्यालयीन छात्रावास	110.00	125	235.00	201.18	33.82	27
15	33-2225-8003-33-सेटेलाईट के माध्यम से शिक्षा	9.00	61.50	70.50	50.76	19.74	32
16	33-2225-9853-26-आदिवासी संस्कृति का परिक्षण एवं विकास	45.00	1000.00	1045.00	680.05	364.95	36
17	33-2515-2506-11-परियोजना मुख्यालय	1,959.50	80.36	2,039.86	1,981.69	58.17	72
18	33-4225-6502-64-महाविद्यालयीन छात्रावास	0.00	180.00	180.00	87.04	92.96	52
	योग	17,508.47	4,579.36	22,087.83	20,315.59	1,772.24	39
	महायोग	22,350.67	9,484.36	31,835.03	25,886.98	5,948.05	63

अतिरिक्त आवश्यकता: वास्तविक व्यय—मूल प्रावधान = 25,886.98 – 22,350.67 = 3,536.31

(झोत: बी.सी.ओ. द्वारा प्रदाय जानकारी)

परिशिष्ट 3.1
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में लंबित उपयोगिता
प्रमाण—पत्रों की स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.3.4; पृष्ठ 55)

(₹ लाख में)

स.क्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण—पत्र	31 मार्च 2019 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र
1	जबलपुर	369.73	332.38	37.35
2	कटनी	71.66	42.67	28.99
3	छिन्दवाड़ा	183.45	171.01	12.44
4	मंडला	149.18	63.49	85.69
5	बालाघाट	99.59	63.31	36.28
6	सिवनी	129.92	100.47	29.45
7	नरसिंहपुर	87.81	55.06	32.75
8	उज्जैन	30.90	2.90	28.00
9	देवास	207.35	72.38	134.97
10	मंदसौर	141.32	115.32	26.00
11	रतलाम	87.30	55.29	32.01
12	नीमच	272.39	241.39	31.00
13	शाजापुर	100.42	39.87	60.55
14	सागर	167.93	141.93	26.00
15	छतरपुर	72.84	46.77	26.07
16	दमोह	202.96	68.34	134.62
17	पन्ना	88.65	3.56	85.09
18	टीकमगढ़	49.74	21.74	28.00
19	रीवा	105.70	78.73	26.97
20	सीधी	74.11	26.64	47.47
21	सिंगरौली	397.14	264.02	133.12
22	सतना	88.26	70.28	17.98
23	शहडोल	63.33	45.95	17.38
24	उमरिया	70.50	31.41	39.09
25	अनूपपुर	57.22	31.22	26.00
26	डिंडौरी	82.16	3.00	79.16
27	भोपाल	2,201.59	214.80	1,986.79
28	बैतूल	46.16	17.54	28.62
29	विदिशा	60.57	22.74	37.83
30	मंडीदीप (रायसेन)	80.53	21.50	59.03
31	राजगढ़	26.00	0.00	26.00
32	सीहोर	123.42	96.55	26.87
33	ग्वालियर	198.17	0.00	198.17
34	शिवपुरी	104.42	46.55	57.87
35	गुना	43.00	11.36	31.64
36	अशोक नगर	50.28	24.28	26.00
37	दतिया	35.03	0.00	35.03
38	मुरैना	83.33	23.54	59.79
39	भिण्ड	119.24	52.81	66.43
40	श्योपुर	80.73	35.83	44.90

स.क्र.	जिला कार्यालय	प्रारम्भ से आवंटन	प्रदायित उपयोगिता प्रमाण-पत्र	31 मार्च 2019 की स्थिति में लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र
41	झंदौर	126.74	67.98	58.76
42	खण्डवा	45.10	0	45.10
43	बुरहानपुर	50.95	28.94	22.01
44	धार	60.39	3.09	57.30
45	खरगौन	50.80	29.03	21.77
46	झाबुआ	26.00	0.00	26.00
47	बड़वानी	52.74	13.58	39.16
48	होशंगाबाद	69.64	36.64	33.00
49	हरदा	173.68	141.59	32.09
50	अलीराजपुर	31.27	5.27	26.00
51	आगर मालवा	210.19	44.41	165.78
योग		7,601.53	3,127.16	4,474.37

परिशिष्ट 3.2
टी.डी.एस. कटौती और टी.ए.एन. कटौतीकर्ताओं का विवरण
(sंदर्भ: कंडिका 3.3.5; पृष्ठ 56)

(₹ लाख में)

सं. क्र.	टी.ए.एन. कटौतीकर्ता	बैंक का नाम	कुल टी.डी.एस. की कटौती और जमा किया गया
1	बी.पी.एल01490जी	केनरा बैंक	10.68
2	बी.पी.एल03970बी	पंजाब नेशनल बैंक, बैरसिया रोड	0.61
3	बी.पी.एल.ए01392जी	इलाहाबाद बैंक	5.55
4	बी.पी.एल.ए02329एफ	इलाहाबाद बैंक	1.14
5	बी.पी.एल.बी01144डी	बैंक आफ बड़ौदा	2.03
6	बी.पी.एल.बी01401बी	बैंक आफ इण्डिया, जोनल कार्यालय	11.83
7	बी.पी.एल.बी01409सी	बैंक आफ बड़ौदा	0.05
8	बी.पी.एल.बी01418ई	बैंक आफ बड़ौदा	4.88
9	बी.पी.एल.बी02258ई	बैंक आफ महाराष्ट्रा	2.60
10	बी.पी.एल.बी03629डी	बैंक आफ महाराष्ट्रा	2.96
11	बी.पी.एल.बी03865बी	बैंक आफ बड़ौदा	2.15
12	बी.पी.एल.सी01069एफ	सेन्ट्रल बैंक, बंगरसिया	6.47
13	बी.पी.एल.सी01121बी	केनरा बैंक	0.37
14	बी.पी.एल.सी01158डी	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	10.74
15	बी.पी.एल.सी01312डी	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, दतिया	0.38
16	बी.पी.एल.सी01486सी	केनरा बैंक	0.61
17	बी.पी.एल.सी01488ई	केनरा बैंक	1.82
18	बी.पी.एल.सी01701ए	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	0.11
19	बी.पी.एल.सी02614डी	केनरा बैंक	0.05
20	बी.पी.एल.सी02723ए	केनरा बैंक शाखा माइक्रो फाइनेंस	0.34
21	बी.पी.एल.सी03153डी	केनरा बैंक बैरागढ़	2.54
22	बी.पी.एल.सी03241ए	केनरा बैंक	0.34
23	बी.पी.एल.आई 00379बी	इण्डियन ओवरसीज बैंक	0.84
24	बी.पी.एल.आई01220सी	इण्डियन ओवरसीज बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	0.91
25	बी.पी.एल.आई01307एफ	इण्डियन ओवरसीज बैंक	10.44
26	बी.पी.एल.पी01424डी	पंजाब नेशनल बैंक, शाहपुरा	5.63
27	बी.पी.एल.पी01500सी	पंजाब नेशनल बैंक, जोनल कार्यालय	44.82
28	बी.पी.एल.पी01918ए	पंजाब नेशनल बैंक, हबीबगंज	11.46
29	बी.पी.एल.पी031331बी	पंजाब नेशनल बैंक	0.22
30	बी.पी.एल.पी03890एफ	पंजाब नेशनल बैंक, अयोध्या नगर	0.60
31	बी.पी.एल.एस03671डी	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, बीकानेर	0.71
32	बी.पी.एल.एस05394ई	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, वल्लभ भवन	0.42
33	बी.पी.एल.एस09709ए	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, पुराना सचिवालय	2.37
34	बी.पी.एल.एस11658डी	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, टीटी नगर	101.22
35	बी.पी.एल.एस12373ई	स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सुल्तानिया रोड	0.00*
36	बी.पी.एल.यू01174एफ	यूको बैंक	4.35
37	एम.यू.एम.86163ए	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	146.76
38	दो बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, होशंगाबाद रोड, भोपाल और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैरागढ़ के उपलब्ध टीडीएस प्रमाण पत्र के अनुसार कुल टीडीएस राशि		110.85
योग			509.85

*274

परिशिष्ट 3.3
लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0029—भू—राजस्व	383.91	193.31	50.35
2	0030—स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,277.99	927.71	17.58
3	0039—राज्य उत्पाद शुल्क	9,542.15	2,174.00	22.78
4	0043—विद्युत कर तथा शुल्क	2,616.29	434.32	16.60
5	0049—व्याज प्राप्तियाँ	880.34	733.25	83.29
6	0055—पुलिस	145.70	28.34	19.45
7	0056—जेल	3.65	3.65	100.00
8	0059—लोक निर्माण कार्य	151.75	151.43	99.79
9	0070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं	355.97	39.90	11.21
10	0071—पेशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	222.35	47.87	21.53
11	0202—शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति	2,366.39	2,320.98	98.08
12	0210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	214.46	111.27	51.88
13	0211—परिवार कल्याण	0.23	0.22	95.65
14	0215—जल पूर्ति तथा सफाई	25.34	11.36	44.83
15	0217—शहरी विकास	15.00	15.00	100.00
16	0220—सूचना तथा प्रचार	0.38	0.31	81.58
17	0230—श्रम तथा रोजगार	27.18	3.00	11.04
18	0235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	11.66	10.37	88.94
19	0401—फसल कृषि—कर्म	62.14	44.81	72.11
20	0403—पशुपालन	2.73	1.48	54.21
21	0405—मछली पालन	9.94	4.36	43.86
22	0406—वानिकी तथा वन्य जीवन	1,042.94	544.19	52.18
23	0425—सहकारिता	8.40	3.04	36.19
24	0435—अन्य कृषि कार्यक्रम	1.92	1.60	83.33
25	0515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14.98	9.00	60.08
26	0700—मुख्य सिंचाई	37.08	14.83	39.99
27	0701—मध्यम सिंचाई	226.40	122.98	54.32
28	0702—लघु सिंचाई	545.03	545.03	100.00
29	0801—बिजली	190.33	190.33	100.00
30	0851—ग्राम तथा लघु उद्योग	88.13	9.51	10.79
31	0852—उद्योग	0.85	0.85	100.00
32	0853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,933.56	1,600.29	40.68
33	1054—सड़क एवं पुल	1.18	0.31	26.27
34	1452—पर्यटन	11.18	11.18	100.00
35	1601—केन्द्र सरकार से सहायतानुदान	28,624.68	24,200.27	84.54
36	10 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	91,850.58	321.29	0.35
	योग	1,48,892.79	34,831.64	23.39

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखें)

परिशिष्ट 3.4
लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकन
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 58)

(₹ करोड़ में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय	प्रतिशत
1	2075—विविध सामान्य सेवाएं	26.38	25.44	96.44
2	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	166.98	107.83	64.58
3	2217—शहरी विकास	5,873.21	4,702.97	80.07
4	2245—प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	1,434.00	271.66	18.94
5	2250—अन्य सामाजिक सेवाएं	189.23	189.23	100.00
6	2401—फसल कृषि कर्म	11,064.14	7,514.31	67.92
7	2403—पशुपालन	874.64	103.85	11.87
8	2405—मछली पालन	75.43	9.33	12.37
9	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,751.23	725.01	15.26
10	2700—मुख्य सिंचाई	201.28	21.37	10.62
11	2701—मध्यम सिंचाई	679.61	112.66	16.58
12	2702—लघु सिंचाई	171.23	162.70	95.02
13	2705—कमान क्षेत्र विकास	9.11	5.13	56.31
14	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	917.03	616.54	67.23
15	2852—उद्योग	281.71	281.52	99.93
16	3054—सड़क तथा सेतु	1,026.27	212.37	20.69
17	3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	84.81	34.28	40.42
18	4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	369.87	50.00	13.52
19	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.62	4.62	100.00
20	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	942.35	124.23	13.18
21	4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,006.14	602.45	30.03
22	4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	677.65	290.94	42.93
23	4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	738.17	434.75	58.90
24	4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	8.38	3.32	39.62
25	4408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	1.84	1.84	100.00
26	4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,218.49	2,617.79	81.34
27	4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,419.06	5,874.10	91.51
28	4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	924.87	905.94	97.95
29	4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	932.07	308.69	33.12
30	4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	100.24	16.41	16.37
31	4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2,272.48	369.43	16.26
32	4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	1.20	0.69	57.50
33	4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	202.50	202.50	100.00
34	5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6,888.56	2,537.91	36.84
35	5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2.25	2.25	100.00
36	10 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष योग	1,18,036.37	1,232.53	1.04
		1,71,573.40	30,676.59	17.88

(स्रोत: वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे)

परिशिष्ट 3.5
लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की मुख्य शीर्षवार स्थिति
(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 59)

₹ करोड़ में)

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र	
		संख्या	राशि
1	2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	2014—न्याय प्रशासन	375	1.55
3	2029—भू—राजस्व	104	1.20
4	2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
6	2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं	93	87.72
7	2075—विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
8	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	05	10.78
9	2205—कला एवं संस्कृति	01	0.15
10	2215—जलपूर्ति तथा सफाई	538	21.17
11	2216—आवास	05	324.21
12	2217—शहरी विकास	684	321.34
13	2220—सूचना तथा प्रचार	35	1.50
14	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	306.42
15	2230—श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
16	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,143	748.03
17	2401—फसल कृषि—कर्म	3,090	439.99
18	2403—पशुपालन	495	201.86
19	2405—मछली पालन	3,359	10.48
20	2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	1,453	2,186.80
21	2425—सहकारिता	715	289.20
22	2702—लघु सिंचाई	280	12.55
23	2810—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
24	2851—ग्राम तथा लघु उद्योग	657	217.45
25	2852—उद्योग	2,987	187.07
26	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	849	233.46
27	3452—पर्यटन	185	81.05
28	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1,268	8,711.00
29	4402—मुदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय योग	11	1.25
		20,278	14,470.62

(स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–I, मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.6
दुर्विनियोग, गबन इत्यादि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 60)

₹ लाख में)

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	02	10.53	-	-	01	2.41	-	-	-	-	-	-	03	12.94
2	2015—निर्वाचन	-	-	01	7.90	-	-	-	-	01	3.77	-	-	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	01	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.70
4	2054—कोषालय एवं लेखा प्रशासन	-	-	05	799.21	-	-	-	-	01	18.25	05	12.97	11	830.43
5	2055—पुलिस	152	205.97	67	31.82	63	17.84	18	17.63	04	7.15	04	4.92	308	285.33
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	01	8.41	-	-	-	-	-	-	01	0.17	-	-	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	12	269.48	22	65.79	21	329.19	10	19.92	03	1.21	36	27.05	104	712.64
8	2203—तकनीकी शिक्षा	04	28.25	03	2.57	07	17.16	03	7.64	-	-	-	-	17	55.62
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	1.25	02	2.95	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.20
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	01	2.29	02	8.11	02	13.89	02	5.45	02	21.21	01	4.63	10	55.58
11	2211—परिवार कल्याण	01	43.99	-	-	-	-	-	-	-	-	02	3.67	03	47.66
12	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	-	-	02	2.23	01	0.39	01	0.48	-	-	-	-	04	3.10
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	02	1.22	-	-	-	-	-	-	01	1.09	05	7.72	08	10.03

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष तक		10 से 15 वर्ष तक		15 से 20 वर्ष तक		20 से 25 वर्ष तक		25 वर्ष और अधिक		प्रकरणों की कुल संख्या	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
14	2230—श्रम तथा रोजगार	04	6.96	05	2.64	01	0.36	03	6.94	-	-	-	-	13	16.90
15	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	02	9.16	-	-	01	1.31	01	4.04	-	-	03	1.62	07	16.13
16	2401—फसल कृषि—कर्म	10	30.39	05	29.66	06	9.33	03	4.19	-	-	03	0.48	27	74.05
17	2403—पशुपालन	-	-	04	4.91	03	0.75	02	0.87	04	6.32	07	6.24	20	19.09
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	676	342.68	113	392.52	184	222.61	343	300.18	255	130.13	1,107	252.61	2,678	1,640.73
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	-	-	-	-	01	42.31	-	-	02	1.34	01	2.91	04	46.56
20	2505—ग्राम रोजगार	-	-	01	0.00*	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.00
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	03	4.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	4.22
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	01	8.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	0.47	01	0.47
24	लोक निर्माण विभाग	-	-	01	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	01	3.50
योग		873	974.06	233	1,353.81	291	657.55	386	367.34	274	190.64	1,175	325.29	3,232	3,868.69

(योतः संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*नगण्य

परिशिष्ट 3.7
चोरी, दुर्विनियोग / शासकीय सामग्रियों की हानि के प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 60)

₹ लाख में

संक्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग / शासकीय सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2014—न्याय प्रशासन	02	3.91	01	9.03	03	12.94
2	2015—निर्वाचन	01	7.90	01	3.77	02	11.67
3	2040—वाणिज्यिक कर	-	-	01	0.70	01	0.70
4	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन	04	447.66	07	382.77	11	830.43
5	2055—पुलिस	13	19.51	295	265.82	308	285.33
6	2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण	-	-	02	8.58	02	8.58
7	2202—सामान्य शिक्षा	42	67.84	62	644.80	104	712.64
8	2203—तकनीकी शिक्षा	11	12.46	06	43.16	17	55.62
9	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं	01	0.45	02	3.75	03	4.20
10	2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	03	5.28	07	50.30	10	55.58
11	2211—परिवार कल्याण	-	-	03	47.66	03	47.66
12	2215—जल पूर्ति तथा सफाई	03	2.71	01	0.39	04	3.10
13	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	01	3.99	07	6.04	08	10.03
14	2230—श्रम तथा रोजगार	09	3.84	04	13.06	13	16.90
15	2235—महिला एवं बाल कल्याण	03	2.47	04	13.66	07	16.13
16	2401—फसल कृषि—कर्म	15	9.88	12	64.17	27	74.05
17	2403—पशुपालन	08	7.16	12	11.93	20	19.09
18	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	41	12.02	2,637	1,628.71	2,678	1,640.73
19	2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	01	0.44	03	46.12	04	46.56
20	2505—ग्राम रोजगार	-	-	01	0.00*	01	0.00*
21	2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	01	0.12	02	4.10	03	4.22
22	3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	-	-	01	8.56	01	8.56
23	नर्मदा घाटी विकास विभाग	01	0.47	-	-	01	0.47
24	लोक निर्माण विभाग	01	3.50	-	-	01	3.50
योग		161	611.61	3,071	3,257.08	3,232	3,868.69

(झोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

*नगण्य

परिशिष्ट 3.8
2018–19 के दौरान अपलेखित प्रकरण
(संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 61)

₹ लाख में

सं. क्र.	मुख्य शीर्षवार विवरण	अपलेखन की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2055—पुलिस	पुलिस महानिदेशक, भोपाल	दुर्घटनाग्रस्त मोटर वाहन एवं वायरलेस सेट	23	21.53
2	2202—सामान्य शिक्षा	संचालक, लोक शिक्षा, भोपाल	चोरी के कारण हानि	04	1.06
3	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	अतिरिक्त पीसीसीएफ, वित्त एवं बजट, भोपाल	हानि की वसूली न होने के कारण, विभाग द्वारा अपलेखित प्रकरण	19	1.16
योग				46	23.75

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

परिशिष्ट 3.9
2018–19 के दौरान हानि के प्रकरणों में सूचित की गई वसूली
 (संदर्भ: कंडिका 3.7; पृष्ठ 61)

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्रकरणों की संख्या	मुख्य शीर्षवार विवरण	दुर्विनियोग / हानि / चोरी इत्यादि का प्रकार	वर्ष से संबंधित	हानि की राशि	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि
1	02	2055—पुलिस	हानि	2002-03	1,25,000	1,25,296
2	02	2055—पुलिस	हानि	2005-06	23,070	24,580
3	04	2055—पुलिस	हानि	2006-07	1,02,797	93,702
4	01	2055—पुलिस	हानि	2007-08	4,701	4,705
5	01	2055—पुलिस	हानि	2011-12	38,419	5,000
6	01	2055—पुलिस	हानि	2014-15	65,745	38,527
7	02	2055—पुलिस	हानि	2015-16	69,680	69,680
8	02	2055—पुलिस	हानि	2016-17	1,37,000	1,39,519
9	01	2055—पुलिस	हानि	2017-18	54,680	54,680
	16	योग			6,21,092	5,55,689
10	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1975-76	11,862	11,862
11	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1987-88	7,500	5,790
12	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1988-89	1,586	1,586
13	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1992-93	18,629	18,629
14	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1993-94	540	540
15	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1994-95	2,216	2,216
16	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1997-98	31,681	31,681
17	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	1998-99	77,341	77,341
18	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2002-03	84,900	84,900
19	01	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2012-13	49,440	49,440
20	03	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2015-16	9,521	9,521
21	22	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2016-17	1,05,605	1,05,605
22	106	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2017-18	1,67,550	1,67,550
23	344	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2018-19	11,11,844	11,11,844
24	44	2406—वानिकी तथा वन्य जीवन	हानि	2019-20	39,215	39,215
	529	योग			17,19,430	17,17,720*
	545	कुल योग			23,40,522	22,73,409*

(झोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

*हानि की राशि एवं वसूल की गई राशि में अंतर विभाग द्वारा आंशिक राशि के अपलेखन के कारण है।

परिशिष्ट 3.10
बैंक खातों का विवरण
 (संदर्भ: कंडिका 3.11; पृष्ठ 64)

(₹ लाख में)

स.क्र.	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	राशि
1	कार्यालय जिलाध्यक्ष, अलीराजपुर	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	63037691496	359.34
2	कार्यालय जिलाध्यक्ष, धार	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित	655001015469	142.91
3	कार्यालय जिलाध्यक्ष, बालाघाट	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10750414219	147.86
4	कार्यालय जिलाध्यक्ष, टीकमगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	6599000100014605	5.96
		स्टेट बैंक आफ इण्डिया	11084743822	213.80
5	कार्यालय जिलाध्यक्ष, सागर	बैंक आफ इण्डिया	942410100030516	58.67
			942410210000012	2.53
6	कार्यालय जिलाध्यक्ष, झाबुआ	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	53031693971	85.39
7	कार्यालय जिलाध्यक्ष, देवास	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	53012945833	151.77
8	कार्यालय जिलाध्यक्ष, सतना	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10633015606	262.30
9	कार्यालय जिलाध्यक्ष, रतलाम	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	10478452733	147.47
योग				1,578.00

(ओत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

परिशिष्ट 3.11

शहरी स्थानीय निकायों के बैंक खातों में निधियों के अवरुद्ध होने का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 3.11.2; पृष्ठ 65)

(₹ लाख में)

संक्र.	इकाई	योजना का नाम	अवरुद्ध राशि	टिप्पणी
1	नगर निगम, खण्डवा	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	4.11	कोषालय पोर्टल से संचालित
		निःशक्त एवं बहुविकलांग योजना	8.50	कोषालय पोर्टल से संचालित
2	नगर पालिका परिषद, धनपुरी, शहडोल	बारहवां वित्त आयोग	88.47	योजना बंद
3	नगर निगम, जबलपुर	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	12.31	कोषालय पोर्टल से संचालित
		इन्दिरा गाँधी वृद्धा पेंशन	26.32	कोषालय पोर्टल से संचालित
		इन्दिरा गाँधी विधवा पेंशन	40.75	कोषालय पोर्टल से संचालित
		सामाजिक न्याय पेंशन (निःशक्त)	13.52	कोषालय पोर्टल से संचालित
4	नगर परिषद, अकोड़ा, भिण्ड	पेंशन योजना	11.39	कोषालय पोर्टल से संचालित
5	नगर परिषद, गोविन्दगढ़, रीवा.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)	1.27	योजना बंद
		बारहवां वित्त आयोग	4.44	योजना बंद
		पेंशन योजना	19.20	कोषालय पोर्टल से संचालित
6	नगर परिषद, चाकघाट, रीवा	बी.आर.जी.एफ.	0.12	योजना बंद
		बारहवां वित्त आयोग	3.73	योजना बंद
		पेंशन योजना	2.35	कोषालय पोर्टल से संचालित
		मध्याह्न भोजन	0.79	लंबे समय से असंचालित
		सर्व शिक्षा	1.18	लंबे समय से असंचालित
		स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना	0.96	लंबे समय से असंचालित
		लघु और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.)	58.60	लंबे समय से असंचालित
7	नगर परिषद, गुढ़, रीवा	बी.आर.जी.एफ.	32.03	योजना बंद
		बारहवां वित्त आयोग	26.68	योजना बंद
		आई.डी.एस.एम.टी.	37.20	योजना बंद
8	नगर पालिका परिषद, बिजुरी, अनूपपुर	बी.आर.जी.एफ.	102.75	योजना बंद
		पेंशन योजना	8.71	कोषालय पोर्टल से संचालित
9	नगर परिषद, पसान, अनूपपुर	बी.आर.जी.एफ.	15.01	योजना बंद
योग			520.39	

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

©
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi>